राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013

अधिकारों और सामाजिक जवाबदेहिता के लिये

विस्तृत प्रवेशिका



विकास संवाद

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013

अधिकारों और सामाजिक जवाबदेहिता के लिये

विस्तृत प्रवेशिका

सहयोग

दीपा सिन्हा, सेजल दांड, कविता श्रीवास्तव, आयशा खान, एनी राजा, ज्यां द्रेज, गंगा भाई, मुक्ता श्रीवास्तव, राजकिशोर मिश्रा, विपुल, करुणा, रोशनी साधू, आकांक्षा प्रिया, सिराज दत्ता, नेहा बिष्ट, संगीता साहू, बबिता रॉय चक्रबोर्ति, जमीर, महेंद्र सिंघ, निसार अहमद, मुकेश निर्वासत, ऋत्विज कुमार, आशा मिश्रा, उपासना बेहार, आदित्य श्रीवास्तव, सुधा श्रीनिवास रेड्डी, राकेश मालवीय, जशोधरा दासगुप्ता

लेखन

सचिन कुमार जैन
अंजलि आचार्य
विश्वम्भरनाथ त्रिपाठी

सम्पर्क पता

विकास संवाद समिति
ई–7/226, प्रथम तल, धनवंतरी कॉम्प्लेक्स के सामने,
अरेरा कॉलोनी, शाहपुरा, भोपाल–462 016 मध्यप्रदेश
फोन : 0755–4252789
ईमेल : vikassamvad@gmail.com
वेबसाइट : www.mediaforrights.org / www.vssmp.org

आर्थिक सहयोग

नेशनल फाउन्डेशन फॉर इंडिया

वर्ष

2019

मुद्रक

स्पेसिफिक प्रिंटर्स

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013

अधिकारों और सामाजिक जवाबदेहिता के लिये

विस्तृत प्रवेशिका



विकास संवाद

परिचय

सितम्बर, वर्ष 2013 में भारत सरकार द्वारा भारत के नागरिकों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 लागू किया गया. यह अधिनियम नागरिकों को न केवल खाद्य सुरक्षा का अधिकार प्रदान करता है, बल्कि इसमें शामिल खाद्य–पोषण सुरक्षा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में जवाबदेहिता, पारदर्शिता, सामुदायिक निगरानी–सामाजिक संपरीक्षा के लिए भी ठोस प्रावधान करता है.

इस अधिनियम की उद्देशिका से स्पष्ट होता है कि इस अधिनियम का मकसद जीवन चक्र यानी जीवन के हर चरण – गर्भावस्था, जन्म, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवा–प्रौढ़ अवस्था और वृद्धावस्था में खाद्य और पोषण की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.

यह बहुत जरूरी है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को महज खाद्यान्न के प्रावधान के नजरिए से न देखा जाए, वास्तव में समाज में समानता, सक्षमता और समावेशी विकास के लिए हर एक इकाई, महिलायें, बच्चे, वृद्ध, दिव्यांग, वंचित तबकों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आदि समूहों की खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना एक अहम् जरूरत है.

सबकी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना केवल मानवीय भलाई का काम नहीं है, बल्कि आज भारत की राज्य व्यवस्था ने इसे अपनी जिम्मेदारी और नागरिकों के अधिकार के रूप में परिभाषित किया है. अधिनियम के मूल दृष्टिकोण पर केंद्रित इस प्रवेशिका का उद्देश्य क्रियान्वयन में अधिकार मूलक नजरिया प्रतिपादित करना है.

वस्तुतः राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 खाद्य और पोषण सुरक्षा की अवधारणा को एक अधिकार आधारित के नजरिए से स्थापित करता है. इसमें केवल सेवाओं की उपलब्धता के पहलू ही शामिल नहीं हैं. इस अधिनियम के पांच अहम् हिस्से हैं –

लोक अधिकार	अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6
लोक सशक्तिकरण	अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 8
सामुदायिक निगरानी और सहभागिता	अनुच्छेद 28 और अनुच्छेद 29
शिकायत निवारण तंत्र, पारदर्शिता और जवाबदेहिता	अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 27
व्यवस्था सुधार	अनुच्छेद 12

इस अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के कथन में कहा गया है कि :

- संविधान के अनुच्छेद 47 के अनुसार राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार के अपने को अपने प्राथमिक कर्तव्य में मानेगा.
- मानव अधिकार पर सार्वभौमिक घोषणा – मानव अधिकार पर सार्वभौमिक घोषणा और आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों सम्बन्धी अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा में भी, जिसका भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है, सभी राज्य पक्षकारों पर प्रत्येक व्यक्ति के पर्याप्त खाद्य के अधिकार को मान्यता देने का उत्तरदायित्व डाला गया है.
- अत्यंत गरीबी और भूख का जड़ से उन्मूलन करना, संयुक्त राष्ट्र के विकास लक्ष्यों में से भी एक लक्ष्य है.
- भारत उत्पादन बढ़ाने, घरेलू मांग पूरा करने, किसानों से खरीदी, भण्डारण, सस्ती कीमतों पर वितरण, वंचित/गरीब तबकों को विशेष सहयोग देने, महिलाओं, बच्चों की सुरक्षा और प्राकृतिक आपदाओं में सुरक्षा आदि स्थितियों में खाद्य सुरक्षा की कोशिश करता रहा है.
- इसके बावजूद भी लोगों की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना एक चुनौती बना हुआ है. जनसँख्या के और विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की पोषण सम्बंधित चुनौतीपूर्ण स्थिति में और देश के मानव संसाधन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जाने की आवश्यकता है.
- प्रस्तावित कानून में खाद्य सुरक्षा की समस्या का समाधान करने के लिए वर्तमान के ''कल्याणकारी दृष्टिकोण'' को ''अधिकार आधारित दृष्टिकोण'' बनाकर एक आमूलचूल परिवर्तन को इंगित किया गया है.

अतः राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को मानव अधिकार, जवाबदेहिता, पारदर्शिता और सशक्त समाज के निर्माण के मकसद के नजरिए से जाना–समझा–लागू किया जाना चाहिए.

अध्याय सूची

अध्याय – 1	महत्वपूर्ण अवधारणाएं	1
अध्याय – 2	भारत में खाद्य सुरक्षा – ऐतिहासिक पृष्ठभूमि	10
अध्याय – 3	भारत में सामाजिक अधिकार से संबंधित कानून	14
अध्याय – 4	सतत् विकास लक्ष्य 2030 और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013	17
अध्याय – 5	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का तात्कालिक सन्दर्भ	20
अध्याय – 6	खाद्य सुरक्षा और सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्देश	23
अध्याय – 7	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 – स्वरूप और मुख्य प्रावधान	42
अध्याय – 8	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 – जवाबदेहिता, पारदर्शिता, शिकायत निवारण	59
अध्याय – 9	सामाजिक जवाबदेहिता	64
अध्याय – 10	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013–विभिन्न राज्यों में जवाबदेहिता और शिकायत निवारण व्यवस्था	68
अध्याय – 11	सामाजिक संपरीक्षा	74
अध्याय – 12	सामाजिक संपरीक्षा – एक विस्तृत प्रारूप	80
अध्याय – 13	विस्तृत ढांचा और रूपरेखा	83
अध्याय – 14	सामाजिक संपरीक्षा – भूमिकाएं, उपकरण और चरण	87
अध्याय – 15	सामाजिक संपरीक्षा हेतु दिशानिर्देश	96
अध्याय – 16	चरणबद्ध प्रक्रिया	103

अध्याय 1

महत्वपूर्ण अवधारणाएं

खाद्य सुरक्षा का मतलब

खाद्य सुरक्षा का मतलब है समाज के सभी नागरिकों के लिए जीवन चक्र में पूरे समय पर्याप्त मात्रा में ऐसे विविधतापूर्ण भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित होना, जो भोजन सांस्कृतिक तौर पर सभी को मान्य हो और उन्हें हासिल करने के समुचित माध्यम गरिमामय हों. खाद्य सुरक्षा की इकाई देश भी हो सकता है, राज्य भी और गाँव भी. खाद्यान्न का खूब उत्पादन होने पर अनाज की उपलब्धता तो बढ़ती है परन्तु यह जरूरी नहीं कि हर परिवार के पास भी भोजन की उपलब्धता होगी, जब तक कि उसके पास खाद्यान्न हासिल करने के साधन (जैसे रोजगार या सामाजिक सुरक्षा या सरकारी योजना का संरक्षण) न हो. एक तरह से खाद्यान्न उत्पादन के साथ–साथ उसके सही और समान वितरण की व्यवस्था होना भी बहुत जरूरी है.

खाद्य सुरक्षा के मायने

- वर्ष 2001 खाद्य एवं कृषि संगठन ने परिभाषा को स्पष्ट किया कि खाद्य सुरक्षा की स्थिति तभी होती है जब हर व्यक्ति को हर समय परिस्थिति के मुताबिक सक्रिय और स्वस्थ जीवन जीने के लिए पर्याप्त, सुरक्षित और पोषक और उनकी प्राथमिकता वाले भोजन तक भौतिक, सामाजिक और आर्थिक पहुंच सुनिश्चित हो. {FAO- 2002. The State of Food Insecurity in the World 2001. Rome. (अनुवाद)}
- आज ज्यादा जोर उपभोग, मांग और वंचित तबकों की भोजन तक पहुंच से जुड़े पक्षों पर है. इसे प्रोफेसर अर्मत्य सेन ने अपने अध्ययनों से बहुत साफ किया है. वे खाद्य सुरक्षा की अवधारणा में व्यक्ति और परिवार के भोजन के हकों पर ज्यादा जोर देते हैं. {Sen, A. 1981. Poverty and Famines. Oxford : Clarendon Press. (अनुवाद)}

अंतर्राष्ट्रीय समझौते और सम्मेलनों के निर्णय

खाद्य सुरक्षा के बारे में अंतर्राष्ट्रीय समझौते और सम्मेलनों के निर्णय इस प्रकार हैं –

1. संयुक्त राष्ट्र संघ

मानव अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की सार्वभौम घोषणा कहती है कि हरेक व्यक्ति को अपने व परिवार की भलाई व बेहतर स्वास्थ्य के लिए ऐसे जीवन–स्तर को प्राप्त करने का अधिकार है, जिसमें रोटी, कपड़ा,

मकान, स्वास्थ्य सेवा और आवश्यक सामाजिक सुविधाएं शामिल हैं.[1] इसके अलावा आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समझौते के अधिनियम 11 के अनुसार –

(1) इससे जुड़े सारे देश अपनी जनता को पर्याप्त आहार, वस्त्र, आवास सहित एक यथेष्ठ जीवन–स्तर व इसमें लगातार बेहतरी करने के प्रत्येक नागरिक व उसके परिवार के मौलिक अधिकार को मान्यता देते हैं.

(2) इस प्रतिज्ञा पत्र के मुताबिक सारे देश अपने यहां हर व्यक्ति की भूख से मुक्ति सम्बंधी मूलभूत अधिकार को मान्यता प्रदान करते हैं और वह खुद या अंतरष्ट्रीय सहयोग से ऐसे कदम उठाएंगे जो भी इसे लागू करने के लिए जरूरी हों.[2]

लेकिन बच्चों के लिए ये प्रावधान ठीक ऐसे नहीं हैं. बच्चों की विशेष परिस्थितियों व आवश्यकताओं के संदर्भ में ही इन्हें देखा व आत्मसात किया जाना चाहिए, कारण कि आहार व पोषण सम्बंधी उनके नैसर्गिक अधिकार ही उनकी उत्तरजीविता, विकास व गरिमा की नींव हैं.

2. आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय सहमति

मानवाधिकारों के दस्तावेज में अनुच्छेद 11 के तहत प्रत्येक हस्ताक्षरकर्ता देश अपने यहां हर व्यक्ति को जीवन की बुनियादी जरूरतें– भोजन, कपड़ा और मकान के अधिकार दिलाने की जिम्मेदारी निभायेंगे. वे लोगों को भुखमरी के चंगुल से बाहर निकालने के लिए खुद या अन्य राष्ट्रों की मदद से विशेष कार्यक्रम चलाकर उनके मौलिक अधिकारों की संरक्षण करेंगे.

3. संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र

संयुक्त राष्ट्र निम्नलिखित बातों को बढ़ावा देगा, जो स्थिरता और कल्याण की ऐसी स्थितियां पैदा करने के लिए, जो राष्ट्रों में समानतामूलक अधिकार और स्वअवधारणा के सिद्धांत, सम्मान पर आधारित शांतिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिये आवश्यक है–

- ☞ उच्च जीवन स्तर, पूर्ण रोजगार तथा आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति और विकास की स्थितियां.
- ☞ अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक शैक्षणिक सहयोग. जाति, लिंग, भाषा और धर्म के बिना भेद के सभी के लिए मानवाधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रति सार्वभौमिक सम्मान एवं उनका अनुपालन. (अनुच्छेद– 55)

4. नवम्बर 2004 में खाद्य एवं कृषि संगठन के 127वें अधिवेशन में अंगीकृत

(खाद्य एवं कृषि संगठन रोम : 2005) – खाद्य सुरक्षा तभी सुनिश्चित मानी जाएगी, जब दुनिया में सभी लोगों की हर रोज पर्याप्त, सुरक्षित एवं पौष्टिक भोजन तक शारीरिक एवं आर्थिक पहुंच हो. खाद्य सुरक्षा के चार स्तंभ हैं – उपलब्धता, आपूर्ति की स्थिरता, पहुंच और उपयोग. (भाग एक, पैरा 15)

[1] http://www.un.org/en/documents/udhr/
[2] http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx

बाल–अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समझौते (1989) के अनुच्छेद 24[3] के मुताबिक

समझौते में शामिल देश बीमारी के उपचार और फिर स्वस्थ रहने के लिए उच्चतम संभव स्वास्थ्य सम्बन्धी मानक सुविधाएँ प्राप्त करने के बच्चे के अधिकार को मान्यता देते हैं. समझौते में शामिल देश यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि किसी भी बच्चे को ऐसी स्वास्थ्य सेवाएं पाने के अधिकार से वंचित न होना पड़े.

(ग) बीमारी और कुपोषण दूर करने के प्रयास करना, इसमें स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रारंभिक देखभाल के दायरे में, अन्य बातों के अलावा, तुरंत और आसानी से उपलब्ध टेक्नोलोजी के जरिये और पर्याप्त पौष्टिक भोजन और साफ पेयजल उपलब्ध करके और पर्यावरण प्रदूषण के खतरों को पूरी तरह ध्यान में रखते हुए, बीमारी और कुपोषण को दूर करने के प्रयास शामिल हैं.

(घ) बच्चे के जन्म से पूर्व और बाद में माताओं के लिए उपयुक्त स्वास्थ्य सम्बन्धी देखभाल सुनिश्चित करना.

यह घोषणा पोषण–सम्बंधी बच्चों के अधिकार की साफ तौर पर व्याख्या करती है. बाल अधिकार समझौता कहता है, "इस पर दस्तखत करने वाले सभी देश इस अधिकार का पूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करें और खासतौर पर इसके लिए उपयुक्त कदम उठायें, जैसे रोग एवं कुपोषण से निपटने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य के ढांचे में अन्य बातों के साथ–साथ तुरन्त उपलब्ध टेक्नोलॉजी का प्रयोग, पर्याप्त पौष्टिक आहार व पीने का साफ पानी मुहैया कराना."

खाद्य एवं कृषि संगठन

खाद्य एवं कृषि संगठन बाल–अधिकारों पर समझौते (सी.आर.सी.) का हवाला देता है. धारा 21 (1) में कहा गया है कि सभी बच्चों को एक ऐसा जीवन जीने का अधिकार है, जो उनके शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक व सामाजिक विकास के हिसाब से पर्याप्त हो. हस्ताक्षरकर्ता देशों से सी.आर.सी की अपेक्षा है कि वे बाल–कुपोषण को खत्म करेंगे (धारा 24 (2)सी), खासकर पोषण के संदर्भ में "एक अच्छे जीवन–स्तर हेतु बच्चों के अधिकार के क्रियान्वयन के प्रति माता–पिता के प्राथमिक कर्तव्य पालन में मददगार होने में उपयुक्त कदम उठायेंगे (धारा 27 (3)."

इसका मतलब यह है कि भारत के संविधान से लेकर सर्वोच्च न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और संधियों में बार–बार बच्चों के पोषण के अधिकार के बारे में उल्लेख किया गया है और वायदा किया गया है कि समाज और सरकार मिलकर बच्चों के पोषण का अधिकार सुनिश्चित करेंगे.

5. अन्य प्रावधान

इस संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र संघ के बाल अधिकार समझौते की धारा–27.1 और 27.3 और महिलाओं के खिलाफ होने वाले हर तरह के भेदभाव की समाप्ति के लिये सम्मेलन (सीडा) के घोषणा पत्र (धारा–12) महिलाओं और बच्चों की खाद्य–पोषण सुरक्षा के बारे में **राज्य की जिम्मेदारी** को स्पष्ट करते हैं.

[3]पृष्ठ 10, बच्चों के अधिकार वैकल्पिक प्रोटोकाल सहित बच्चे और हमारी जिम्मेदारी यूनिसेफ का प्रकाशन

भारत ने भी मानव अधिकारों के अन्तर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के घोषणा पत्र एवं बाल अधिकार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं.

इस परिप्रेक्ष्य में भारतीय राज्य व्यवस्था ने योजनाएं और अधिनियम बना कर अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है.

खाद्य सुरक्षा की परिभाषाएं और पोषण का अधिकार

1. विश्व खाद्य सम्मेलन (1974) के मुताबिक "कीमतों और उत्पादन के उतार–चढ़ाव की स्थिति से निपटने और भोजन के उपभोग के सतत विस्तार को बनाए रखने के लिए बुनियादी भोजन सामग्री की आपूर्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करना[4]"

2. वर्ष 1983 में खाद्य और कृषि संगठन ने इस परिभाषा को विस्तार दिया "यह सुनिश्चित करना कि सभी लोगों की उनकी जरूरत के लिए बुनियादी भोजन तक हर समय भौतिक और आर्थिक पहुंच हो[5].

3. वर्ष 1986 में विश्व बैंक की रिपोर्ट– पावर्टी एंड हंगर के मुताबिक "एक सक्रिय और स्वस्थ्य जीवन के लिए हर व्यक्ति की हर समय पर्याप्त भोजन तक पहुंच होना जरूरी है.[6]"

4. 1990 के मध्य तक आते–आते खाद्य सुरक्षा एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय बन गयी, इसे व्यक्ति से लेकर वैश्विक संदर्भ तक जोड़ कर देखा गया. अब भोजन तक पहुंच की सोच में पर्याप्त भोजन, विद्यमान प्रोटीन–ऊर्जा की कमी वाले कुपोषण से जुड़े पहलू शामिल हो गए. लेकिन परिभाषा का विस्तार करते हुए सक्रिय और स्वस्थ जीवन के लिए भोजन की संरचना और सूक्ष्म पोषक तत्वों से साथ खाद्य सुरक्षा (सेफ्टी) और पोषक तत्वों के संतुलन के महत्व को इसमें जोड़ा गया.[7]

5. वर्ष 1996 में विश्व खाद्य सम्मलेन में एक और जटिल परिभाषा अपनाई गयी – एक व्यक्ति, परिवार, राष्ट्र, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा तभी हासिल होती है, जब सभी लोगों को सक्रिय और स्वस्थ जीवन जीने के लिए जरूरी, हर समय उनकी खुराक की जरूरत और उनकी भोजन की प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त, सुरक्षित और पोषण युक्त भोजन तक भौतिक और आर्थिक पहुंच सुनिश्चित हो.[8]

6. वर्ष 2001 में खाद्य सुरक्षा की स्थिति में परिभाषा को फिर से स्पष्ट किया गया – खाद्य सुरक्षा की स्थिति तभी होती है जब सभी व्यक्तियों को हर समय खुराक की जरूरत को पूरा करते हुए सक्रिय और स्वस्थ जीवन जीने के लिए पर्याप्त, सुरक्षित और पोषक और उनकी प्राथमिकता वाले भोजन तक भौतिक, सामाजिक और आर्थिक पहुंच सुनिश्चित हो.[9]

---

[4]United Nations- 1975- Report of the World Food Conference] Rome 5&16 November 1974- New York (अनुवाद)
[5]FAO. 1983. World Food Security: a Reappraisal of the Concepts and Approaches. Director General's Report. Rome. (अनुवाद)
[6]World Bank. 1986. Poverty and Hunger: Issues and Options for Food Security in Developing Countries. Washington DC (अनुवाद)
[7]http://www.fao.org/docrep/005/y4671e/y4671e06.htm (अनुवाद)
[8]FAO. 1996. Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit Plan of Action. World Food Summit 13-17 November 1996. Rome. (अनुवाद)
[9]FAO. 2002. The State of Food Insecurity in the World 2001. Rome. (अनुवाद)

7. आज भी ज्यादा जोर उपभोग, मांग और वंचित तबकों की भोजन तक पहुंच से जुडे पक्षों पर है. इसे प्रोफेसर अर्मत्य सेन ने अपने अध्ययनों से बहुत साफ किया है. वे खाद्य सुरक्षा की अवधारणा में व्यक्ति और परिवार के भोजन के हकों पर ज्यादा जोर देते हैं.[10]

8. सही नीतियां बनाने और उनके क्रियान्वयन के मकसद से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य सुरक्षा और पोषण की अवधारणा को एक साथ उपयोग में लाया जाने लगा है. इन दोनों को एक साथ रखने के पीछे का मकसद यह है कि खाद्य सुरक्षा और पोषण एक दूसरे से जुडी हुई अवस्थाएं और जरूरतें हैं.

9. पिछले कुछ सालों में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में इन विषयों पर महत्वपूर्ण पहल करके पोषण और मातृत्व हक को पहला कानूनी आकार दिया. फिर इसके बाद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अस्तित्व में आया. इन तमाम सन्दर्भों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों को देखे जाने की जरूरत है, जो पोषण, कुपोषण की पहचान और मातृत्व हक को कानूनी अधिकार का दर्जा देते हैं. इतना ही नहीं इस अधिनियम में कहा गया है कि पोषण उपलब्ध करवाने वाले संस्थानों (स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्र) में पीने के पानी, रसोईघर और स्वच्छता की व्यवस्था भी होना चाहिए. जवाबदेहिता सुनिश्चित करने और शिकायत निवारण के लिये ढांचागत व्यवस्थाएं की गयी हैं.

खाद्य सुरक्षा एक व्यापक अवधारणा है, जिसमें सभी को सम्मानजनक तरीके से भरपेट पौष्टिक भोजन, साफ पानी, पर्याप्त उत्पादन, जन साधारण की क्रय शक्ति बढ़ाना आदि पहलू शामिल है.

देश के हर व्यक्ति को उसके जीवन चक्र में पूरे समय पर्याप्त मात्रा में ऐसे विविधतापूर्ण भोजन की पहुंच सुनिश्चित होना, जिसमें कार्बोहाईड्रेड, प्रोटीन, वसा, सूक्ष्म पोषक तत्व मौजूद हों. इन तत्वों की आपूर्ति अलग–अलग तरह के अनाजों, दालों, तेल, दूध, अण्डे, सब्जियों और फलों से होती हैं, इसलिए इनकी उपलब्धता के साथ ही ऐसी परिस्थितियां भी बननी चाहिए कि लोग इन्हें आसानी से खरीद सकें. इसी संदर्भ में साफ पेयजल की उपलब्धता भी जरूरी है.

दूसरे शब्दों में खाद्य सुरक्षा का अर्थ हैः समाज में हर समय सभी लोगों को समुचित मात्रा में पर्याप्त संतुलित भोजन भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक रूप से उपलब्ध हो. खाद्य सुरक्षा के मुख्य रूप से तीन पहलू होते हैं – भोजन की उपलब्धता, भोजन तक पहुंच एवं भोजन का उपयोग.

भोजन की उपलब्धता

भोजन की उपलब्धता का मतलब होता है कि देश में सभी लोगों के लिए पौष्टिक भोजन के जरूरी तत्वों/सामग्री–जैसे अनाज, दालें, तेल, सब्जी, दूध आदि का उत्पादन हो रहा है. इनके भण्डारण की व्यवस्था न होने, निर्यात, दुरूपयोग आदि का उपलब्धता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है. बात चाहे अनाज के गोदामों में सड़ने की हो, फल–सब्जियों के खराब होने या खाने के सामान का निर्यात करने की या फिर संपन्न तबके द्वारा भोजन को बर्बाद करने की, ऐसा होने पर भोजन की उपलब्धता कम हो जाती है. देश के हर कोने में सभी जरूरतमंदों को भोजन तभी उपलब्ध होगा, जब खाद्य पदार्थों का वितरण और सुरक्षा तंत्र मजबूत हो.

[10]Sen, A. 1981. Poverty and Famines. Oxford: Clarendon Press. (अनुवाद)

भोजन तक पहुंच

इसका मतलब सभी लोगों तक भोजन की पहुंच सुनिश्चित करना है, यह तभी होगा, जब इन बातों पर अमल हो.

अ. **सभी को भोजन** – हरेक व्यक्ति को जन्म से पहले गर्भ में और उसके बाद भी मृत्यु तक आवश्यकता के अनुसार हमेशा पर्याप्त पौष्टिक भोजन मिले.

ब. **हर समय और हर जगह भोजन** – हर परिस्थिति में, हर समय और हर जगह पर – शहर, गांव, कस्बा, मोहल्ला, सड़क, फुटपाथ पर व्यक्ति को सम्मानजनक तरीके से भोजन उपलब्ध हो.

स. **पर्याप्त भोजन मिले** – एक व्यक्ति को जिन्दा रहने के लिए रोज कम से कम 1500 कैलोरी ऊर्जा देने वाला भोजन चाहिए. स्वस्थ पोषण के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के अनुसार कार्य की विभिन्न परिस्थितियों में एक वयस्क व्यक्ति के 1875 – 3800 कैलोरी की आवश्यकता होती है. इतना भोजन आवश्यक रूप से मिलना चाहिए.

द. **संतुलित भोजन** – संतुलित भोजन में ऊर्जा (कैलोरी) के तीन स्रोत होते हैं :

प्रोटीन – एक ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है. ऐसे में कुल भोजन का 25 से 30 प्रतिशत हिस्सा प्रोटीन होना चाहिए. प्रोटीन मुख्यतः दालों, अण्डा और मांस से मिलता है.

कार्बोहाइड्रेट – एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है. कुल भोजन का 40 से 45 प्रतिशत हिस्सा कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए. कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः अनाज, खासकर मोटे अनाज से प्राप्त होता है.

वसा – 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है. कुल भोजन का 30 से 35 प्रतिशत हिस्सा वसा से आना चाहिए. भोजन में वसा मुख्यतः घी एवं तेल से प्राप्त होता है.

पौष्टिक भोजन के लिए ऊर्जा के उपरोक्त तीन स्रोतों के अतिरिक्त विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, आयरन, सोडियम एवं पोटेशियम आदि की भी जरूरत है. इनके अभाव में भोजन पौष्टिक नहीं रहता. ये तत्व दूध, दही, सब्जियों एवं फलों से मिलते हैं.

य. **सुरक्षित भोजन** : भोजन का सुरक्षित होना भी जरूरी है. भोजन सुरक्षित न हो तो बीमारियां घेर लेती हैं, मृत्यु तक हो सकती है. सुरक्षित भोजन का मतलब है कि इसमें किसी भी तरह की मिलावट न हो. वर्तमान में जीनांतरित (जीएम) भोजन सामग्री के उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित नहीं है. रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के मानव स्वास्थ्य पर बुरे प्रभाव अब साबित हो चुके हैं.

भोजन का उपयोग (अवशोषण के संदर्भ में) : भोजन के उपयोग का मतलब है कि जो खाना खाया जा रहा है, उसे शरीर पचा पा रहा है या नहीं. अगर किसी व्यक्ति को भोजन पचता नहीं है तो भोजन की उपयोगिता नहीं रह जाती है. वह कुपोषण का शिकार हो सकता है. अतः व्यक्ति का स्वास्थ्य ऐसा हो कि वह भोजन को पचा सके. इसके लिए बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं, साफ पीने का पानी और आसपास साफ–सफाई की आवश्यकता है.

पोषण की असुरक्षा का मतलब

"ब्रिटिश कन्साइज इनसायक्लोपीडिया में इसे अपर्याप्त भोजन अथवा पोषक तत्वों को अवशोषित करने या पचाने में असमर्थता के चलते पैदा होने वाली स्थिति बताया गया है. मुमकिन है कि शिशु को दिया जाने वाला आहार उसे सही कैलोरी या प्रोटीन नहीं उपलब्ध करा पा रहा हो. यह भी संभव है कि इस आहार में एक या इससे अधिक विटामिन व खनिज तत्वों की कमी हो. इससे शिशु को आगे चलकर कुपोषण से जुड़ी कुछ खास तरह की बीमारियां (बेरीबेरी, पेलाग्रा, रिकेट्स या स्कर्वी) हो सकती हैं. कुपोषण के चलते शिशु के पाचन तंत्र, लिवर, किडनी पर असर पड़ सकता है, साथ ही लाल रक्त कोशिकाओं के चयापचय–सम्बंधी दोष पैदा होने से उम्र के साथ वह पोषक तत्वों को ठीक से पचा नहीं पाता."

बचपन की खाद्य असुरक्षा की वर्तमान स्थिति को मूलतः संयुक्त राष्ट्र के सम्बद्ध समझौतों के द्वारा निर्धारित 'भोजन अधिकार' व 'भूख से मुक्ति' के निर्णायक संदर्भ में देखा जाना चाहिए. आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों का प्रतिज्ञा पत्र (सी.ई.एस.सी.आर.) अपने छठें पैराग्राफ की सामान्य टिप्पणी क्रमांक 12 में स्पष्ट करता है, "भोजन का अधिकार तभी फलीभूत होता है, जब समुदाय में या अपने निजी स्तर पर, प्रत्येक पुरुष, महिला एवं बच्चे को हर समय पर्याप्त भोजन उपलब्ध हो या फिर उसकी प्राप्ति के साधन मुहैया हों." भोजन के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत द्वारा यह परिभाषा और भी विकसित की गयी है. इसके अनुसार,'भोजन के अधिकार का मतलब है – प्रत्यक्ष तरीके से या वित्तीय साधनों के जरिए या अप्रत्यक्ष ढंग से नियमित, स्थायी और बिना किसी बाधा के पर्याप्त मात्रा और गुणवत्ता के लिहाज से पर्याप्त और भरपूर ऐसा भोजन, जो व्यक्ति के समुदाय की खान–पान सम्बंधी सांस्कृतिक व्यवस्थाओं के अनुरूप हो और जिसे हासिल करके व्यक्तिगत एवं सामूहिकता में शारीरिक और मानसिक रूप से एक संतुष्ट, गरिमामय और निडर जीवन जिया जा सकता हो.

सी.ई.एस.सी.आर. टीप 12 पैरा 8 व 13, के अनुसार भोजन अधिकार की प्राप्ति के लिये ये चीजें जरूरी हैं – भोजन की पर्याप्त मात्रा और गुणवत्ता के साथ उपलब्धता भोजन प्राप्त करने की क्षमता और अवसर यानी कि व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर पर्याप्त भोजन को प्राप्त कर सकने की आर्थिक एवं भौतिक योग्यता.

हमें इन्हीं विवरणों और परिभाषाओं के संदर्भ में बच्चों हेतु खाद्य सुरक्षा को दृष्टिगत रखना होगा. यानी एक ऐसा बाल–केन्द्रित तरीका जो सभी बच्चों की खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में ऊपर उल्लिखित तमाम आवश्यकताओं और प्रतिबद्धताओं को सर्वोपरि रखे.

महिलाओं और बच्चों की पोषण सुरक्षा

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत महिलाओं और बच्चों की पोषण सुरक्षा के लिए अहम् प्रावधान किए गए हैं. इसके पीछे नजरिया यह है कि जीवन चक्र के नजरिए से गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं और धात्री महिलाओं की खाद्य और पोषण सुरक्षा सम्बंधित जरूरतें कुछ विशेष होती हैं. चूंकि यह अधिनियम केवल खाद्यान्न की सुरक्षा तक ही केंद्रित नहीं है, और इसका दायरा जीवन चक्र की अवधारणा तक विस्तार लिए हुए है, इसलिए इसकी व्यवस्था की गंभीरता को महसूस करना बहुत जरूरी है.

अ. यदि गर्भवती महिला को गर्भावस्था के दौरान पर्याप्त पोषण हासिल नहीं होता है, तो इससे उसके अपने जीवन और गर्भस्थ शिशु के विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है. इसके लिए अधिनियम में एकीकृत

बाल विकास सेवाओं के माध्यम से गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण आहार पाने का अधिकार दिया गया है.

आ. प्रसव के उपरान्त महिला और नवजात शिशु का जीवन एक दूसरे से जुड़ा होता है. महिला को भी विशेष पोषण आहार की जरूरत होती है ताकि वह जल्दी स्वस्थ और सक्रिय हो सके. इतना ही नहीं नवजात शिशु की निर्भरता माँ के दूध पर होती है, वह भी पूरी हो सके.

इ. बच्चे की उम्र छः माह होते ही उसे शारीरिक–मानसिक विकास के लिए विशेष पोषण आहार की जरूरत होती है. इसका प्रावधान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में किया गया है. मकसद यह है कि बच्चे कुपोषण और बीमारी के दुरूह चक्र में न फंसें और जीवन के शुरूआती वर्षों में अधिकतम विकास कर सकें.

समुदाय के स्तर पर आजीविका की असुरक्षा और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले साधनों के छीने जाने और सामुदायिक प्रबंधन की व्यवस्था खत्म होने के कारण परिवार के सदस्यों के हर रोज के खाने में कुछ न कुछ अभाव रहने लगा है. इस स्थिति में बच्चों को उनकी उम्र की संवेदनशीलता (चूंकि बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए उन्हे पोषण युक्त भोजन अनिवार्य होता है) के मान से भोजन उपलब्ध नहीं होता है और कुपोषण की स्थिति पैदा होती है.

लैंगिक भेदभाव के कारण भोजन के वितरण में असमानता मौजूद रहती है और महिलाओं की जरूरत पूरी नहीं हो पाती है. इस पर भी लड़कियों और किशोरी बालिकाओं के साथ भोजन के हक में भेदभाव बच्चों के जीवन के साथ जुड़ जाता है.

गर्भावस्था में स्वास्थ्य सेवायें और पोषण नहीं मिलने के कारण महिलायें असुरक्षित मातृत्व के जोखिम में होती हैं और जन्म लेने वाले बच्चे अक्सर कम वजन (कुपोषण का एक प्रकार) के होते हैं. इसके बाद यह पाया जाता है कि जन्म के तत्काल बाद एक घंटे के भीतर जरूरी माँ का दूध नवजात शिशु को नहीं मिलता है. इतना ही नहीं कुछ प्रकरणों में 24 से 72 घंटे तक बच्चे को माँ का दूध नहीं मिलता है. और वह भूखा रहता है, इससे कुपोषित बच्चों की संख्या बढती है. फिर हम पाते हैं कि ज्यादातर महिलाएं असंगठित क्षेत्र में काम करती हैं या घर में श्रम करती हैं. इन्हें आराम, आजीविका की सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और बच्चों को स्तनपान करने के लिए कोई विशेष संरक्षण या हक नहीं मिलते हैं. उन्हें प्रसव के कुछ ही दिनों बाद मजदूरी या काम में जुटना पड़ता है. इससे महिलाओं के जीवन पर जोखिम बढ़ता है. इसके साथ ही बच्चों को मिलने वाले माँ के दूध के अवसर भी कम होते हैं. इस पहलू पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में उल्लेख है कि विभिन्न माध्यमों से जन्म के तत्काल बाद स्तनपान शुरू करवाने से लेकर छः माह की उम्र तक बच्चे को केवल स्तनपान मिल सके, इसके लिए विशेष प्रयास किए जाते रहेंगे.

बच्चों के जीवन का अगला महत्वपूर्ण चरण होता है छह माह की उम्र होते ही उपयुक्त (नरम ठोस आहार मिलना) ऊपरी भोजन मिलना. समाज में जब शिशु भोजन करना शुरु करते हैं तब उसे एक तरह के समारोह के रूप में मनाया जाता है. मध्यप्रदेश में विकास संवाद, स्पंदन और सीडीसी द्वारा किए गए अध्ययन से पता चला कि व्यापक तौर पर छह माह के स्थान पर बच्चों को 8 से 9 माह की उम्र में ऊपरी आहार देना शुरू किया जा रहा है (विकास संवाद, 2013). इससे बच्चों का वजन न केवल कम हुआ, बल्कि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हुई. यह पाया गया कि ज्यादातर बच्चे अतिसार (डायरिया), बुखार, खसरा, निमोनिया और त्वचा की बीमारियों से

बार–बार ग्रसित हो रहे हैं. यही बीमारियाँ बच्चों की मौतों का सबसे बड़ा कारण भी बन रही हैं. बार–बार बीमार होने से भी बच्चे कमजोर पड़ रहे हैं और कुपोषण का फंदा ज्यादा कड़ाई से कस रहा है.

महिलाओं की खाद्य सुरक्षा और भेदभाव के कारण बच्चों का कम वजन का या कुपोषण होना, परिवार और समुदाय के स्तर की खाद्य असुरक्षा, बार–बार बीमार पड़ने से कुपोषण के बीज पनपते हैं. बचपन की खाद्य और पोषण असुरक्षा समाज में एक ऐसा वर्ग खड़ा करती है, जिसे भविष्य में कमजोर और अनुत्पादक मानकर विकास की मुख्यधारा से बाहर कर दिया जाता है. आज का विकास व्यक्तिगत कौशल और क्षमताओं की बुनियाद पर खड़ा है और यही आगे बढ़ने की शर्त भी है. परन्तु कुपोषण का जाल बच्चों को विकास की दौड़ में कहीं टिकने नहीं देगा.

परिवार और समुदाय के बीच बढ़ रहे आजीविका के संकट ने बच्चों की खाद्य सुरक्षा को गंभीर बनाने में गहरी भूमिका निभाई है. बेरोजगारी और आर्थिक बदहाली के कारण बढ़ रहा पलायन उनके जीवन में चुनाव का कोई विकल्प ही नहीं छोड़ रहा है. यह बदहाली इतनी ज्यादा है कि परिवार रोजी–रोटी की तलाश में अपने दो–तीन माह के शिशुओं के लेकर पलायन करने पर मजबूर हैं. ऐसे स्थानों पर भी, जहां न कोई संरक्षण है, न स्वास्थ्य सेवा. सामाजिक बहिष्कार और जाति आधारित उपेक्षा बच्चों के पोषण के हक का हनन करती है. इसी तरह बड़ी विकास परियोजनाओं के कारण होने वाले विस्थापन के कारण सामाजिक और प्राकृतिक संसाधन आधारित खाद्य सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हुई है. इस विस्थापन और सही–सम्मानजनक पुनर्वास के अभाव में बच्चे स्थायी कुपोषण में धकेले गए हैं. इसका मतलब है कि समानता और गरिमा का अधिकार भी पोषण और भोजन के अधिकार के साथ जुड़ा हुआ है.

जन्म के समय शिशु का कम वजन भी उसकी ताउम्र अस्वस्थता का बड़ा कारण होता है. गर्भावस्था के समय उचित आहार न मिलने और घरेलू हिंसा की शिकार होने के कारण महिलाओं के साथ–साथ बच्चों की स्थिति भी खराब हो रही है. घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं के बच्चों में स्नायु तंत्र से सम्बन्धित रोगों के मामले बढ़े हैं.

राष्ट्रीय पोषण संस्थान की एक रपट के अनुसार वे सभी बच्चे जिनका जन्म के समय वजन कम था, अधिकांश गरीब परिवारों से आते थे. एक तिहाई बच्चों की मौत जन्म के समय कम वजन के कारण ही होती है. पोषण की कमी के चलते बच्चों में तपेदिक (टीबी) जैसे संक्रामक रोगों के बढ़ते प्रभाव को भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है.

भारत में महिलाओं की सबसे बड़ी आबादी असंगठित क्षेत्र में काम करती है. इनके लिए न तो रोजगार की सुनिश्चितता होती है, न ही स्वास्थ्य और मातृत्व हकों का कोई प्रावधान रहा है. इस पहलू पर भारत में पहली बार सभी महिलाओं को मातृत्व हक के रूप में रुपए 6000 की सहायता का प्रावधान किया गया है, ताकि गर्भावस्था के दौरान ऐसी महिलाओं को, जिन्हें किसी अन्य माध्यम से मातृत्व हक नहीं मिलते हैं, पोषण सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिल सके.

बात स्पष्ट है कि भोजन का अभाव अपने आप में वंचितपन पैदा भी करता है और बच्चों को कुपोषण–बीमारी के जटिल चक्र में धकेल देता है. इस चक्र को तोड़ने की जरूरत है.

अध्याय 2

भारत में खाद्य सुरक्षा - ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन ने द हिंदू में प्रकाशित अपने एक लेख (जिसका शीर्षक था – फ्राम बंगाल फेमिन टू राईट तो फूड) में लिखा कि बंगाल के अकाल की महात्रासदी को कुछ कारकों ने मिल कर रचा – बर्मा पर जापान का कब्जा, खरीफ की फसल में बीमारी और ज्वारीय लहरों के कारण धान की फसल का नुकसान, शासन व्यवस्था की नाकामी, उपलब्ध खाद्यान्न का सही वितरण न होना और ब्रिटिश सरकार का अविभाजित बंगाल क्षेत्र में भुखमरी के इस संकट के प्रति उदासीन होना. जब हम बंगाल की बात करते हैं, तो उसमें केवल आज का पश्चिम बंगाल शामिल मत मानिए. वहाँ 1942 में जबरदस्त पैदावार हुई थी, पर 1943 के अकाल के समय भी ब्रिटिश सरकार भारत के उत्पादन को निर्यात कर रही थी. जिससे आज के पश्चिम बंगाल, ओडीसा, बिहार और बांग्लादेश में खाने का संकट पैदा हुआ.

पूरी दुनिया में वर्ष 2007 से 2014 के बीच मंहगाई और खाद्य असुरक्षा के विषय बड़ी चुनौतियों के रूप में सामने आए. ऐसा नहीं है कि इस सदी में भारत में खाद्यान्न की कमी है. इन 8 सालों में भारत के किसानों ने औसतन 23 से 24 करोड़ टन अनाज पैदा किया. इसमें से लगभग एक चौथाई सरकार ने खरीदा और सुरक्षित भण्डार बनाये. इन सालों में सरकार के गोदामों में हर साल लगभग 6 करोड़ टन अनाज रखा रहा. वर्ष 2012–14 के बीच एक समय पर तो 8 करोड़ टन खाद्यान्न का भण्डारण था. जब हम आधुनिक भारत में खाद्य सुरक्षा की चर्चा करते हैं, तो ब्रिटेन के भारत पर औपनिवेशिक शासन को नजरंदाज कर पाना नामुमकिन है.

आंकड़े बताते हैं कि ब्रिटिश–कालीन भारत के 200 साल के दौर में पूरे इतिहास के सबसे ज्यादा अकाल पड़े आखिर क्यों? क्या ये अकाल महज प्राकृतिक घटना थे या ये अकाल रचे गए थे? अध्ययन बताते हैं कि ये अकाल वास्तव में व्यवस्था द्वारा रचे गए थे. 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तमिलनाडु, बिहार और बंगाल में लगातार अकाल पड़े. आंकलन है कि इन अकालों में 3 से 4 करोड़ लोगों की मौत हुई और इसी परिदृश्य में ब्रिटिश सरकार ने अकाल के समय पर लोगों को राहत देने के लिए अकाल संहिता (फेमिन कोड) बनायी.

ये तो केवल जानकारियां है, सवाल यह है कि सच्चाई क्या है? हम अक्सर 1943 के आसपास पड़े बंगाल के अकाल की चर्चा करते–सुनते हैं, परन्तु यही एकमात्र अकाल नहीं है, जिसनें लाखों लोगों की जान ली. औपनिवेशिक इतिहास इस तरह की कई घटनाओं का साक्षी है. माइक डेविस ने अपनी किताब (लेट विक्टोरियन होलोकास्ट्स) में लिखा है कि ब्रिटेन के 120 साल के शासनकाल में भारत में 31 बड़े अकाल पड़े. इन अकालों में 2.90 करोड़ लोगों की मौत हुई जबकि 2000 साल के इतिहास में भारत में कुल 17 अकाल पड़े थे.

भारत की खाद्य नीति और व्यवस्था

आधुनिक विश्व के इतिहास में द्वितीय विश्व युद्ध के गहरे असर दिखाई देते हैं. भारत की खाद्य सुरक्षा की स्थिति पर भी इसका बहुत गहरा असर था. युद्ध की उन स्थितियों में तत्कालीन गवर्नर जनरल्स परिषद में शामिल वाणिज्य सदस्य के अंतर्गत खाद्य विभाग की स्थापना की गई. इस मकसद का प्रस्ताव 30 नवंबर 1942 को रखा गया कि 1 दिसंबर 1942 से खाद्य विभाग काम करना शुरू करे. इसके बाद 10 दिसंबर 1942 को भारत की सभी प्रांतीय सरकारों और केंद्र से संचालित प्रदेशों को सूचना दी गई कि ''मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि भारत सरकार के खाद्य विभाग ने कार्य शुरू कर दिया है और इसने चीनी और नमक (लेकिन चाय अथवा कॉफी नहीं) सहित खाद्य पदार्थों के मूल्य और संचालन को नियंत्रित करने से संबंधित सभी मुद्दे अपने हाथ में ले लिए हैं. खाद्य पदार्थों से संबंधित निर्यात व्याापार नियंत्रण संबंधी प्रशासन इस विभाग को हस्तांतरित करने के संबंध में अधिसूचना जारी की जा रही है. सेना के लिए खाद्य पदार्थों की खरीद, जो इस विभाग का एक कार्य होगा, तत्पश्चात घोषित की जाने वाली तारीख तक आपूर्ति विभाग द्वारा जाती रहेगी.'' इसका आशय यह है कि खाद्य विभाग का शुरूआती काम मूल्य और उनके वाणिज्यिक उपयोग को संचालित करना था.

इसके बाद जब भारत की अंतरिम सरकार बनी, तब डॉ. राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि विभाग के मंत्री बनाये गए. पूर्ण स्वतंत्रता के बाद 29 अगस्त 1947 को खाद्य विभाग का पुनर्गठन करके इसे खाद्य मंत्रालय के रूप में तब्दील कर दिया गया. चार साल बाद 1 फरवरी 1951 को कृषि मंत्रालय को खाद्य मंत्रालय से जोड़ दिया गया. परन्तु अक्टूबर 1956 में फिर से खाद्य और कृषि मंत्रालय को अलग अलग रूप दे दिया गया. वर्ष 1957 में फिर से इन दोनों को मिला दिया गया.

वर्ष 1960 से खाद्य विभाग का स्वतंत्रता ढांचा स्थाई रूप में आया. जब मंत्रालय को दो विभागों में विभाजित कर दिया गया. खाद्य विभाग को भारत के समाज यानी लोगों और सैन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए खाद्यान्न की खरीदी, खरीदी और आयात से निर्मित खाद्यान्न भण्डार से राज्यों को उनकी जरूरत के मान से वितरण, राष्ट्रीय खाद्य नीति की व्यवस्था, आयात और निर्यात से सम्बंधित व्यवस्था बनाने और संचालित करने की जिम्मेदारी दी गई. इसके बाद फिर इन दोनों विभागों को मिलाया गया. वास्तव में 1960 का दशक स्वतंत्र भारत के इतिहास में खाद्य सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण रहा है. पड़ोसी देशों से युद्धों और सूखे की स्थितियों ने भारत के सामने बड़ी चुनौतियां खड़ी कीं. वर्ष 1965 में देश में खाद्यान्न की कमी को ध्यान में रखते हुए खाद्य निगम अधिनियम, 1964 लागू किया गया, और स्थापना हुई भारतीय खाद्य निगम की.

हम सब जानते हैं कि 1965 के बाद के वर्षों में भारत ने हरित क्रान्ति की नीति अपनाई. जिससे देश में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ा. तब उत्पादकों को बाजार की उथल–पुथल से बचाने, खाद्यान्न की जमाखोरी रोकने, कीमतों के नियंत्रण और विपरीत परिस्थितियों में देश की खाद्य सुरक्षा को सुरक्षित रखने की व्यापक नीति बनने की प्रक्रिया शुरू हुई. 1983 में खाद्य और कृषि मंत्रालय दो अलग–अलग मंत्रालय बना दिए गए. इससे खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय का गठन हुआ.

भारत की खाद्य सुरक्षा व्यवस्था में वर्ष 1965 से यह व्यवस्था है कि भारत सरकारें, राज्य सरकारों के साथ सामंजस्य बना कर रबी और खरीफ उत्पादन मौसम के दौरान उत्पादकों से खाद्यान्न (मुख्य रूप से गेहूं और धान) की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी करती हैं.

इसके मुख्य पहलू थे –

- किसानों को बाजार की विसंगतियों से बचाते हुए सही दाम पर खरीदी करना ताकि उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा सके,
- सुरक्षित भण्डार (बफर स्टाक) रखना ताकि संकटों (प्राकृतिक आपदा, युद्ध आदि) का सामना किया जा सके,
- बाजार में कीमतों को नियंत्रण में रखना,
- आवश्यक वस्तुओं का सार्वजनिक वितरण करना,

इसी व्यवस्था के तहत भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की नीव रखी गई. इस प्रणाली के माध्यम से भारत सरकार सस्ती दरों पर नागरिकों को खाद्यान्न उपलब्ध करवाती रही है.

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश[11]

पी.यू.सी.एल. बनाम भारत सरकार व अन्य के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने साफ तौर पर कहा है –"न्यायालय इस बात को लेकर चिन्तित है कि समाज के निर्धन व बेसहारा व कमजोर तबके भूख व भुखमरी से न पीड़ित रहें. भूख और भुखमरी को रोकना सरकार – केन्द्र व राज्य, दोनों की प्राथमिक जिम्मेदारी बनती है. अब यह सब कैसे सुनिश्चित हो, एक नीतिगत मसला है जिसे सरकार को सुलझाना होगा. न्यायालय तो यह सुनिश्चित करना चाहती है कि सरकारी गोदामों में भरा पड़ा अनाज न तो समुद्र में फिंके और न ही चूहों का भोजन बने. बिना क्रियान्वयन के नीतियां निरर्थक हैं. महत्वपूर्ण यह है कि खाद्यान्न उन लोगों तक पहुंचे जो भूख और भुखमरी के शिकार हैं."

इसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार से कहा है कि "वह अपनी अत्यंत महत्वपूर्ण समेकित बाल विकास सेवाओं (आई.सी.एस.डी.एस.) का सर्वव्यापीकरण करे. इसका आशय है कि छह साल तक के हर बच्चे को आई.सी.डी.एस. के तहत सभी छह सुविधाएं गुणात्मक रूप से पाने का अधिकार है. इसके साथ न्यायालय यह भी हवाला देता है कि देश की सभी बसाहटों में एक–एक आई.सी.डी.एस. केन्द्र होना चाहिए."

सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न आदेश

- किसी भी कीमत पर अनाज खरीद पाने में अक्षम व्यक्ति को सरकार मुफ्त अनाज देने पर विचार करे.
- सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को पका हुआ ताजा मध्यान्ह भोजन मुहैया कराया जाए.
- राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन जनवरी 2002 तक पूरी तरह लागू हो तथा हर महीने की 7 तारीख तक बुजुर्गों को पेंशन जरूर मिल जाए.

[11]आईसीडीएस, मातृत्व हक और मध्यान्ह भोजन योजना के सन्दर्भ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों को थोडा विस्तार से अध्याय–6 में देखें.

- गरीबों, महिलाओं और दलितों को लाभान्वित करने पर विशेष जोर दिया जाए.
- पूरक पोषण आहार कार्यक्रम में ठेकेदारों का प्रवेश वर्जित किया जाए.
- ग्राम सभाओं को भोजन और रोजगार से जुड़ी सभी योजनाओं के सामाजिक अंकेक्षण और धन के दुरूपयोग की रिपोर्ट करने का अधिकार दिया गया है. उन्हें विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन पर नजर रखने की जिम्मेदारी भी दी गई है. वे इस बात पर भी नजर रखेंगे कि लाभार्थियों का चयन किस आधार पर किया गया है और उन्हें किस तरह लाभ पहुंचाया गया है.
- अधिकारियों का यह कर्तव्य है कि दोषियों को दंडित करे. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना के खिलाफ मुख्य कार्यकारी अधिकारी / जिलाधीश से एक पावती के साथ शिकायत की जाएगी. अंतिम रूप से राज्य के मुख्य सचिव जिम्मेदार होंगे.
- न्यायालय ने योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने और निरंतर निगरानी के लिए अपने आयुक्त नियुक्त किए हैं.
- गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की पहचान के लिए सरकार को दिशा–निर्देश जारी करने को कहा गया है.
- शीर्ष अदालत ने सभी राशन दुकानों को एक निश्चित समयावधि में पूरे महीने खोलने और दुकान के बाहर तख्ती पर अनाजों की उपलब्धता के बारे में विस्तृत विवरण लिखने को कहा है.
- गरीब, बेघर तथा समाज के कमजोर वर्ग को भूख और भुखमरी से रोकना सरकार का प्रमुख दायित्व है. चाहे वह केन्द्र सरकार हो या राज्य की सरकारें.
- सरकार सुनिश्चित करे कि जो अनाज भण्डार गृहों, खासकर भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में भरा पड़ा है वह समुद्र में डुबोकर या चूहों को खिलाकर कर बर्बाद न किया जाये, गरीबों में मुफ्त बांट दिया जाए.
- केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित योजनाओं – रोजगार गारंटी योजना (जो सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में बदला गया है), मध्यान्ह भोजन योजना, समेकित बाल विकास सेवा, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना (गरीबी रेखा के नीचे की महिलाओं को) 65 वर्ष से ऊपर के निराश्रित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, अन्नपूर्णा योजना, अन्त्योदय अन्न योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और बीपीएल–एपीएल परिवारों के लिए सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली को राज्य सरकारों द्वारा लागू किया जाना जरूरी है.

अध्याय 3

भारत में सामाजिक अधिकार से सम्बंधित कानून

इस अध्याय में हम भारत में हाल के वर्षों में अस्तित्व में आए ऐसे कानूनों पर चर्चा करेंगे, जिनका मकसद नागरिकों के सामाजिक अधिकारों का संरक्षण करना रहा है. महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले 20 सालों में अस्तित्व में आए ऐसे अधिनियमों के पीछे सामाजिक अभियानों की महत्वपूर्ण, सक्रिय और सकारात्मक भूमिका निभाई है. हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि सामाजिक–आर्थिक–राजनीतिक अधिकारों की व्यवस्था भारतीय संविधान की उद्देश्यिका में दर्ज मूलभूत सिद्धांतों – समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित होती है. जब हम ऐसे कानूनों की चर्चा करते हैं तो हमारी चर्चा के केंद्र मुख्य रूप से ये छह अधिनियम हो सकते हैं –

दिसंबर 2002– अनुच्छेद 21 ए (भाग 3) के माध्यम से 86वें संशोधन विधेयक में 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया.

1. **बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009** – भारत के संविधान में पहले शिक्षा का अधिकार नीति निर्देशक तत्वों में शामिल था. वर्ष 2002 में शिक्षा के अधिकार को गरिमा के साथ जीवन जीने के मूलभूत अधिकार के साथ जोड़ दिया गया. इसके लिए संविधान में 86 वें संशोधन के जरिये शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21(ए) (भाग 3) के रूप में स्थापित किया गया. जो शिक्षा के अधिकार के अधिनियम का आधार बना.

2. **राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2006** – भारत में योजनाओं के जरिये रोजगार की सुरक्षा प्रदान किए के लिए लगातार प्रयास होते रहे हैं. इसमें सुनिश्चित रोजगार योजना, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, काम के बदले अनाज कार्यक्रम, प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राहत कार्य मुख्य रूप से लागू किए गए. ये नीति आधारित कार्यक्रम रहे और आर्थिक संसाधनों, निगरानी, पारदर्शिता और जवाबदेहिता के मानकों पर कमजोर साबित हुए. ऐसे में भारत में वर्ष 2000–2001 से रोजी–रोटी अधिकार अभियान की शुरुआत हुई. जिसने रोजगार के लिए एक वैधानिक व्यवस्था की मांग स्थापित की. वर्ष 2006 में भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम बना. इस अधिनियम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सभी परिवारों को एक वर्ष में 100 दिन के श्रम आधारित रोजगार की कानूनी गारंटी प्रदान की गई.

3. **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005** – एक सभ्य और लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह जरूरी है कि लोगों को यह जानकारी रहे कि सरकार क्या, क्यों और कैसे कर रही है? चूंकि व्यवस्था संसाधनों (श्रम और आर्थिक संसाधन) से संचालित होती है और ये संसाधन नागरिकों के योगदान से इकठ्ठा होते हैं.

अतः हर व्यक्ति को यह जानने का अधिकार होना चाहिए कि जनता के संसाधनों का सरकार और व्यवस्था कैसे इस्तेमाल कर रही है. भारत में ब्रिटिश सरकार ने शासकीय गुप्तबात अधिनियम 1923 लागू किया था, जिसका मकसद शासन व्यवस्था की जानकारियों को छिपाना था. शासन व्यवस्था को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए मजदूर किसान शक्ति संगठन के जमीनी संघर्ष से सूचना का अधिकार अधिनियम बनाने लिए 1990 के दशक में शुरुआत हुई. इसके परिणाम स्वरूप सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अस्तित्व में आया.

4. **अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) कानून 2006** – भारत में अनुसूचित जनजाति समुदाय ऐतिहासिक रूप से जंगलों के साथ जीवन बिताते आए हैं. उनकी परम्पराएं, जीवन शैली, रीति–रिवाज और आजीविका, सब कुछ वन संसाधनों से जुड़ा रहा, किन्तु जब से संसाधनों पर नियंत्रण के लिए रिकार्ड–दस्तावेज आधारित व्यवस्था बनी, तब से आदिवासी समाज को वंचितपन का शिकार होना पड़ा. हमारी विकास परियोजनाओं के कारण हुए विस्थापन का भी अनुसूचित जनजातियों पर नकारात्मक असर पड़ा. ऐसे में 'अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) कानून 2006' बनाया और लागू किया गया. इस अधिनियम के तहत वन भूमि पर खेती कर रहे आदिवासी और गैर आदिवासियों को उस जमीन पर और सामुदायिक उपयोग के लिए अधिकार देने का प्रावधान किया गया.

5. **भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013** – भारत में आर्थिक और अधोसंरचना विकास की प्रक्रिया में वर्ष 1894 में बने भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत बड़े स्तर पर विस्थापन होता रहा है. इसे बदलने के लिए तीन दशकों तक जन अभियान चले. आखिर में भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार, पुनर्वास और पुर्नस्थापना अधिनियम, 2013 बना जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के बाजार मूल्य से चार गुना और शहरी क्षेत्रों में भूमि के बाजार मूल्य से दो गुना राशि के बराबर मुआवजे, ग्राम सभा और स्थानीय निकाय की भूमिका को सशक्त बनाने वाले प्रावधान आए.

6. **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013** – जिस तरह भारत में रोजगार के लिए कई योजनाएं संचालित होती रहीं, वैसे ही खाद्य और पोषण की सुरक्षा के लिए भी 1965 से कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पूरक पोषण आहार कार्यक्रम, मध्यान्ह भोजन योजना इसी के हिस्से रहे हैं. भारत के उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने अलग अलग अवसरों पर भोजन–पोषण के अधिकार को जीवन जीने के मूलभूत अधिकार के साथ जोड़ कर परिभाषित किया है. इस विषय पर वर्ष 2001 से 2017 तक उच्चतम न्यायालय में पीयूसीएल बनाम भारत सरकार एवं अन्य का प्रकरण भी चला. इन 17 सालों में भारत में भोजन और पोषण के अधिकार पर एक बड़ा सामाजिक अभियान खड़ा हुआ. यह बात मानी गई कि खाद्य असुरक्षा, कुपोषण, सूखा–अकाल आदि की स्थितियों में सतत विकास के लक्ष्य हासिल कर पाना संभव नहीं हो पायेगा. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत देश की 67 प्रतिशत यानी दो तिहाई आबादी को शामिल किया गया है.

इन मुख्य अधिनियमों के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि वर्तमान आर्थिक विकास की नीतियों के तहत भी समाज में शिक्षा, भोजन, रोजगार, पुनर्वास, जमीन के अधिकार से सम्बंधित व्यवस्थाएं "राज्य" की जिम्मेदारी में

होने चाहिए. इसके साथ ही व्यवस्था को जवाबदेय बनाने के लिए पारदर्शिता और सामाजिक सहभागिता एक अनिवार्यता है. वास्तव में पिछले बीस सालों में हमारी संसद द्वारा बनाए गए ये अधिनियम इस बात का प्रमाण भी हैं कि ऊंची आर्थिक विकास दर के बीच लोगों के जीवन के बुनियादी मसले अभी हल नहीं हुए हैं. इसके लिए वक्त आने और जागरूक होने पर समाज एकजुट होता है, संगठित होता है और लोकतांत्रिक मूल्यों का उपयोग करते हुए अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करता है. इसके साथ ही यह लोकतांत्रिक व्यवस्था की खूबसूरती भी है कि राजनीतिक और राज्य व्यवस्था को संगठित समाज की आवाज को सुनना पड़ता है और जरूरी कार्यवाही–पहल भी करना पड़ती है.

अध्याय 4

सतत् विकास लक्ष्य - 2030 और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013

"2015 पश्चात् विकास एजेंडा" अंगीकृत किए जाने के लिये न्यूयॉर्क में 25 से 27 सितंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र संघ की 193 सदस्यीय महासभा के 70वें अधिवेशन में शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ. इस सम्मेलन में दुनिया भर के 150 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों ने हिस्सा लिया. सम्मेलन में "सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य" (एमडीजी – Millennium Development Goals – मिलेनियम डवेलपमेंट गोल्स) के स्थान पर "वर्ष 2030 के लिये सतत विकास लक्ष्य" (एसडीजी – Sustainable Development Goals – सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स) को औपचारिक तौर पर अंगीकार किया गया.

वास्तव में एसडीजी 2030, 'हमारी दुनिया में बदलाव – टिकाऊ विकास के लिये 2030 की विषय वस्तु[12] प्रस्तुत करते हैं जिनमें अगले 15 वर्षों के लिए कुल 17 विकास लक्ष्य और 169 गन्तव्य (टार्गेट) तय किए गये हैं. ये 169 बिंदु हर लक्ष्य की व्यापकता को स्पष्ट करते हैं. दुनिया भर में यह माना गया है कि सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य पूरी तरह से हासिल नहीं किए जा सके हैं. गरीबी विभिन्न रूपों में बनी हुई है. गैर–बराबरी बढ़ रही है. स्वास्थ्य की चुनौतियां लगातार बढती जा रही हैं. लैंगिक भेदभाव, बच्चों की मृत्यु के मामले में दुनिया एक चुनौतीपूर्ण स्थिति में है. सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों को हासिल करने में रही बड़ी कमियों को ध्यान में रखते हुए ये लक्ष्य तय किए गए हैं. ये सार्वभौमिक, महत्वाकांक्षी और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य गरीबी और भूख को समाप्त करने और लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के अलावा सभी को सम्मानजनक जीवन के अवसर उपलब्ध कराने पर केन्द्रित हैं ताकि हमारे ग्रह, पृथ्वी पर सभी लोगों को फलने–फूलने के लिये सुरक्षित, न्यायसंगत और टिकाऊ अवसर मिल सकें. इस वैश्विक दृष्टि को पा सकने के लिये कोई व्यक्ति या देश पीछे न रहें तथा सभी लोग और सभी देश अपनी भूमिका का निर्वाह करें, ये लक्ष्य इन नैतिक सिद्धांतों को परिलक्षित करते हैं. इन लक्ष्यों और उद्देश्यों में महत्वपूर्ण तथा चुनौतीपूर्ण संदेश शामिल हैं.

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्वीकार किए गए सतत विकास लक्ष्यों–2030 में एक बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील लक्ष्य खाद्य सुरक्षा और भुखमरी से मुक्ति का है. इस लक्ष्य के आधारभूत विश्लेषण में कहा गया है कि अब भी दुनिया के 80 करोड़ लोग तीव्र कुपोषण के शिकार हैं. 9 करोड़ से ज्यादा बच्चे कुपोषण की खतरनाक अवस्था से भी नीचे रह रहे हैं.

सतत विकास लक्ष्य (2) कहता है कि हमें वर्ष 2030 तक दुनिया से हर व्यक्ति, विशेषकर बच्चों के कुपोषण, को भुखमरी और कुपोषण से मुक्त करके, भुखमरी और कुपोषण के सभी रूपों को मिटाना है. भारत के सन्दर्भ में इस

[12] देखें : sustainabledevelopment.un.org. यह दस्तावेज सतत विकास लक्ष्य–2030 का अधिकृत अनुवाद नहीं है

लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एक महत्वपूर्ण कानूनी पहल है. सतत विकास लक्ष्य–2 के तहत दर्ज उद्देश्यों (1 और 2) के मद्देनजर इस अधिनियम के महत्व को समझना भी जरूरी है.

सतत विकास लक्ष्य – 2

भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण हासिल करना और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा मिलना.

सतत विकास लक्ष्य–2 में शामिल उद्देश्य

2.1 वर्ष 2030 तक, भूख की समाप्ति करना. साथ ही सभी लोगों, विशेषतः गरीब और कठिन (संवेदनशील) परिस्थितियों में रह रहे लोग, जिनमें शिशु शामिल हों, की सुरक्षित, पोषक और पर्याप्त भोजन तक पहुंच पूरे वर्ष भर सुनिश्चित रहे.

2.2 वर्ष 2030 तक, सभी तरह का कुपोषण खत्म करना. इसी क्रम में वर्ष 2025 तक 5 वर्ष आयु तक के बच्चों में नाटापन और दुर्बलता के कुपोषण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत लक्ष्यों को प्राप्त करना एवं किशोरी बालिकाओं, गर्भवती महिलाओं तथा धात्री माताओं व बुजुर्ग लोगों की पोषणीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना.

2.3 वर्ष 2030 तक, कृषि उत्पादकता तथा लघु कृषक उत्पादकों, विशेषतः महिलाओं, आदिम जनजाति के लोग, पारिवारिक कृषक, ग्राम्यता प्रचारक तथा मछुआरों की आय को दोगुना करना. ऐसा हासिल करने में भूमि, अन्य उत्पादक संसाधनों और इनपुट्स, ज्ञान, वित्तीय सेवाओं, बाजार एवं योगित मूल्य (वेल्यू एडीशन) और गैर–खेतिहर रोजगार के अवसर बनाने तक सुरक्षित एवं बराबर पहुंच बनाने जैसे उपाय शामिल हैं.

2.4 वर्ष 2030 तक, खाद्य उत्पादन प्रणालियाँ सुनिश्चित करना और ऐसी लचीली कृषि प्रथाएं क्रियान्वित करना, जो उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि करें, पारिस्थितिकी प्रणालियों को बनाये रखने में मदद करें एवं जलवायु परिवर्तन, मौसम में भारी बदलाव, सूखा और बाढ़ जैसी विपदाओं के अनुसार ढाल सकने की क्षमता को सुदृढ़ करें व भूमि और मिट्टी की गुणवत्ता को क्रमशः बढ़ाने में मदद करें.

2.5 वर्ष 2020 तक, बीजों, रोपे गये पौधों, खेतिहर तथा पालतू जानवरों एवं संबंधित जंगली नस्लों की आनुवांशिक विविधता बनाये रखना. साथ ही राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तरों पर विविध बीजों और पौधों के बैंक बनाने में चुस्त प्रबंधन सुनिश्चित करना एवं अन्तर्राष्ट्रीय सहमति अनुसार आनुवंशिक संसाधनों तथा संबंधी पारंपरिक ज्ञान के उपयोग से होने वाले लाभों तक पहुंच एवं उनके उचित तथा न्यायसंगत बँटवारे को बढ़ावा देना.

लक्ष्य को पाने के लिए आवश्यक रणनीतियाँ

क. ग्रामीण अधोसंरचना, कृषि में शोध तथा विस्तार सेवाओं, प्रौद्योगिकी विकास और वनस्पति तथा पशुधन आनुवांशिक बैंकों में निवेश (अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग समेत) बढ़ाना ताकि विकासशील देशों, विशेषतः न्यूनतम विकसित देशों की कृषि उत्पादक क्षमता बढ़ सके.

ख. वैश्विक कृषि बाजार में प्रतिबंधों और विकृतियों को दूर करना और उनकी रोकथाम करना. इनमें वे उपाय भी शामिल हैं जिनमें समानान्तर रूप से 'दोहा डेवलपमेंट राउण्ड' में निहित निर्देशों के अनुसार कृषि निर्यात पर सभी प्रकार के अनुदानों को समाप्त किए जाने के प्रावधान के साथ निर्यात संबंधी ऐसे सभी कदम उठाये जाने हैं जो समकक्ष असर डाल सकें.

ग. ऐसे कदम उठाना जिनसे खाद्य पदार्थों के बाजारों एवं उनके उपखंडों का संचालन सुचारु रूप से सुनिश्चित हो सके तथा बाजार की सूचना तक पहुंच सुलभ हो. इनमें खाद्य आरक्षित भंडार बनाने जैसे उपाय भी शामिल हैं ताकि कीमतों में भारी उतार–चढ़ाव से बनी अस्थिरता को नियंत्रण में रखा जा सके.

अध्याय 5

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का तात्कालिक सन्दर्भ

हमें यह जानना जरूरी है कि खाद्य असुरक्षा की स्थिति केवल खाद्यान्न और खाद्य सामग्रियों की कमी के कारण उत्पन्न नहीं होती है. गरीबी, बीमारियाँ, प्राकृतिक आपदाएं, आजीविका का अभाव भी खाद्य असुरक्षा की स्थिति पैदा करने में एक भूमिका निभाता है. हम जानते हैं समाज में जाति, लिंग, शारीरिक सीमाओं, भौगोलिक स्थितियों के कारण भी नागरिकों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो पाती है. ऐसी स्थिति में जनकल्याणकारी राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है. भारत में स्वतंत्रता के बाद से ही सरकारों ने यह महसूस किया है कि देश के सभी नागरिकों के पोषण युक्त खाद्य सुरक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने की दिशा में सरकार को प्रत्यक्ष भूमिका निभानी होगी.

अलग–अलग अवसरों पर खाद्य–पोषण सुरक्षा के अधिकार को संविधान में दर्ज जीवन के मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में दर्ज पोषण और स्वास्थ्य के अधिकार के साथ जोड़कर परिभाषित किया गया है. इनके आधार पर भारत में विश्व के सबसे बड़े खाद्य और पोषण सुरक्षा कार्यक्रम (उत्पादकों से खाद्यान्न की सीधी खरीद, भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकार की व्यवस्थाओं के तहत भण्डारण, सार्वजिनक वितरण प्रणाली के तहत वहन योग्य सस्ती दरों पर खाद्यान्न का विक्रय/उपलब्धता सुनिश्चित करना, बच्चों के लिए एकीकृत बाल विकास सेवाओं के तहत पोषण की सुरक्षा, स्कूली बच्चों के लिए मध्यान्ह भोजन योजना सरीखे कार्यक्रम संचालित किए गए. आजाद भारत की सरकारें और नीति निर्माता मानते रहे हैं कि खाद्य सुरक्षा के बिना गरिमामय जीवन का अधिकार लागू नहीं किया जा सकता है. यह विकास की धुरी भी है और वंचित तबकों के जीवन में ठोस बदलाव लाने का जरिया भी.

1960 के दशक से लेकर अब तक इस बहस का भी विकास हुआ है कि खाद्य सुरक्षा में राज्य की भूमिका का दायरा क्या होगा? भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था ने सरकार, न्यायपालिका और सामाजिक आन्दोलनों को यह बहस करने और जरूरी पहल करने के भरपूर अवसर उपलब्ध करवाए.

वर्ष 2001 में पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत सरकार और अन्य के मामले से (जिसे भोजन के अधिकार के केस के रूप में जाना जाता है) यह तय हुआ कि खाद्य सुरक्षा के अधिकार का जीवन जीने के मूलभूत अधिकार से गहरा रिश्ता है, अतः राज्य को इस विषय पर सक्रिय भूमिका निभाते रहना होगा. लगभग 17 साल तक चले इस केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम, मध्यान भोजन कार्यक्रम, मातृत्व सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और रोजगार कार्यक्रमों से सम्बंधित 100 से ज्यादा अंतरिम निर्देश जारी किए.

वास्तव में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों ने खाद्य सुरक्षा के नागरिक अधिकारों की पुर्नव्याख्या की और भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को जोड़ते हुये इसे 10 सितम्बर 2013 से भारत में ''राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम" के रूप में वैधानिक स्वरूप दिया.

यह समझना जरूरी है कि एक योजना और एक अधिनियम के बुनियादी स्वरूप में अंतर होता है. योजनाएं कई मर्तबा एक सीमित लक्षित समूह को सेवाएं उपलब्ध कराने के मकसद से बनायी जाती हैं, जबकि अधिनियम लाभों को कानूनी अधिकार के रूप में परिवर्तित कर देता है. अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए आर्थिक संसाधनों, व्यवस्था, मानव संसाधनों और जवाबदेहिता से सम्बंधित प्रावधान करना एक अनिवार्यता हो जाती है. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अस्तित्व में आने से पहले तक खाद्य सुरक्षा कुछ शासकीय योजनाओं के तहत दी जाने वाली महत्वपूर्ण सेवाओं के रूप में वर्गीकृत थी, परन्तु अधिनियम बनने के बाद खाद्य सुरक्षा नागरिकों का वैधानिक अधिकार बन गई हैं. इस अधिनिघ्यम के माध्यम से सरकार ने खाद्य सुरक्षित समाज बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को भी स्थापित किया है.

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम केवल खाद्यान्न और पोषण आहार के वितरण के प्रावधान ही नहीं करता है, बल्कि इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए योजनाओं के क्रियान्वयन के तौर तरीकों, व्यवस्था और ढाँचे में भी बुनियादी बदलाव करने होंगे.

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में शामिल सभी कार्यक्रमों और योजनाओं की सामाजिक संपरीक्षा (अंकेक्षण) का प्रावधान किया गया है. इसके तहत लोग यानी समाज स्थानीय निकाय के माध्यम से योजना के क्रियान्वयन की सामूहिक रूप से निगरानी और मूल्यांकन कर सकते हैं. मूलतः यह काम स्थानीय निकायों (ग्राम सभा/पंचायत/वार्ड सभा) द्वारा किया जाना है. सामाजिक अंकेक्षण का काम जवाबदेहिता, पारदर्शिता और मकसद के अनुरूप अधिनियम के क्रियान्वयन के हिसाब से बहुत जरूरी है. अधिनियम के इस प्रावधान का सही ढंग से संचालन हो, इसके लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण है. इसके साथ ही स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों और क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार जमीनी कार्यकर्ताओं के लिए भी यह प्रवेशिका उन्हें मदद करेगी.

अब खाद्य सुरक्षा लोगों की "जरूरत होने पर उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा" नहीं है. हमारी संसद के द्वारा अधिनियम बना दिए जाने के बाद यह भारत के लोग, बच्चों और महिलाओं का अधिकार है. इसका मतलब यह भी है कि सरकार और सरकार के भीतर बनी हुई व्यवस्था यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि अधिनियम की मंशा के मुताबिक और जरूरत पड़ने पर उससे आगे बढ़ कर भारत में रहने वाले लोगों को उनके अधिकार उपलब्ध करवाए.

खाद्य सुरक्षा लोगों का अधिकार है और उसे उपलब्ध करवाना राज्य की जिम्मेदारी! अतः जरूरी है कि अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए व्यवस्था बने और जहाँ जरूरत है वहां व्यवस्था में हर तरह का सुधार हो. अधिनियम के तहत अलग–अलग स्तरों पर व्यवस्था में जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से परिभाषित हों. योजना बनाने से लेकर, संसाधन का आवंटन करने वालों, क्रियान्वयन करने वालों और शिकायत निवारण के लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेहिता सुनिश्चित हो.

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली

तीन दशकों से ज्यादा समय तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली का स्वरूप सार्वभौमिक रहा यानी देश के प्रत्येक नागरिक को इस व्यवस्था के तहत सस्ता राशन पाने का हक हासिल था. वर्ष 1997 में इस व्यवस्था में बदलाव लाया गया और यह तय किया गया कि इस प्रणाली के तहत गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों/परिवारों को ही सस्ता राशन पाने की पात्रता होगी. जो लोग गरीबी की रेखा के ऊपर माने जायेंगे, उन्हें सरकार द्वारा तय मूल्य, जो कि न्यूनतम समर्थन मूल्य या खरीदी मूल्य के बराबर होगा, पर ही राशन प्रदान किया जाएगा.

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वर्ष 1997 से 2013 तक देश की लगभग 36 फीसदी जनसँख्या इसमें शामिल रही.

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लागू होने के साथ ही इस व्यवस्था में पुनः परिवर्तन हुआ. इस अधिनियम में तय किया गया कि अब भारत के 67 प्रतिशत नागरिकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में शामिल किया जाएगा.

एकीकृत बाल विकास सेवाएं

भारत में प्रयोग के तौर पर वर्ष 1975 में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी. इसका मकसद भारत में मातृत्व मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर, बच्चों और महिलाओं में कुपोषण को कम करना था. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आने के पहले तक यह एक योजना के रूप में लागू था. इस अधिनियम के अनुसार 6 माह से 6 वर्ष तक की उम्र के हर बच्चे को पोषण का अधिकार दिया गया है. इसमें कोई अन्य पात्रता श्रेणी शामिल नहीं है. इसके साथ ही हर गर्भवती और धात्री महिला को पोषण का अधिकार दिया गया. इसी कार्यक्रम की व्यवस्था के तहत प्रधानमन्त्री मातृ वंदना योजना का क्रियान्वयन किया जाना तय किया गया है.

मध्यान्ह भोजन योजना

भारत में वर्ष 1995 में मध्यान्ह भोजन योजना लागू की गई थी. इस योजना का मकसद यह था कि बच्चों की शिक्षा के साथ पोषण की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सके. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में दर्ज बच्चों को आठवीं कक्षा तक स्कूल चलने वाले सभी दिनों में मध्यान्ह भोजन पाने का अधिकार दिया गया है.

वास्तव में यह एक स्थापित सिद्धांत है कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित किए बिना पोषण की सुरक्षा संभव नहीं है. और पोषण युक्त खाद्य सुरक्षा के अभाव में नागरिकों की शारीरिक–मानसिक विकास की बेहतर अवस्थाएं हासिल नहीं की जा सकती हैं. इसका आशय यह है कि भारत खाद्य सुरक्षा और पोषण की सुरक्षा को व्यक्ति और समाज के विकास का एक अनिवार्य पहलू मानता है. इसी मान्यता के आधार पर देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, एकीकृत बाल विकास सेवाएं कार्यक्रम, मध्यान्ह भोजन योजना, प्रधानमन्त्री मातृ वंदना योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है.

अध्याय 6

खाद्य सुरक्षा और सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्देश

भारत में खाद्य सुरक्षा, समानता और वंचितपन से जुड़े पहलुओं पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. न्यायपालिका के भूमिका के सन्दर्भ में पीपुल्स यूनियन फार सिविल लिबर्टीज बनाम भारत सरकार और अन्य (रिट याचिका संख्या 196 / 2001) का उल्लेख अनिवार्य है.

इस याचिका ने 17 वर्ष की अवधि में गरीबी की रेखा का खाद्य सुरक्षा से जुड़ाव, सामुदायिक निगरानी, पारदर्शिता, सामाजिक संपरीक्षा, जवाबदेहिता, योजनाओं का गरिमा के साथ क्रियान्वयन, सबसे वंचित लोगों को केंद्र में रखना जैसे विषयों पर 100 से ज्यादा अंतरिम निर्देश जारी किए.

यह याचिका मुख्य रूप से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम, मध्यान्ह भोजन, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, आपदाओं में राहत कार्यक्रम और सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना पर केंद्रित रही. वास्तव में न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का आधार भी बने.

इस याचिका ने वर्तमान सन्दर्भों में खाद्य सुरक्षा का अधिकार सुनिश्चित करने में "राज्य" की भूमिका को नए सिरे से परिभाषित भी किया गया. यहाँ हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कुछ महत्वपूर्ण निर्देशों का हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत कर रहे हैं.

भारत का उच्चतम न्यायालय

रिट याचिका (सी) न. 196/2001
पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज
बनाम
भारत संघ एवं अन्य
दिनांक 23.7.2001

पीठासीन न्यायाधीश

1. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.एन. किरपाल

2. जस्टिस के. बालाकृष्णन

आदेश

वादी के वकील को अन्तरिम राहत के लिए नया आवेदन दाखिल करने की अनुमति दी जाती है. इसकी एक प्रति भारत सरकार के वकील, राज्यों के वकील और भारतीय खाद्य निगम के वकील को दी जाए. विद्वान महाधिवक्ता कहते हैं कि इस मुकदमे को प्रतिद्वंदात्मक न माना जाए और यह सबकी चिन्ता का विषय है. हमारी राय में बुजुर्गो, अशक्तों, विकलांगों, भुखमरी की शिकार दरिद्र महिलाओं और दरिद्र पुरूषों, गर्भवती और दूध पिलाती महिलाओं तथा दरिद्र बच्चों, खासकर उन मामलों में जिनमें वे या उनके परिवार के सदस्य उन्हें पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराने की आर्थिक स्थिति में न हों, को भोजन उपलब्ध कराना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है. अकाल की हालत में भोजन की कमी हो सकती है, लेकिन वहां तो प्रचुरता के बीच अभाव है. प्रचुर भोजन उपलब्ध है, लेकिन वह बहुत गरीब लोगों तथा दरिद्रों तक को वितरित नहीं हो पाता. इससे कुपोषण, भुखमरी और अन्य सम्बन्धित समस्याएं पैदा हो जाती हैं. राज्यों, भारत सरकार तथा भारतीय खाद्य निगम को दो सप्ताह के अंदर जवाबी शपथ पत्र दाखिल कर देने चाहिए.

इस बीच हम आश्वस्त हैं कि उत्तरदायी सरकारें अपनी जनता के हित में काम करेंगी. अन्तरिम आदेश के तौर पर हम राज्यों को निर्देश देते हैं कि वे देखें कि जन वितरण प्रणाली की सारी दुकानें यदि वे बंद हैं तो, फिर खोली जाएं और आज से एक सप्ताह के अंदर काम शुरू करें. उन्हें रसद की नियमित आपूर्ति की जाये. वादी को छूट दी जाती है कि इस याचिका में वह अन्य राज्यों को भी प्रतिवादी बनाये. यदि यह आवेदन आज दाखिल हो जाये तो इन राज्यों को नोटिस भेजा जाये. मामले को आगे विचार के लिए 20 अगस्त 2001 की सूची में डाला जाये.

भारत का उच्चतम न्यायालय

रिट याचिका (सी) न. 196/2001
पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज
बनाम
भारत संघ एवं अन्य
दिनांक 20.8.2001

पीठासीन न्यायाधीश :

1. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.एन.किरपाल
2. जस्टिस एन.संतोष हेगड़े
3. जस्टिस बृजेश कुमार

आदेश

अदालत की चिन्ता यह देखना है कि गरीब लोग, दरिद्रजन तथा समाज के कमजोर वर्ग भूख और भुखमरी से पीड़ित न हों. इसे रोकना सरकार का एक प्रमुख दायित्व है. चाहे वह केन्द्र हो या राज्य. इसे सुनिश्चित करना नीति का विषय है, जिसे सरकार पर छोड़ दिया जाये तो बेहतर. अदालत को बस इससे संतुष्ट होना चाहिए और इसे सुनिश्चित भी करना पड़ सकता है कि जो अन्न भण्डारों, में खासकर भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में भरा पड़ा है, वह समुद्र में डुबोकर या चूहों द्वारा खाया जाकर बर्बाद न किया जाये. इस मामले में भारत सरकार एक संक्षिप्त शपथ पत्र दाखिल कर सकती है. जिन अन्य राज्यों ने शपथ पत्र दाखिल नहीं किए उन्हें 10 दिन के अंदर शपथ पत्र दाखिल कर देने चाहिए.

भारत का उच्चतम न्यायालय

रिट याचिका (सी) न. 2001 की 196
पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज
बनाम
भारत संघ एवं अन्य
दिनांक 28.11.2001

पीठासीन न्यायाधीश :

1. मुख्य न्यायाधीश
2. जस्टिस के. जी. बालाकृष्णन

आदेश

विभिन्न पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के बाद हम, अन्तरिम अवस्था के तौर पर, निम्नलिखित जारी करते हैं :

1. लक्ष्य आधारित सर्वाजनिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस)

i. भारतीय संघ का कहना है कि टीपीडीएस के संदर्भ में खाद्यान्न के आवंटन के मामले में पूर्ण अनुपालन हुआ है. फिर भी यदि कोई राज्य पूर्ण अनुपालन न होने की किसी विशेष घटना को प्रकाश में लाता है तो इस कार्यक्रम के दायरे में भारतीय संघ आवश्यक कार्रवाई करेगा.

ii. राज्यों को निर्देश दिया जाता है कि वे 1 जनवरी, 2002 तक गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की शिनाख्त पूरी कर लें, राशन कार्ड जारी कर दें और प्रति माह प्रति परिवार 25 किलो खाद्यान्न का वितरण आरंभ कर दें.

iii. दिल्ली सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि टीपीडीएस के आदेश फॉर्म आसानी से उपलब्ध हैं तथा उन्हें प्राप्त करने और जमा करने के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा. दिल्ली सरकार शिकायतों के त्वरित और प्रभावी निवारण के लिए एक प्रभावी व्यवस्था भी सुनिश्चित करेगी.

2. अन्त्योदय अन्यय योजना

i. भारतीय संघ का कहना है कि अन्त्योदय अन्न योजना के लिए खाद्यान्न के आवंटन के मामले में पूर्ण अनुपालन हुआ है. परन्तु यदि कोई राज्य पूर्ण अनुपालन न होने की कोई विशेष घटना प्रकाश में लाता है तो इस स्कीम के दायरें में भारीय संघ आवश्यक कर्रवाई करेगा.

ii. हम राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों को निर्देश देते हैं कि वे 1 जनवरी 2002 तक इस स्कीम के तहत लाभार्थियों की शिनाख्त, कार्ड जारी करने और अनाज के वितरण का काम पूरा कर दें.

iii. यह प्रतीत होता है कि अन्त्योदय लाभार्थी अति निर्धनता के कारण अनाज उठाने में असमर्थ हो सकते हैं. ऐसे मामलों में केन्द्र, राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों से अनुरोध है कि वे अपनी पूर्ण संतुष्टि के बाद अनाज का कोटा निःशुल्क देने पर विचार करें.

3. मध्यान्ह भोजन योजना (एम.डी.एम.एस.)

i. भारतीय संघ का कहना है कि मध्यान्ह भोजन योजना (एमडीएमएस) के मामले में पूर्ण अनुपालन हुआ है. परन्तु यदि कोई राज्य अनुपालन न होने की कोई विशेष घटना प्रकाश में लाता है तो भारतीय संघ इस स्कीम के दायरे में आवश्यक कदम उठायेगा.

ii. हम राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को निर्देश देते हैं कि सभी सरकारी और सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में हर बच्चे को तैयार किया हुआ मध्यान्ह भोजन देकर मध्यान्ह भोजन योजना का क्रियान्वयन करें. यह मध्यान्ह भोजन कम से कम 300 कैलोरी और 8 से 12 ग्राम प्रोटीन वाला होना चाहिए तथा कम से कम 200 दिनों तक विद्यालय में प्रतिदिन देना चाहिए. जो सरकारें पके हुए भोजन के बदले सूखा राशन दे रही हैं, वे तीन महीने में सभी सरकार और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में कम से कम राज्य के आधे जिलों में (गरीबी के क्रमानुसार) पका हुआ भोजन देना शुरू कर दें और अगले तीन महीनों में राज्य के शेष हिस्सों में पका हुआ भोजन देना शुरू कर दें.

iii. हम भारतीय संघ और भारतीय खाद्य निगम को निर्देश देते हैं कि इस स्कीम के लिए वे समय पर औसत अच्छे किस्म का अनाज उपलब्ध करायें. राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों और भारतीय खाद्य निगम को निर्देश दिया जाता है कि वे खाद्यान्न का संयुक्त निरीक्षण करें. यदि संयुक्त निरीक्षण में खाद्यान्न औसत अच्छे किस्म का नहीं पाया जाता तो उठाव के पहले उसे भारतीय खाद्य निगम बदल देगा.

4. राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (एनओएपीएस)

i. भारतीय संघ का कहना है कि राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के मामले में पूर्ण अनुपालन हुआ है. परन्तु कोई राज्य अनुपालन न होने की कोई विशेष घटना प्रकाश में लाता है तो भारतीय केन्द्र इस स्कीम के दायरे में आवश्यक कार्रवाई करेगा.

ii. राज्यों को निर्देश दिया जाता है कि वे 1 जनवरी, 2002 तक लाभार्थियों की पहचान कर लें और भुगतान करना शुरू कर दें.

iii. हम राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को निर्देश देते हैं कि प्रतिमाह 7 तारीख तक भुगतान जरूर कर दिया करें.

5. अन्नपूर्णा योजना

राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को निर्देश दिया जाता है कि वे 1 जनवरी, 2002 तक लाभार्थियों की पहचान कर लें और अनाज वितरित कर दें.

6. समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस)

i. हम राज्य सरकारों और केन्द्र शासित क्षेत्रों को निर्देश देते हैं कि समन्वित शिशु विकास योजना (आईसीडीएस) को पूरी तरह क्रियान्वित करें और सुनिश्चित करें कि देश में सभी आईसीडीएस वितरण केन्द्र निम्नलिखित उपलब्ध करवायेंगे –

(क) छः वर्ष तक की उम्र के हर बच्चे को 300 कैलोरी 8–10 ग्राम प्रोटीन.

(ख) हर किशोरी बालिका को 500 कैलोरी 8–10 ग्राम प्रोटीन.

(ग) हर गर्भवती महिला और दूध पिलाने वाली मां को 500 कौलोरी और 20–25 ग्राम प्रोटीन.

(घ) हर कुपोषित बच्चे को 600 कैलोरी और 16–20 ग्राम प्रोटीन.

(ड) राज्य सरकारें/केन्द्र शासित क्षेत्र सुनिश्चित करेंगे कि हर बस्ती में एक आईसीडीएस वितरण केन्द्र होगा.

ii. भारतीय केन्द्र का कहना है कि इस स्कीम के तहत उसके दायित्वों को पूर्ण अनुपालन हुआ है. परन्तु कोई राज्य अनुपालन न होने की किसी विशेष घटना को प्रकाश में लाता है तो भारतीय केन्द्र इस स्कीम के दायरे में आवश्यक कार्रवाई करेगा.

7. राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना (एनएमबीएस)

i. हम राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को निर्देश देते हैं कि गरीबी रेखा से नीचे की हर गर्भवती महिला के पहले दो प्रसवों में हर प्रसव के 8–12 सप्ताह पहले सरपंच के जरिये 500 रू. का भुगतान कर राष्ट्रीय मातृत्व योजना (एनएमबीएस) को क्रियान्वित करें.

ii. भारतीय केन्द्र का कहना है कि इस स्कीम के अंतर्गत उसके दायित्वों का पूर्ण अनुपालन हुआ है. परंतु यदि कोई राज्य अनुपालन न होने की किसी विशेष घटना को प्रकाश में लाता है तो भारतीय केन्द्र इस स्कीम के दायरे में आवश्यक कदम उठायेगा.

8. राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना

i. हम राज्य सरकारों और केन्द्र शासित क्षेत्रों को निर्देश देते हैं कि राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना को क्रियान्वित करें और 4 सप्ताह के अंदर स्थानीय सरपंच के जरिये गरीबी रेखा से नीचे के प्रत्येक परिवार को उसके मुख्य कमाऊ व्यक्ति की मृत्यु की हालत में 10,000 रूपये का भुगतान करें.

9. हम निर्देश देते हैं कि इस आदेश की प्रति को प्रादेशिक भाषाओं और अंग्रेजी में सम्बद्ध राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र सभी ग्राम पंचायतों, सरकारी विद्यालय भवनों और उचित मूल्य की दुकानों पर चस्पा करें.

10. लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता तथा योजनाओं तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ग्राम पंचायतें विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों की सूची भी प्रदर्शित करेंगी. योजनाओं की प्रतियाँ और लाभार्थियों की सूची की प्रतियाँ ग्राम पंचायत नागरिकों को निरीक्षण के लिए उपलब्ध करायेगी.

11. हम दूरदर्शन एवं आकाशवाणी को भी निर्देश देते हैं कि विभिन्न योजनाओं और इस आदेश का पर्याप्त प्रचार–प्रसार करें. हम हर राज्य और केन्द्र शासित क्षेत्र के मुख्य सचिवों को निर्देश देते हैं कि इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें. अनुपालन की सूचना भी इस अदालत में आज के 8 सप्ताह के अंदर शपथ दाखिल करके दें, जिसकी प्रतियाँ महा अधिवक्ता और याचिकाकर्ता के वकील को भेजी जायें.

हम भारतीय केन्द्र को यह छूट देते हैं कि इस न्यायालय के 21 नवम्बर, 2001 के आदेश के सम्बन्ध में शपथ पत्र दाखिल कर सकें.

इस मामले को आगे और आदेशों के लिए 11 फरवरी 2002 के लिए सूचिबद्ध किया जाए. इस बीच पक्षों को यह छूट दी जाती है कि वे और निर्देशों के लिए चाहें तो आवेदन करें.

भारत का उच्चतम न्यायालय

रिट याचिका (सी) न. 196/2001
पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज
बनाम
भारत संघ एवं अन्य
दिनांक 02.05.2003

पीठासीन न्यायाधीश :

1. मुख्य न्यायाधीश
2. जस्टिस वाई. के. सबरवाल
3. जस्टिस अरिजीत पसायत

आदेश

यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, बहुत से ऐसे मुद्दे उठाती है, जिनका गरीब लोगों पर, उनके जीने के अधिकार पर तथा उनके भोजन के अधिकार के सामने में सीधा और महत्वपूर्ण असर हो सकता है. खासकर उन लोगों पर जो अपने परिवार के लिए बमुश्किल दो वक्त की रोटी जुटा पाते हैं. इन व्यक्तियों की हालत अकाल और सूखे के दिनों में और भी ज्यादा खराब हो जाती है. याचिकाकर्ताओं ने यह मांग की है कि अकाल कोड को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए यह कोर्ट दिशा–निर्देश दे.

याचिकाकर्ताओं की मांग है कि केन्द्र सरकार के गोदामों में भरे पड़े अतिरिक्त अनाज को तुरंत सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में उपलब्ध करवाया जाए. साथ ही कोर्ट सरकार को सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को प्रभावी व वैज्ञानिक बनाने के लिए नई स्कीम तैयार करने के बावत निर्देश दे. संक्षेप में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा सूखे के दिनों में व्यक्तियों को बिना देरी के तुरंत और असरकारक मदद उपलब्ध करवाने के मकसद से याचिकाकर्ता ने कई आवेदन कोर्ट में दाखिल किए हैं. इस विषय के महत्व को देखते हुए, खासकर उन व्यक्तियों के संदर्भ में, जो गरीबी रेखा के नीचे जिंदगी बिता रहे हैं, कोर्ट ने 3 मार्च 2003 को यह आदेश दिया था कि संबंधित पक्ष (यानि सरकार) आवेदनों को जवाब दे और कोर्ट के सामने आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करे जिन पर सुनवाई 8 अप्रैल को होगी. कोर्ट के इस आदेश के जवाब में जिसमें केन्द्र सरकार को अन्त्योदय अन्न योजना के लाभों को समाज के वंचित वर्ग तक पहुंचाने के संबंध में स्कीम बनाने को कहा गया थ, भारत सरकार के अटार्नी जनरल ने 3 मार्च को सूचित किया कि वर्ष 2003–2004 के बजट में इस सम्बन्ध में आवश्यक प्रावधान कर दिया गया है, लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद इस संबंध में चाहे गए दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए है.

सरकार का रवैया मामले में अत्यधिक निराशाजनक है. ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि 8 अप्रैल 2003 को जब से यह मामला कोर्ट में आया, आज के दिन तक न तो मांगे गए दस्तावेज कोर्ट में सौंपे गए हैं और ना ही इस मामले के किसी भी पहलू, पर, जैसा कि कोर्ट के पूर्व आदेश में कहा गया था, सरकार ने कोई कार्यवाही की है. आई.ए. 25 में यह मुद्दा में यह कहा गया है कि जानबूझकर बीपीएल सूची में से कई व्यक्तियों के नाम हटा दिए गए

हैं. आई.ए. 26 में यह मुद्दा उठाया गया है कि किसी भी बीपीएल परिवार द्वारा की गई मजदूरी के एवज में उसे दिए जाने वाले 10 किलो अनाज की निर्धारित मात्रा को भी घटाकर 5 किलो प्रति परिवार कर दिया जाए, वह सिफारिश की गई है.

आखिरी आदेश के संबंध में कोर्ट से खासतौर पर आदेश लिया जाना जरूरी है. इस संदर्भ में दिये गए आदेश में केन्द्र सरकार से 20 लाख टन अनाज प्रति वर्ष बिना मूल्य के काम के बदले अनाज कार्यक्रम के तहत राज्यों को उपलब्ध करवाने को कहा गया था जो कि सरकार द्वारा दी जा रही अन्य राहतों के अतिरिक्त होगा. इस संबंध में सरकार से तीन सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा गया था.

अब सरकार द्वारा जवाब दाखिल करने की अवधि बढ़ाने के अनुरोध को अस्वीकार करते हुए कोर्ट यह आदेश जारी कर रहा है. चूंकि कुछ निर्देश बिना देरी किए देने की जरूरत है ताकि उन व्यक्तियों को अंतरिम राहत दी जा सके, जो हमारी सहानुभूति के हकदार है. हम याचिकाकर्ताओं के वकील कोलिन गोंजालविस, अतिरिक्त सालिसिटर जनरल मुकुल रस्तोगी व बिहार राज्य से श्री बी.बी. सिंह, उत्तर प्रदेश के अशोक श्रीवास्तव व सुश्री इंदिरा साहनी, भारतीय खाद्य निगम का पक्ष सुन चुके हैं.

इस कोर्ट ने पिछले दो वर्षों में भी अपने विभिन्न आदेशों में इस मामले पर गहरी चिंता जाहिर की है. एक आदेश में कोर्ट ने यह कहा पिछले दो वर्षों में भी अपने विभिन्न आदेशों में इस मामले पर गहरी चिंता जाहिर की है. एक आदेश में कोर्ट ने यह कहा है कि बूढ़े व लाचार व्यक्तियों, विकलांगों, बेसहारा महिलाओं व बूढ़े पुरूषों जो कि भुखमरी के कगार पर हों, गर्भवती महिलाओं व बच्चों को दूध पिलाने वाली माताओं तथा बेसहारा बच्चों को भोजन उपलब्ध हो यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है. खासकर उन मामलों में जहां उनके पास या उनके परिवार के पास इतना भोजन उपलब्ध नहीं है कि उन्हें पर्याप्त भोजन मिल सके. अकाल के समय में खाने की कमी हो सकती है, लेकिन यहां वास्तविक स्थिति यह है कि काफी मात्रा में भोजन उपलब्ध है पर उसका वितरण बहुत गरीब व बेसहारा लोगों के मामलों में या तो बहुत कम है या बिल्कुल न के बराबर है. जिसकी वजह से कुपोषण, भुखमरी व इनसे जुड़ी समस्याएं पैदा हो रही हैं. कोर्ट को मुख्य चिंता है कि समाज का कमजोर तबका भुखमरी से त्रस्त न हो. लोगों को भूख से बचाना केन्द्र व राज्य सरकार दोनों की मुख्य जिम्मेदारी है. केवल योजनाएं बना देना जिनका क्रियान्वयन न हो, किसी काम का नहीं है. महत्वपूर्ण यह है कि भोजन भूखे तक पहुंचे.

संविधान के 21वें अनुच्छेद में हर नागरिक की मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार दिया गया है. क्या ये परिवार जो गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं, अपने जीने के लिए सही किस्म की योजनाओं और उनके क्रियान्वयन को कमी में संविधान से दिए गए इस अधिकार से वंचित नहीं हैं. क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि इन्हें जरूरी मदद दी जाए ताकि ये जी सकें. इसी संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 47 का हवाला भी दिया जा सकता है जिसमें यह कहा गया है कि अपने नागरिकों के पोषण स्तर को ऊंचा उठाना, उनके जीवन स्तर को बढ़ाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होगी.

उपरोक्त दोनों अनुच्छेदों को मद्देनजर रखते हुए हमारा यह मानना है कि मई, जून व जुलाई 2003 के लिए कुछ निर्देश इस कोर्ट द्वारा दिये जाने चाहिए ताकि जिन्हें तुरंत राहत व मदद की जरूरत है उन्हें राहत दी जा सके. हमारा ध्यान अकाल कोड बिल की तरफ दिलवाया गया है, जिसे राजस्थान सरकार ने बनाया है व इसी प्रकार के कोड दूसरे राज्यों द्वारा भी बनाए गए हैं. इस कोड बिल के पहले तीन अध्यायों में उन कदमों के बारे में लिखा गया

है जिनमें सरकार द्वारा अकाल व सूखे की स्थिति में शुरू किए जाने वाले राहत कार्यों व इनके लिए जिम्मेदार अधिकारियों का ब्यौरा दिया गया है.

यह भी जरूरी है कि तुरंत यह निर्देश जारी किए जाएं कि सरकार ऐसी व्यवस्था बनाए जिसे परिवार जो कि बीपीएल सूची में आने चाहिए चाहे वे उस सूची में हो या नहीं, उन्हें व सूची में जोड़ा जाए व राशन की दुकानों व अन्य दुकानों पर परिवारों के हिस्से का अनाज इन्हें उपलब्ध हो. अभी हम इस सवाल पर नहीं जाना चाहते कि केवल 41 प्रतिशत निर्धनतम परिवारों के नाम ही बीपीएल सूची में दर्ज हैं. हम याद दिलाना चाहेंगे कि पिछले साल मई में यह आदेश दिया गया था कि राशन की दुकानें पूरे महीने कुछ निर्धारित घंटों के दौरान खुले व इसकी सूचना नोटिस बोर्ड पर जन सामान्य को दी जाए. अनाज के वितरण के लिए हम निम्न निर्देश दे रहे हैं –

1. राशन की दुकानों के वे संचालनकर्ता –

(क) जो अपनी दुकानें पूरे माह निर्धारित समय तक न खोलते हों.

(ख) गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों की उनके लिए निर्धारित दरों पर अनाज उपलब्ध न करवाते हों.

(ग) बीपीएल परिवारों के कार्ड अपने पास रखते हों.

(घ) बीपीएल कार्ड में गलत सूचनाएं भरते हों.

(ड़) राशन के अनाज को खुले बाजार में बेचते हों या उन व्यक्तियों को बेच देते जो जो बीपीएल सूची के बाहर हों और राशन की दुकानों दूसरे व्यक्तियों/संस्थाओं को चलाने के लिए देते हों.

2. गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों को अपने हिस्से का अनाज किश्तों में खरीदने की अनुमति होगी.

3. इस आदेश को बड़े स्तर पर प्रसारित किया जाए ताकि बीपीएल परिवार, अनाज के अपने अधिकार के बारे में जान सके.

23 जुलाई,2001 के आदेश में गरीब, लाचार व विकलांग व्यक्तियों के लिए भोजन उपलब्ध करवाने के बारे में जो कहा गया था उसे भी वहां लिखा जा रहा है. याचिकाकर्ता के अनुसार लगभग 15 करोड़ व्यक्ति अंत्योदय अन्न योजना कार्ड के हकदार हैं. भारत को निर्देशित किया जाता है कि वे निम्न श्रेणियों के व्यक्तियों को भी अंत्योदय अन्न योजना में शामिल करें.

1. भूखे, लाचार, विकलांग बेसहारा पुरूष व महिलायें, गर्भवती महिलाएं व बच्चों को दूध पिलाने वाली माताएं.

2. विधवा व वे एकल महिलाएं जिनका कोई सहारा नहीं है.

3. 60 साल व उससे ऊपर के व्यक्ति जो बेसहारा है व जिनके पास आजीविका का कोई नियमित जरिया नहीं है.

4. वे परिवार जिनमें कोई विकलांग व्यक्ति है.

5. ऐसा परिवार जहां वृद्धावस्था, शारीरिक व मानसिक बीमारी, सामाजिक रीति–रिवाजों, विकलांग व्यक्ति को देखभाल तथा अन्य वजहों से कोई व्यक्ति नहीं हो जो घर के बाहर कमाई के लिए जा सके.

6. आदिम जनजातियाँ.

इसके अलावा ऊपर हमने बीपीएल कार्ड धारकों को अनाज के प्रभावी वितरण के संदर्भ में जो बातें कहीं हैं, वे सभी उन पर भी लागू होगी जो अंत्योदय अन्न योजना में शामिल हैं.

मध्यान्ह भोजन के संबंध में 28 नवंबर, 2001 के अपने आदेश में इस कोर्ट ने राज्य सरकारों व केन्द्र शासित प्रदेशों को निर्देशित किया था कि वह कम से कम 200 दिनों तक प्रत्येक सरकारी व सरकारी सहायता से चलने वाले प्राथमिक स्कूलों में हर बच्चे को कम से कम 300 कैलॉरी व 8 से 12 ग्राम प्रोटीनयुक्त भोजन उपलब्ध करवाएं. यह भी कहा गया था कि वे सरकारें जो कि पके हुए खाने की बजाय कच्चा अनाज बच्चों को दिलवा रही हैं वे इस आदेश के जारी होने के, तीन महीनों के भीतर अपने राज्य के आधे जिलों के सभी सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के पके हुए भोजन को देना शुरू कर देंगी व इस अवधि के तीन महीने के भीतर बचे हुए जिलों में भी पका हुआ भोजन देने का प्रावधान लागू हो जाएगा. कुछ सरकारें इस आदेश के पालन में विद्यार्थियों को पका हुआ भोजन दे रही हैं. लेकिन हमें कहा गया है कि डेढ साल गुजर जाने के बाद भी कुछ राज्यों में इस दिशा में शुरूआत भी नहीं हुई है. इस मामले में बिहार, झारखंड व उत्तरप्रदेश का नाम खासतौर पर सामने आया. इन तीनों राज्यों में अभी वह काम शुरू नहीं हुआ जबकि कुछ राज्य पकाए हुए भोजन के वितरण के आदेश की पूरी तरह पालन कर रहे हैं.

झारखंड व उत्तरप्रदेश के वकील कोर्ट के आदेश को लागू न कर पाने की कोई संतोषजनक वजह नहीं बता सके. इन राज्यों से कोई शपथ–पत्र या जवाब भी नहीं दिया. बिहार के वकील बी.बी. सिंह ने बिहार सरकार के राहत व पुनर्वास के सचिव व राहत कमिश्नर के हवाले से यह सूचना दी है कि बिहार सरकार प्रायोगिक रूप में इस योजना को पंचायतों के माध्यम से कुछ ब्लाकों में लागू करने का विचार कर रही है.

भारत का उच्चतम न्यायालय

रिट याचिका (सी) न. 196/2001
पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज
बनाम
भारत संघ एवं अन्य
दिनांक 2.4.2004

पीठासीन न्यायाधीश :

1. माननीय न्यायमूर्ति श्री वाय. के. सबरवाल

2. माननीय न्यायमूर्ति श्री बी. एच. अग्रवाल

आदेश

अधिवक्ता की सहायता से हमने विभिन्न दस्तावेजों पर गौर किया जिसमे सीएजी द्वारा 2000 में तैयार की गई रिपोर्ट संख्या 1 तथा भारत सरकार के योजना आयोग द्वारा स्वास्थ्य, पोषण एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम के प्रगति समीक्षा (फरवरी 2001) भी शामिल थे. योजना आयोग के उपरोक्त दस्तावेज से यह स्पष्ट है कि समेकित बाल विकास योजना संभवतः दुनिया का सबसे बड़ा पूरक आहार कार्यक्रम है जिसे 1975 में निम्नोक्त लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए प्रारंभ किया गया था :–

1. 0–6 वर्ष की आयु के बालकों के स्वास्थ्य व पोषण स्तर को पूरक आहार द्वारा सुधारना और राज्य के स्वास्थ्य विभागों द्वारा आवश्यक स्वास्थ्य निवेश सुनिश्चित करना,

2. शाला पूर्व आयु के बालकों को उत्प्रेरण व शिक्षा मनोवैज्ञानिक व सामाजिक विकास के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ उपलब्ध करवाना,

3. गर्भवती व स्तनपान करवाने वाली माताओं को पूरक आहार उपलब्ध करवाना,

4. बालाकों को समुचित देखभाल को बेहतर बनाने के लिए माताओं को स्वास्थ्य तथा पोषण संबंधी शिक्षा देना,

5. बाल विकास को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीति व क्रियान्वयन का प्रभावी समन्वय स्थापित करना.

उपरोक्त दस्तावेज के तथ्यों व आंकड़ों से लगता यह है कि यद्यपि यह योजना बालकों के विकास, विशेषकर कुपोषण व अल्पपोषित बालकों के विकास की विस्तृत योजना है और इसमें 0 से वर्ष 6 की आयु के सभी बालकों को शामिल करने की मंशा प्रकट की गई है, फिर भी अल्पपोषित कुपोषित बालकों व योजना के अन्य लाभार्थियों तक पोषाहार पहुंच यह सुनिश्चित करने के लिए जमीनी स्तर पर काफी कुछ किया जाना चाहिए.

यह पोषाहार आंगनवाड़ी केन्द्रों के मार्फत बच्चों तक पहुंचाया जाता है. देश में कुल छह लाख केन्द्र हैं. भारत सरकार के मानकों के अनुसार 1000 की आबादी (आदिवासी क्षेत्रों में 700) पर एक केन्द्र है. याचिकाकर्ता के

अनुसार इसी मानक के हिसाब से चलें तो देश में कुल 14 लाख आंगनवाड़ी केन्द्र होने चाहिए. भारत सरकार के अनुसार आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या 12 लाख ही होगी. हम भारत सरकार को निर्देश देते हैं. वह 3 माह की अवधि में एक शपथ पत्र प्रेषित करे तथा उसमें यह उल्लेख करे कि किस अवधि में वह आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या बढ़ाकर 14 लाख करेगी. हमने गौर किया है कि पोषाहार की लागत का मानक 1 रूपये प्रति बालक है जो 1991 में निर्धारित किया गया था. भारत सरकार को इन 1 रूपए के मानक संशोधित करने पर विचार करना तथा अपने सुझाव शपथ पत्र में शामिल करने चाहिए.

स्वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्रों के संबंध में हम निर्देश देते हैं कि उन्हें 30 जून 2004 तक पूर्णतः कार्यान्वित कर दिया जाए. हम आगे यह निर्देश भी देते हैं. कि स्वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्र, बालकों, किशोरी बालिकाओं तथा गर्भवती व स्तनपान करवाने वाली माताओं को इस योजना के तहत वर्ष में 300 दिन पोषाहार/पूरक आहार उपलब्ध करवाएं.

हम सभी मुख्य सचिवों को निर्देश देते हैं. कि वे 1 अप्रैल 2003 से 31 मार्च 2004 की अवधि के दौरान स्वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्रों में कितने बालक–बालिकाओं, किशोरियों, गर्भवती व स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषाहार/पूरक आहार दिया गया, तथा उपरोक्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया.

गरीबी रेखा वाले प्रश्न पर भी उसी दिन विचार किया जाएगा.

भारत का उच्चतम न्यायालय

रिट याचिका (सी) न. 196/2001
पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज
बनाम
भारत संघ एवं अन्य
दिनांक 7.10.2004

आदेश

हमने आयुक्तों श्री डॉ. एन.सी. सक्सेना व एस.आर. शंकरन 5 अगस्त 2004 के प्रतिवेदन को देखा. सर्वप्रथम हम आयुक्तों को उनके इस महती कार्य के लिए बधाई देना चाहेंगे तथा उनके प्रतिवेदन की प्रशंसा करना चाहेंगे.

यह प्रतिवेदन तीन भागों में है. प्रथम भाग के 14 हिस्से हैं. जिनमें 14 विभिन्न योजनाओं को समेटा गया है. प्रथम हिस्से में समेकित बाल विकास योजना पर विचार किया गया है, द्वितीय हिस्से में उन्होंने जो पाया उसका सार संक्षेप है तथा तृतीय भाग में सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं.

हम सर्वप्रथम समेकित बाल विकास सेवा के विभिन्न पक्षों पर विचार करेंगे. इस योजना से संबंधित समस्या को पूरी तरह समझने के लिए इसकी पृष्ठभूमि पर गौर करना आवश्यक होगा.

समेकित बाल विकास सेवा, जैसा कि दिनांक 29.4.2004 के आदेश में भी कहा गया था, संभवतः विश्व की सबसे बड़ी योजना व पूरक आहार योजना है, जिसे 1975 में योजना आयोग के दस्तावेजों के अनुसार निम्नांकित लक्ष्यों के साथ प्रारंभ किया गया था :

1. 0 से 6 वर्ष की आयु के बालकों के स्वासथ्य एवं पोषण स्तर को पूरक आहार द्वारा सुधारना तथा राज्य के स्वास्थ्य विभागों के समन्वय द्वारा आवश्यक स्वास्थ्य निवेश सुनिश्चितत करना,
2. शाला पूर्व आयु के बालकों के उत्प्रेरण व शिक्षा द्वारा बालकों के मनौवैज्ञानिक व सामाजिक विकास के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ उपलब्ध करवाना,
3. गर्भवती व स्तनपान करवाने वाली माताओं को पूरक आहार उपलब्ध करवाना,
4. बालकों को समुचित देशभाल को बेहतर बनाने के लिए माताओं को स्वास्थ्य तथा पोषण संबंधी शिक्षा देना,
5. बाल विकास को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीति व क्रियान्वयन का प्रभावी समन्वय स्थापित करना.

यह योजना 0 से 6 वर्ष के आयुवर्ग के सभी बालकों के लिए है. पोषाहार आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाता है. भारत सरकार के मानकों के अनुसार प्रति 1000 की आबादी पर (आदिवासी क्षेत्रों में 700 की आबाद पर) एक केन्द्र है. इस बात पर कोई गंभीर विवाद नहीं, जैसा कि मोहन पराशर, अतिरिक्त महान्यायवादी ने दावा किया है, कि मानकों के अनुसार केन्द्र भी काम नहीं कर रहे हैं, जैसा कि विचाराधीन प्रतिवेदन से स्पष्ट है. यह समस्या बिहार, उत्तर प्रदेश तथा झारखण्ड जैसे राज्यों में और गंभीर है. यहां इस तथ्य की ओर ध्यान

आकर्षित करना जरूरी है कि समेकित बाल विकास सेवा के संबंध में निर्देश पूर्व में 28.11.2001 को ही पारित कर दिए गए थे. दिनांक 27.4.2004 के आदेश में यह टिप्पणी की गई थी कि 28.11.2001 के आदेश के तहत जो लोग आते हैं, उन्हें भी समेकित बाल विकास सेवा का लाभ नहीं मिल रहा है. यह अवलोकन टिप्पणी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण आंकड़ों पर आधारित थी. फलस्वरूप 0 से 6 वर्ष की आयु के बालक कुपोषित रह गए.

उक्त आदेश में यह भी कहा गया था कि उपरोक्त तीन राज्यों के अलावा उत्तराखंड राज्य में भी स्थिति सोचनीय है. 29.11.2004 के आदेश द्वारा भारत सरकार को निर्देशित किया गया था कि वह तीन माह की अवधि में सूचित करे कि वह शेष आंगनवाड़ियों की स्वीकृति कब प्रस्तावित कर रही है. भारत सरकार को यह निर्देश भी दिया गया था कि वह पोषाहार पर व्यय किए जाने वाले प्रति बालक एक रूपये के मानक को संशोधित करने पर भी विचार करे, जो 1991 में तय किया गया था और तत्संबंधी सुझावों को शपथ–पत्र में शामिल करें.

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि तीन के बजाए तकरीबन छह माह की अवधि बीत जाने पर भी भारत सरकार ने अब तक शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया है और इसके बदले अतिरिक्त महान्यायवादी ने मौखिक आवेदन द्वारा 29.4.2004 के आदेश में चाहे गए शपथ पत्र के लिए और समय मांगा है.

हम केन्द्र सरकार के इस नजरिए से हैरान हैं, जहां तक बालकों को पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाने का प्रश्न है, यह समाज के केवल उन अभागे हिस्से को भी पौष्टिक आहार उपलब्ध नहीं करवाती है जो अपने बालकों को ऐसा आहार उपलब्ध नहीं करवा सकते हैं. शपथ पत्र के अभाव में, हम सीधे ही ये निर्देश जारी कर सकते हैं कि सरकार तत्काल शेष आंगनवाड़ी केन्द्रों को स्वीकृत करें तथा प्रति बालक एक रूपये के मानक को बढ़कर दो रूपये कर दें. परन्तु समूची स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम केन्द्रीय सरकार को शपथ पत्र प्रस्तुत करने का एक और अवसर देते हैं कि वह दो सप्ताह के अंदर उक्त शपथ पत्र पेश करे जिसके बाद हम इन दो पक्षों (1) 14 लाख आंगनवाड़ी केन्द्रों को स्वीकृत करना (2) मानक को एक से दो रूपये बढ़ाने पर विचार करेंगे.

अब हम स्वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्रों तथा उनके संचालन के पक्ष पर आते हैं. 29.4.2004 के आदेश में यह निर्देश दिया गया था कि सभी स्वीकृत केन्द्रों को 30 जून 2004 तक पूर्णतः सक्रिय बनाया जाए. इसके आगे यह निर्देश भी जारी किया गया था कि स्वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्रों में बालकों, किशोरी बालिकाओं तथा गर्भवती व स्तनपान करवाने वाली माताओं को वर्ष में 300 दिन पोषाहार/पूरक आहार उपलब्ध करवाया जाए. प्रतिवेदन उत्तरप्रदेश, बिहार तथा झारखड जैसे राज्यों में स्वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्रों के संचालन की तथा जिस स्थिति में वे चल रहे हैं सोचनीय छवि प्रस्तुत करता है.

प्रतिवेदन में ऐसे कई उदाहरण दिए गए हैं जहां महीनों तक बालकों को पोषाहार नहीं दिया गया. उदाहरण के लिए झारखण्ड में स्वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्र मई से दिसंबर 2003 तक ठप्प पड़े थे. राज्य ने इस संबंध में कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया. इसके साथ ही राज्य ने जो दो शपथ पत्र प्रस्तुत किए हैं, एक सितंबर में तथा दूसरा जो आज न्यायालय में दिया गया, उनमें अंतर है. सितंबर में शपथ पूर्वक कहा गया था कि 16689 आंगनवाड़ी केन्द्र कार्य कर रहे हैं. आज के शपथ पत्र में सक्रिय आंगनवाड़ी केन्द्र की संख्या 7429 बताई गई. प्रतिवेदन के अनुसार झारखड राज्य में प्रतिदिन भोजन पर 1 रूपये के मानक के बजाय औसतन 42 पैसे खर्चा जा रहा है. बिहार तथा उत्तरप्रदेश की स्थिति भी इससे अधिक बेहतर नहीं है. बिहार में 349 स्वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्रों में से मात्र 249 काम कर रहे थे. 30 सितंबर 2004 के शपथ पत्र में कहा गया था कि सभी परियोजनाओं को 4 अक्टूबर

2004 से कार्यान्वित कर दिया जाएगा.

ऐसा दरअसल हुआ या नहीं, यह राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता श्री बी.बी. सिंह, स्पष्ट नहीं कर पाए हैं क्योंकि उनको राज्य की ओर से कोई सूचना नहीं मिली है. बहरहाल अगर सभी केन्द्र 4 अक्टूबर, 2004 से चालू नहीं किए गए हों, तो वह तिथि बीत चुकी है. अतः हम यह निर्देश देते हैं कि उन्हें आज से एक सप्ताह की अवधि में चालू किया जाए.

प्रतिवेदन के अनुसार उत्तरप्रदेश में बंद पड़ी/अक्रियान्वित आंगनवाड़ी केन्द्रों का प्रतिशत यद्यपि अधिक है फिर भी राज्य ने स्वयं माना है कि 24 प्रतिशत केन्द्र अब तक क्रियान्वित नहीं हुए हैं. शपथ पत्र में यह दावा किया गया है कि वर्ष 2004 तक शेष केन्द्रों को चालू कर दिया जाएगा. हम राज्य सरकार को निर्देश देते हैं कि 30 नवंबर 2004 तक सभी स्वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्रों को चालू कर दिया जाए. इस तिथि के बाद समयावधि बढ़ाने का कोई आवेदन हम नहीं स्वीकारेंगे.

प्रतिवेदन में यह भी कहा गया है कि कुछ आंगनवाड़ी केन्द्र व्यक्तिगत घरों, जिसमें अनाज डीलरों के घर भी हैं, चलाए जा रहे हैं, वह काम करने का स्वस्थ तरीका नहीं है और इसमें अनाज आदि की चोरी की संभावना बढ़ती है. हम उत्तर प्रदेश के शपथ पत्र में दिए गए इस बयान से प्रसन्न हैं कि आंगनवाड़ी केन्द्रों को प्राथमिक शालाओं में लाने का प्रयास किया गया है. यह एक अच्छा उदाहरण है जिसका अन्य राज्य भी अनुसरण कर सकते हैं. प्रतिवेदन कुछ राज्यों में केन्द्रित खरीद के प्रयासों का भी उल्लेख करता है. जिसमें कई विवाद उत्पन्न हो सकते हैं. एक शपथ पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि खरीददारी राज्य नहीं बल्कि जिला स्तर पर की जा रही है. साथ ही प्रतिवेदन में खरीददारी के लिए ठेकेदारों का उपयोग करने की समस्या का भी उल्लेख है, जिससे लगता है कि यह काम सरकारी एजेंसियों व अधिकारों के स्तर पर ही किया जाना चाहिए.

उपरोक्त वर्णन प्रतिवेदन के प्रथम हिस्से में समेकित बाल विकास सेवाओं के विषय में दिए गए तथ्यों व आंकड़ों के दृष्टांत मात्र हैं. याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गोन्जाल्विस, केन्द्र सरकार का पक्ष रख रहे अतिरिक्त महान्यायवादी तथा विभिन्न राज्य सरकारों, विशेषकर बिहार, झारखंड तथा उत्तप्रदेश के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद हम निम्नाकिंत निर्देश जारी करते हैं :

1. 14 लाख आंगनवाड़ी केन्द्रों को स्वीकृति तथा प्रति बालक व्यय के मानक को एक से बढ़ाकर दो बच्चे करने के पक्ष पर यह न्यायालय दो सप्ताह बाद विचार करेगा.

2. यह प्रयास किया जाएगा कि देश की सभी अनुसूचित जाति/जनजाति की ढ़ाणियों/बस्तियों में जल्द से जल्द आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित किए जाएं.

3. आंगनवाड़ियों तक पोषाहार पहुंचाने के लिए ठेकेदारों का उपयोग नहीं किया जाएगा तथा समेकित बाल विकास योजना की राशियां ग्राम समितियों, स्वयं सहायता केन्द्रों और महिला मंडलों द्वारा अनाज की खरीददारी तथा भोजन की तैयारी के लिए व्यय की जाएगी.

4. सभी राज्य सरकारें/केन्द्र शासित प्रदेश अपनी–अपनी वेबसाइट पर समेकित बाल विकास योजना से संबंधित संपूर्ण आंकड़े उपलब्ध करवाएं, जिसमें कितने आंगनवाड़ी केन्द्र चल रहे हैं, श्रेणीवार लाभार्थियों की संख्या, आवंटित राशियां व अन्य संबंधित विषयों पर सूचना शामिल होगी.

5. सभी राज्य सरकारें/केन्द्र शासित प्रदेश प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की राशियों का उपयोग राज्य के अपने आवंटन के अतिरिक्त करें, न कि राज्य अनुदान के एवज में.

6. जहां तक संभव हो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत आने वाले बालकों को केन्द्र पर ही अच्छा भोजन उपलब्ध करवाया जाए.

7. सभी राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश समेकित बाल विकास सेवा के लिए निर्धारित मानक के आधार पर प्रति बालक प्रति दिन दो रूपया प्रति आंगनवाड़ी 100 लाभार्थियों के हिसाब से प्रति वर्ष 300 दिवस के लिए वित्त का आवंटन करें, केन्द्र भी इसी अनुसार आवंटन करे.

8. समेकित बाल विकास सेवा में लाभार्थियों के चयन के लिए गरीबी रेखा के मानक का उपयोग नहीं किया जाए.

9. सभी स्वीकृत परियोजनाएं कार्य करें तथा उनमें मानक के अनुरूप भोजन उपलब्ध करवाया जाए तथा जहां बर्तनों–भांडो की व्यवस्था नहीं है, वहां वे भी उपलब्ध करवाए जाए. प्रतिवेदन में झारखंड के दृष्टांत में कहा गया था कि वहां बर्तन उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं. सभी चालू केन्द्रों में रिक्त पद तत्काल भरे जाएं. उत्तर प्रदेश के उदाहरण में ये रिक्त स्थान नहीं भरे गए.

10. सभी राज्य सरकारें/केन्द्र शासित प्रदेश, राज्य तथा केन्द्र द्वारा समेकित बाल विकास सेवा/प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के लिए आवंटित समूची राशियों का उपयोग करें तथा उन्हें केन्द्र को अप्रयुक्त वापस नहीं लौटाएं, अगर राशि लौटाई जाए तो न्यायालय को इसका विस्तृत स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए.

11. सभी राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश यह प्रयास करें कि कच्ची बस्तियों को समेकित बाल विकास सेवा के तहत शामिल किया जाए.

12. केन्द्र सरकार तथा राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश यह सुनिश्चित करें कि सभी राशियों का समय से आवंटन हो तथा बालकों को भोजन उलब्ध करवाने में कोई व्यवधान न आए.

भारत का उच्चतम न्यायालय

रिट याचिका (सी) न. 196/2001
पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज
बनाम
भारत संघ एवं अन्य
दिनांक 15.12.2006

पीठासीन न्यायाधीश

माननीय अरिजीत पसायत

आदेश

समेकित बाल विकास सेवा को लेकर इन न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश का केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा अनुपालन नहीं किए जाने की शिकायत याचिकाकर्ता ने की. 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं स्तनपान करातीं माताओं और किशोरावस्था को प्राप्त लड़कियों के लिए यह योजना तैयार की गई हैं. इस योजना को लागू करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को निर्विवाद रूप से अनुदान भी जारी किए गए जिसके ऊपर इस योजना को लागू करने की जवाबदेही है. आरोप यह लगाया गया कि राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए अनुदान का उपयोग नहीं किया.

इस विषय पर हम बाद में विस्तार से विचार करेंगे.

इस सवाल पर कि विभिन्न अवसरों पर इस न्यायालय द्वारा इस योजना को लागू करने के संबंध में जो आदेश दिए जाते रहे हैं, उन पर अमल किया जा रहा है या नहीं, रिपोर्ट देने के लिए इस न्यायालय ने डॉ. एन.सी. सक्सेना को आयुक्त और श्री हर्ष मंदर को विशेष आयुक्त के रूप में नियुक्त किया था.

रिपोर्ट पढ़ने से योजना को लागू करने में कुछ राज्यों को कटु वास्तविकता और स्पष्ट निष्क्रियता का पता चलता है. दिनांक 19 जुलाई, 2006 की रिपोर्ट द्वारा कमेटी ने निम्नलिखित अनुशंसाएं की हैं –

1. वर्तमान मानक के अनुसार समेकित बाल विकास सेवा को सार्वभौम तरीके से लागू करने के लिए कम से कम 14 लाख आंगनवाड़ी केन्द्रों की जरूरत की पुष्टि करती है.
2. भारत सरकार को निर्देश देती है कि वह तीन वर्ष के भीतर आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या बढ़ाकर 14 लाख कर दे.
3. इस रिपोर्ट के आलोक में और आयुक्तों के साथ परामर्श कर भारत सरकार को निर्देश दिया जाए कि वह आंगनवाड़ी केन्द्रों के सृजन और स्थापन के लिए विकसित मानक तैयार करें. यह विकसित मानक सार्वभैमिकता के अनुरूप इस अर्थ में होना चाहिए कि इसके लागू किए जाने पर आंगनवाड़ी केन्द्रों (या लघु आंगनवाड़ी केन्द्रों) तक सभी बच्चों और सभी वांछनीय स्त्रियों की पहुंच सुनिश्चित हो सके.
4. यह स्पष्ट किया जाए की समेकित बाल विकास सेवा की सार्वभौमिकता का मतलब है कि समेकित बाल विकास सेवा की सभी सेवाएं (सिर्फ अतिरिक्त पोषण नहीं) 6 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों, सभी गर्भवती

माहिलाओं का स्तनपान कराती माताओं और सभी किशोरियों लड़कियों तक पंहुच.

5. सभी राज्य सरकारों – केन्द्र शासित प्रदेशों के सभी मुख्य सचिवों को निर्देश दिया जाए कि वे इस अनुसूचित जाति–जनजाति बहुल सभी आवासीय इलाकों, में आंगनवाड़ी केन्द्रों के उपलब्धता और क्रियान्वयन की योजना जिससे पक्का हो सके कि दो वर्षों के भीतर इन इलाकों में सभी आंगनवाड़ी केंद्र कार्य करने लगेंगे, विस्तृत जानकारी के साथ सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दायर करें.

6. सभी राज्य सरकारों – केन्द्र शासित प्रदेशों के सभी मुख्य सचिवों को निर्देश दिया जाए कि वे इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दायर करें कि 7 अक्टूबर, 2004 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो अंतरिम आदेश पारित किया गया था आंगनवाड़ी केन्द्रों में राशन सप्लाई करने के लिए ठेकेदारों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और बेहतर होगा कि अनाज खरीदने और खाना तैयार करने समेकित बाल विकास सेवा अनुदान का इस्तेमाल ग्रामीण समुदायों, स्वयंसेवी समूहों और महिला मंडलों द्वारा किया जाए. उसके क्रियान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं. सभी राज्यों–केन्द्र शासित प्रदेशों के सभी मुख्य सचिवों को एक समयसीमा की पाबंदी तय करनी होगी जिसके अंदर उन्हें पूरी कोशिश करनी होगी कि ग्रामीण समुदायों के जरिए अतिरिक्त आहार कार्यक्रम के लिए सप्लाई के काम की विकेन्द्रीयता हो सके.

"क्या भारत पोषण सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों को पा सकेगा?" में रिपोर्ट संकेत करती है कि : सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य अंतराष्ट्रीय सहमति पर निर्धारित किए गए लक्ष्य हैं जिसे 2015 तक पाने का संकल्प सभी देशों और संस्थानों ने स्वीकारा. दूसरे सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य जिसे हम पोषण सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य कह रहे हैं, जो 1990 से 2015 के बीच आधे स्तर तक ले आना है :

(1) कम वजन के बच्चों की बहुलता (पाँच वर्ष के नीचे)

(2) न्यूनतम स्तर से भी नीचे ऊर्जा देने वाले भोजन पर रहने वाली आबादी का अनुपात.

विभिन्न माताओं पर किए गए कुछ अध्ययन में इस संभावना पर विचार किया गया कि क्या भारत दूसरे पोषण सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य को पा लेगा. यद्यपि उन्होंने भिन्न तस्वीरें प्रस्तुत की हैं, लेकिन सार यही है कि यह लगभग नामुमकिन है कि भारत में व्याप्त कुपोषण 1990 के अपने 54 प्रतिशत के स्तर से गिरकर 2001 में 27 प्रतिशत हो पाएगा. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण द्वारा तैयार किया गया आंकड़ा दर्शाता है कि 1998–99 में, यहां तक कि धनी लोगों में भी प्रत्येक पांच पर एक (33 प्रतिशत) कुपोषण का शिकार हो जाएगा जिसकी तादाद सहत्राब्दी विकास लक्ष्य से भी कहीं ज्यादा होगी. जो चित्र सामने आता है उससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि आर्थिक विकास अकेला नाकाफी है कुपोषण की व्यापकता को कम करने के लिए. नीतियों के साथ मिलकर देखने में चित्र बड़ा गुलाबी दिखाई देता है, लेकिन स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए जबरदस्त ढांचागत हस्तक्षेप की जरूरत है, अगर सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य को पाना है.

समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) के संदर्भ में दिए गए फैसले के मुख्य तत्वः

न्यायालय के समक्ष रखी गई प्रार्थना को ध्यान में रखते हुए हम निर्देशित करते हैं :

1. भारत सराकार 2008 तक कम से कम 14 लाख आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्वीकृति तथा संचालन अनिवार्य रूप से करें. ऐसा करते समय केन्द्र सरकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बस्तियों को चिन्हित करके उन्हें वरीयता दे.

2. भारत सरकर अनिवार्य रूप से यह भी सुनिश्चित करे कि आंगनवाड़ी केन्द्रों को खोलने के लिए जनसंख्या के निर्धारित मापदंड को बरकरार रखते हुए नये आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने के लिए प्रति आंगनवाड़ी केन्द्र 300 की आबादी का ध्यान रखा जाये. जिन झुग्गी–बस्तियों तथा गांवों में 6 वर्ष से कम उम्र के 40 बच्चे हों और यदि वहां पर कोई आंगनवाड़ी नहीं है तो वहां मांग करने पर तुरन्त (3 महीने के अंदर) आंगनवाड़ी केन्द्र खोला जाए.

3. आईसीडीएस के सर्वव्यापीकरण में आई.सी.डी.एस. के तहत सभी 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, सभी गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं तथा सभी किशोरियों को, आईसीडीएस के अंतर्गत आने वाली सभी सेवाएं (पूरक पोषण, विकास पर निगरानी, पोषण, स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, पूर्व पाठशाला शिक्षा) उपलब्ध होनी चाहिए.

4. सभी राज्य सरकार तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों की सरकारें आईसीडीएस योजना को पूर्णतया लागू करें तथा प्रावधान करें –

   (अ) पूरक पोषण के लिए प्रति बच्चा प्रतिदिन कम से कम 2 रूपये व्यय किया जाये जिसमें से केन्द्र सरकार प्रति बच्चा प्रतिदिन 1 रुपये का योगदान करे.

   (ब) गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे के पूरक पोषण हेतु प्रति बच्चे पर प्रतिदिन 2.70 रूपये का प्रावधान हो तथा व्यय किया जाए. इसमें केन्द्र सरकार प्रत्येक बच्चे पर 1.35 रुपए प्रतिदिन का योगदान करें.

   (स) प्रत्येक गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं तथा किशोरियों के पूरे पोषण के लिए 2.30 रुपये प्रतिदिन का प्रावधान हो, जिसमें से केन्द्र सरकार 1.15 रुपये के हिसाब से योगदान करे.

5. बिहार, झारखण्ड, मध्यप्रदेश, मणिपुर, पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम, हरियाणा और उत्त प्रदेश राज्यों के मुख्य सचिव न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर यह स्पष्ट करें कि आईसीडीएस की योजना को पूर्णतया लागू करने के इस न्यायालय के आदेश पर अमल क्यों नहीं किया गया है?

6. सभी राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों की सरकारों के मुख्य सचिवों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे शपथ पत्र दाखिल करके बताएं कि इस न्यायालय के 7 अक्टूबर, 2004 के आदेश के अनुपालन में कौन–कौन से कदम उठाये गए जिसमें यह निर्देश दिया गया था– पोषण सामग्री की आपूर्ति में ठेकेदारों का इस्तेमाल न किया जाये तथा आईसीडीएस फंड का व्यय अनाज को खरीदने तथा भोजन तैयार करने में करें, ग्रामीण समुदायों, स्वयं सहायता समूह और महिला मंडल के द्वारा इसे वरीयता पूर्वक करें. "राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिव समयबद्ध योजना बनाकर बताएं, जिसमें पोषण सामग्री की आपूर्ति का विकेन्द्रीकरण इस प्रकार हो कि स्थानीय समुदाय के हाथों में पहुंच जाए.

7. यह एक गंभीर मामला है कि इस न्यायालय के 7 अक्टूबर 2004 के फैसले के अनुपालन के संदर्भ में 15 राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों ने अपना शपथ पत्र दाखिल नहीं किया है. ये राज्य हैं– उड़ीसा, उत्तरप्रदेश, सिक्किम, अरूणांचल प्रदेश, नागालैण्ड, गोवा, पंजाब, मणिपुर, तमिलनाडु, आन्ध्रप्रदेश, मिजोरम, हरियाणा, बिहार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, लक्ष्यदीप हैं. चार हफ्तों के अंदर इन राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिव जवाब दें कि उनके खिलाफ की अवमानना करने के आरोप में क्यों न कार्रवाई की जाए?

अध्याय 7

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 स्वरूप और मुख्य प्रावधान

अधिनियम का स्वरूप

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अपने आप में भारतीय राज्य व्यवस्था की एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार आधारित संवैधानिक पहल है. इस अधिनियम के स्वरूप को हम निम्न बिंदुओं में वर्गीकृत करके देख सकते हैं –

- **लोक अधिकार (अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6)**

  खाद्य और पोषण सुरक्षा (खाद्यान्न और पोषण आहार)

  - लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली
  - आईसीडीएस
  - मध्यान्ह भोजन

  मातृत्व लाभ (आर्थिक सहयोग)

  - प्रधानमन्त्री मातृ वंदना योजना

- **लोक सशक्तिकरण (अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 8)**

  अनुच्छेद 13 – प्रत्येक पात्र गृहस्थी में, वरिष्ठ स्त्री, जिसकी आयु अठारह वर्ष से कम की न हो, राशन कार्ड जारी किए जाने के प्रयोजन के लिए गृहस्थी की मुख्य होगी.

  जहाँ अठारह वर्ष या उससे अधिक आयु की स्त्री नहीं है, वहां वरिष्ठ पुरुष सदस्य राशन कार्ड जारी किए जाने के प्रयोजन से मुख्य होगा. किसी महिला के अठारह वर्ष का होने पर महिला गृहस्थी की मुखिया हो जायेगी.

  सामाजिक संपरीक्षा (अनुच्छेद 28)

- **सामुदायिक निगरानी और सहभागिता (अनुच्छेद 28 और अनुच्छेद 29)**

  अनुच्छेद 28 – सामाजिक संपरीक्षा प्रत्येक प्राधिकारी या ऐसा कोई अन्य प्राधिकारी या ऐसा कोई अन्य प्राधिकारी या निकाय, जिसे राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जाए, उचित दर दुकानों, लक्षित

सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी स्कीमों के कार्यकरण के सम्बन्ध में समय–समय पर सामजिक संपरीक्षा करेगा या करवाएगा, अपने निष्कर्ष प्रचारित करवाएगा और आवश्यक कार्यवाही करेगा.

अनुच्छेद 29 – राज्य, जिला, ब्लाक, उचित दर दुकानों के स्तर पर सतर्कता समिति का गठन, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं, निराश्रितों और निःशक्त व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व समिति पर्यवेक्षण करने और उल्लंघन सूचित करने का काम करेगी.

- **शिकायत निवारण तंत्र, पारदर्शिता और जवाबदेहिता (अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 27)**

अनुच्छेद 8 – खाद्य सुरक्षा भत्ता हकदार व्यक्ति को खाद्यान–भोजन की मात्रा प्रदाय न किए जाने पर खाद्य सुरक्षा भत्ता पाने का अधिकार.

अनुच्छेद 14 – आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र यानी काल सेंटर, हेल्प लाइन, नोडल अधिकारी और अन्य कोई तंत्र.

अनुच्छेद 15 – जिला शिकायत निवारण अधिकारी, जो जिला स्तर पर शिकायतों का शीघ्र और प्रभावी निवारण करेगा.

अनुच्छेद 16 – सिविल न्यायालय की शक्तियों के साथ राज्य खाद्य आयोग होगा, जो अधिनियम के क्रियान्वयन की निगरानी करेगा, मूल्यांकन करेगा, शिकायत जांच करेगा, राज्य सरकार को सलाह देगा, जिला शिकायत निवारण अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपील सुनेगा.

अनुच्छेद 27 – पीडीएस के अभिलेखों का प्रकटीकरण यानी सभी अभिलेखों को सार्वजनिक प्रभुत्व में रखा जाएगा और निरीक्षण के लिए जनता को उपलब्ध रहेंगे.

- **व्यवस्था सुधार (अनुच्छेद 12)**

(क) निर्गम स्थानों पर खाद्यान्नों का द्वार तक प्रदाय.

(ख) कम्प्यूटरीकरण और पारदर्शक अभिलेखन

(ग) आधार का उपयोग

(घ) अभिलेखों की पूर्ण पारदर्शिता

(ङ) पंचायतों, स्वयंसेवी संस्थाओं, सहकारी संस्थाओं, लोक संस्थाओं, महिलाओं के समूह द्वारा संचालन.

(च) पीडीएस से विविध सामग्रियों का वितरण

(छ) खाद्यान्न बैंकों को समर्थन

(ज) नकद, फूड कूपन आदि का प्रयोग

- **अनुसूची 3**

  (क) छोटे और मझौले किसानों के लिए कृषि सुधार.

  (ख) लाभकारी मूल्य, सिंचाई, विद्युत, फसल बीमा, जीवन निर्वाह की सुरक्षा.

  (ग) खाद्य उत्पादन से भूमि–जन का अनपेक्षित विचलन रोकना.

  (घ) विकेन्द्रीकृत उपार्जन, मोटे अनाजों का उपार्जन.

अधिनियम के दर्ज मुख्य अधिकार

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में पहले से ही चल रही योजनाओं को शामिल किया गया है. यह अधिनियम जीवन चक्र के मुताबिक पोषण और खाद्य सुरक्षा का हक देने का वायदा करता है –

- **मध्यान्ह भोजन योजना (स्कूल)** – आठवीं तक के बच्चों को सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में गरम पका हुआ भोजन.
- **एकीकृत बाल विकास सेवाएं योजना (आंगनवाड़ी)** – 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती और धात्री महिलाओं को पोषण आहार. हांलाकि सर्वोच्च न्यायालय ने स्वास्थ्य–पोषण–टीकाकरण–स्कूल पूर्व शिक्षा के साथ लोकव्यापीकरण के निर्देश दिए हैं, पर अधिनियम में नहीं हैं.
- **लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली** – राशन की दुकान के जरिये पात्र परिवारों (प्राथमिक श्रेणी और अन्त्योदय श्रेणी) को सस्ता राशन (5 किलो अनाज प्रति सदस्य प्राथमिक श्रेणी को और 35 किलो अनाज अन्त्योदय श्रेणी के पूरे परिवार को).
- **मातृत्व हक** – हर गर्भवती – धात्री महिला को 6000 रुपए की सहायता (कुछ खास परिस्थितियों को छोड़कर)

अधिनियम में नया क्या है?

- मातृत्व हक
- पोषक अनाजों को शामिल किया जाना
- पीडीएस में बदलाव (कम्प्यूटराईजेशन, सामाजिक अंकेक्षण, राशन दुकान तक अनाज पहुंच)
- गरीबी की रेखा से ज्यादा संख्या (मध्यप्रदेश में 42 लाख के बजाए 1.27 करोड़ परिवार शामिल होना)
- महिलाओं के नाम पर राशन कार्ड होना
- राशन दुकान निजी हाथों में न जाने देना
- शिकायत निवारण व्यवस्था (खाद्य आयोग और जिला शिकायत निवारण अधिकारी)
- खाद्य सुरक्षा भत्ता का प्रावधान
- सामाजिक अंकेक्षण

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का आधार

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की प्रस्तावना में लिखा गया है कि– ''खाद्य सुरक्षा कानून मानव जीवन चक्र पर आधारित है. इसका उद्देश्य लोगों को जीवन जीने के लिए उस कीमत पर, जो उनके सामर्थ्य में हो, पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण भोजन व पोषण सुरक्षा देना है, ताकि लोग सम्मान एवं गरिमा के साथ जीवनयापन कर सकें.''

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून – 2013 के मुख्य प्रावधान

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की पृष्ठभूमि में भारत में चले लोकतांत्रिक सामाजिक संघर्ष की महत्वपूर्ण भूमिका रही है. यह समझ बनाते हुए कि समाज में खाद्य असुरक्षा और कुपोषण की स्थिति को निर्मित करने में जलवायु परिवर्तन, मंहगाई, बेरोजगारी, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां, सामाजिक वंचनाएँ, जातिगत व्यवस्था, लैंगिक भेदभाव जैसे कारक सक्रिय भूमिका निभाते हैं, अतः सरकार को हर एक व्यक्ति, महिला और बच्चे की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में सक्रिय भूमिका निभाना ही होगी. इसी के मद्देनजर भारत की संसद ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाने की पहल की. और 10 सितम्बर 2013 से भारत में ''राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून'' लागू हुआ. यहाँ कानून के मुख्य प्रावधान बताए जा रहे हैं.

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून का दायरा

इस कानून के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं :

1. यह कानून पूरे देश में लागू होगा.
2. कानून के तहत 2011 की जनगणना पर आधारित देश की जनसंख्या के 67 प्रतिशत को अनाज उपलब्ध कराया जाएगा. इनमें 75 प्रतिशत ग्रामीण एवं 50 प्रतिशत शहरी आबादी शामिल है. यह प्रतिशत हर राज्य में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में गरीबी के अनुसार भिन्न–भिन्न होगा.
3. कानून के दायरे में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरित अनाज व आंगनवाड़ी के माध्यम से पूरक पोषाहार एवं स्कूलों में मध्यान्ह भोजन भी शामिल हैं.
4. मातृत्व लाभ (हक) को भी इसके दायरे में लाया गया है.
5. इस कानून में लाभार्थियों को दो श्रेणियों में बांटा गया है – अन्त्योदय एवं प्राथमिक.
6. प्राथमिक परिवारों का चयन कानून के लागू होने के 365 दिन के अन्दर पूरा करना है. अर्थात हर राज्य में 9 सितम्बर 2014 तक चयन प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए.

कानून के तहत 'खुराक' का मतलब

खुराक से तात्पर्य है – गरम पका भोजन या पहले से तैयार व पका हुआ भोजन, जिसे गरम कर परोसा जा सके, अथवा ऐसी सामग्री जो घर ले जाने वाली खुराक (टेक होम राशन) हो.

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में दिए गए अधिकार

खाद्य सुरक्षा कानून के तहत हमारी चार प्रकार की हकदारी हैं –

राशन दुकान से अनाज

1. प्राथमिकता वाले परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को हर महीने सस्ती कीमत (चावल 3 रु. किलो, गेहूँ 2 रु. किलो, बारीक अनाज 1 रु. किलो) पर 5 किलो अनाज राशन दुकान से उपलब्ध कराया जाएगा.
2. अन्त्योदय परिवारों को 35 किलो अनाज प्रति परिवार प्रति माह इसी दर पर उपलब्ध होगा.

आंगनवाड़ी से पूरक पोषाहार

1. प्रत्येक गर्भवती महिला एवं धात्री माताओं को गर्भधारण के समय से लेकर बच्चे के जन्म के 6 माह तक आंगनवाड़ी से घर ले जाने के लिए 600 कैलोरी व 18–20 ग्राम प्रोटीन युक्त पूरक पोषाहार दिया जाएगा.
2. 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों को घर ले जाने के लिए 500 कैलोरी व 12 से 15 ग्राम प्रोटीन युक्त पूरक पोषाहार दिया जाएगा.
3. 3–6 वर्ष तक के बच्चों को आंगनवाड़ी केन्द्र पर 500 कैलोरी व 12–15 ग्राम प्रोटीन युक्त नाश्ता व गर्म पका हुआ भोजन दिया जाएगा.
4. आंगनवाड़ी द्वारा संबंधित क्षेत्र में कुपोषित बच्चों की पहचान की जायेगी.
5. कुपोषित बच्चों को घर ले जाने के लिए 800 कैलोरी व 20–25 ग्राम प्रोटीन युक्त पूरक पोषाहार दिया जाएगा.
6. प्रत्येक आंगनवाड़ी में रसोईघर की सुविधा होगी और पीने का स्वच्छ पानी एवं शौचालय उपलब्ध करवाया जाएगा.

स्कूलों में मध्यान्ह भोजन

1. सभी सरकारी / स्थानीय निकायों / सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को 450 कैलोरी व 12 ग्राम प्रोटीन युक्त भोजन, कक्षा 6 से 8 कक्षा तक के बच्चों को 700 कैलोरी व 20 ग्राम प्रोटीन युक्त गर्म पका भोजन स्कूल में छुट्टी के दिनों को छोड़कर हर रोज मुफ्त दिया जाएगा.
2. प्रत्येक स्कूल में रसोईघर, पीने का साफ पानी और शौचालय उपलब्ध करवाया जाएगा.
3. शहरी क्षेत्रों में केन्द्र सरकार के मापदंडों पर केन्द्रीय रसोई से मध्यान्ह भोजन दिया जा सकता है.

मानक – सामाजिक अंकेक्षण में यह तोलना होगा कि बच्चों को तय मात्रा में भोजन मिल रहा है. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बच्चों को भारत सरकार द्वारा तय न्यूनतम मात्रा और पोषण तत्वों के मुताबिक भोजन उपलब्ध हो.

गर्भवती / धात्री महिलाओं को मातृत्व लाभ

मातृत्व लाभ के रूप में हर गर्भवती / धात्री महिला को कम से कम 6000 रु. का अनुदान केन्द्र सरकार द्वारा बनाई गयी योजना के तहत दिया जाएगा.

विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 से सम्बंधित कार्यक्रमों का स्वरूप

{इस हिस्से में भारत के विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में शामिल कार्यक्रमों और योजनाओं के स्वरूप के बारे में बुनियादी जानकारियाँ प्रस्तुत की गई हैं. इससे यह समझ बन सकती है कि अलग–अलग राज्यों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम, मातृत्व हक और मध्यान्ह भोजन योजना को किस तरह से लागू किया जा रहा है. इस हिस्से में राज्यों में किये गए प्रावधानों और नियमों का ही सन्दर्भ लिया गया है. नियमों के क्रियान्वयन की मैदानी स्थिति का कोई विश्लेषण या आंकलन इसमें नहीं है.}

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रावधान

राज्य का नाम / एनएफएसए में शामिल जनसंख्या का प्रतिशत	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत श्रेणियाँ	राशन दुकान से मिलने वाले खाद्य पदार्थ एवं उसका मूल्य (प्रति किलोग्राम रुपये में)		प्रति राशन दुकान परिवारों / जनसंख्या की संख्या	जिला शिकायत निवारण अधिकारी	बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण	राशन वितरण के लिए दुकान खुलना (माह में कितने दिन)
		प्राथमिकता श्रेणी	अंत्योदय श्रेणी				
मध्यप्रदेश ग्रामीण – 80.10 शहरी – 62.61	भूमिहीन कृषि मजदूर, पंजीकृत रिक्शा / हाथ ठेला चालक, वनाधिकार पट्टेधारी, रेलवे में पंजीकृत कुली, बीड़ी श्रमिक, पंजीकृत बुनकर एवं शिल्पी, पंजीकृत केशशिल्पी एवं अन्य	1. चावल एवं गेहूं–1 रुपये 2. चना–27 रुपये	1. चावल एवं गेहूं–1 रुपये 2. चना–27 रुपये 3. शक्कर–20 रुपये (शक्कर केवल कुछ चिन्हित विशेष क्षेत्रों में)	प्रति राशन दुकान 800 परिवार एवं अतिरिक्त दुकान 400 से ज्यादा परिवार होने पर	जिला कलेक्टर (समाहर्ता) जिला	बायोमेट्रिक पहचान का उपयोग किया जा रहा है परन्तु पहचान ना मिले तो पहचान पत्र के आधार पर भी निर्धारित दिनों में दिया जाता है	20 दिन महीने में (ऑर्डर अनुसार 1–21 तारीख हर महीने की अनाज वितरण के लिए)
पश्चिम बंगाल ग्रामीण – 74.47 शहरी – 47.55	मेला ढोने वाले, ऐसे परिवार जिनमें 25 वर्ष का कोई भी साक्षर व्यस्क नहीं हो, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति, निराश्रित / भिक्षा मांगने वाले एवं अन्य	1. चावल–2 रुपये 2. गेहूं / गेहूं का आटा–3.50 रुपये	1. चावल एवं गेहूं / गेहूं का आटा–2 रुपये	इसका उल्लेख पीडीएस कंट्रोल ऑर्डर में नहीं है	एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम)	बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण कुछ क्षेत्रों में उपयोग किया जा रहा है बाकी जगह बिना बायोमेट्रिक के दिया जा रहा है	20–22 दिन
झारखण्ड ग्रामीण – 86.48 शहरी – 60.20	आदिम जनजाति के सभी परिवार, कैंसर, एड्स एवं अन्य असाध्य रोगों से ग्रसित व्यक्ति एवं अन्य	1. चावल एवं गेहूं–1 रुपये 2. शक्कर–24 रुपये	1. चावल एवं गेहूं–1 रुपये 2. शक्कर–24 रुपये	1000 की जनसंख्या पर	अपर समाहर्ता (एडिशनल कलेक्टर)	बायोमेट्रिक पहचान का उपयोग किया जा रहा है परन्तु पहचान ना मिले तो पहचान पत्र के आधार पर भी निर्धारित दिनों में दिया जाता है	20–22 दिन (हर माह की 5 तारीख से वितरण शुरु होगा, सोमवार एवं सरकारी छुट्टियों को छोड़कर)

राज्य का नाम / एनएफएसए में शामिल जनसंख्या का प्रतिशत	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत श्रेणियाँ	राशन दुकान से मिलने वाले खाद्य पदार्थ एवं उसका मूल्य (प्रति किलोग्राम रुपये में)		प्रति राशन दुकान परिवारों / जनसंख्या की संख्या	जिला शिकायत निवारण अधिकारी	बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण	राशन वितरण के लिए दुकान खुलना (माह में कितने दिन)
		प्राथमिकता श्रेणी	अंत्योदय श्रेणी				
छत्तीसगढ़ ग्रामीण – 84.25 शहरी – 59.98	60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति, विमुक्त बंधुआ मजदूर, भूमिहीन कृषि मजदूरों एवं सीमांत एवं लघु कृषकों के समस्त परिवार, असंगठित श्रमिक, समस्त परिवार जिसके मुखिया एक निःशक्त व्यक्ति हैं एवं अन्य	1. चावल–1 रुपये 2. चना–5 रुपये, (चना सिर्फ चिन्हित आदिवासी क्षेत्रों के लिए) 3. शक्कर–18 रुपये	1. चावल–1 रुपये 2. चना–5 रुपये, (चना सिर्फ चिन्हित आदिवासी क्षेत्रों के लिए) 3. शक्कर–18 रुपये	शहरी क्षेत्रों में 1000 राशन कार्ड पर (जिसमें कम से कम 400 बीपीएल या अंत्योदय से हों) एवं ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत को इकाई माना जायेगा	जिला कलेक्टर (समाहर्ता)	बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य है	20–26 दिन (कलेक्टर द्वारा तय किया जायेगा)
कर्नाटक ग्रामीण – 76.04 शहरी – 49.36	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वाले परिवार, पेंशनर एवं अन्य	1. चावल–निःशुल्क 2. एक लीटर पाम तेल–25 रुपये लीटर 3. दाल–38 रुपये	1. चावल–निःशुल्क 2. एक लीटर पाम तेल–25 रुपये लीटर 3. दाल–38 रुपये	कम से कम ग्रामीण क्षेत्र में 500 परिवार एवं शहरी क्षेत्र में 800 परिवार	जिले के उपायुक्त (डेप्युटी कमिश्नर)	बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य है	26 दिन
तमिलनाडु ग्रामीण – 62.55 शहरी – 37.79	पेंशनर, एकल एवं विधवा महिला, विकलांग (40% से ज्यादा), कचरा उठाने वाले, अकुशल श्रमिक, खेतिहर मजदूर एवं अन्य	1. निःशुल्क–चावल एवं गेहूं, दाल, तेल, शक्कर	1. निःशुल्क–चावल एवं गेहूं, दाल, तेल, शक्कर	ग्रामीण क्षेत्रों में 500 कार्ड पर एवं शहरी क्षेत्र में 800 कार्ड पर	जिला राजस्व (रेवेन्यु) अधिकारी	स्मार्ट कार्ड का प्रयोग हो रहा है	26 दिन
उड़ीसा ग्रामीण – 82.17 शहरी – 55.77	बिना घर वाले परिवार, किन्नर (ट्रांसजेंटर) विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति के सभी परिवार, विकलांग व्यक्ति (40% से ज्यादा) एवं अन्य	1. चावल एवं गेहूं–1 रुपये 2. मिलेट्स–1 रुपये (7 चिन्हित जिलों के लिये)	1. चावल एवं गेहूं–1 रुपये 2. मिलेट्स–1 रुपये (7 चिन्हित जिलों के लिये)	उचित मूल्य की दुकान का संचालन ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा अपनी स्थानीय सीमा के अंदर	प्रोग्राम डायरेक्टर, डिस्ट्रिक रूरल डेवलपमेंट एजेंसी	बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य है, जिसमें जिलावार कम से कम 75% बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण सुनिश्चित करना है	20 दिन (हर माह 5–25 तारीख तक वितरण)

राज्य का नाम / एनएफएसए में शामिल जनसंख्या का प्रतिशत	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत श्रेणियाँ	राशन दुकान से मिलने वाले खाद्य पदार्थ एवं उसका मूल्य (प्रति किलोग्राम रुपये में)		प्रति राशन दुकान परिवारों / जनसंख्या की संख्या	जिला शिकायत निवारण अधिकारी	बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण	राशन वितरण के लिए दुकान खुलना (माह में कितने दिन)
		प्राथमिकता श्रेणी	अंत्योदय श्रेणी				
महाराष्ट्र ग्रामीण – 76.32 शहरी – 45.34	खेतिहर मजदूर, अनुसूचित जनजाति के सभी परिवार, विकलांग व्यक्ति, कचरा उठाने वाले, रिक्शा चालक, कुली, फल व सब्जी बेचने वाले	1. चावल–3 रुपये 2. गेहूं–2 रुपये	1. चावल–3 रुपये 2. गेहूं–2 रुपये 3. शक्कर–22 रुपये	800 यूनिट पर	एडिशनल कलेक्टर	बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य है	20–25 दिन
राजस्थान ग्रामीण – 69.09 शहरी – 53.00	खेतिहर मजदूर, अनुसूचित जनजाति के सभी परिवार, विकलांग व्यक्ति, कचरा उठाने वाले, रिक्शा चालक, कुली, फल व सब्जी बेचने वाले	1. गेहूं–1 रुपये	1. गेहूं–1 रुपये	इसका उल्लेख पीडीएस कंट्रोल ऑर्डर में नहीं है, (400 परिवारों से ज्यादा पर संचालन हो रहा है)	एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट–एडमिनिस्ट्रेशन (एडीएमए)	बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य है	22–26 दिन
बिहार ग्रामीण – 85.15 शहरी – 74.53	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महादलित, किन्नर समुदाय एवं अन्य	1. चावल–3 रुपये 2. गेहूं–2 रुपये 3. मोटा अनाज–1 रुपये	1. चावल–3 रुपये 2. गेहूं–2 रुपये 3. मोटा अनाज–1 रुपये	शहरी क्षेत्र–1350 जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र–1900 जनसंख्या (दूरस्थ क्षेत्रों विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में 1000 की जनसंख्या पर)	एडिशनल कलेक्टर (राजस्व)	बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य नहीं है (इस हेतु विभाग द्वारा आधार लिंक करने का अभियान चलाया जा रहा है)	26 दिन
गुजरात ग्रामीण – 74.64 शहरी – 48.25	विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग व्यक्ति, एकल एवं विधवा महिला एवं अन्य	1. चावल–3 रुपये 2. गेहूं–2 रुपये	1. चावल–3 रुपये 2. गेहूं–2 रुपये 3. शक्कर–22 रुपये	3000 की जनसंख्या पर	एडिशनल कलेक्टर	बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य है	20 दिन (1–20 तारीख वितरण के लिये)

एकीकृत बाल विकास सेवायें एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत प्रावधान

राज्य का नाम	गर्म पका भोजन के पात्र	टेक होम राशन के पात्र	अंडे / दूध का प्रावधान	कुपोषित बच्चों की पहचान	कुपोषित बच्चों के लिए अतिरिक्त आहार	पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी) स्थापित है	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएम वीवाय) प्रभारी विभाग	योजना का आवेदन फॉर्म भरने के लिए उत्तरदायी	राज्य की अन्य मातृत्व हक संबंधी योजना
मध्यप्रदेश	3–6 साल के बच्चे, केवल प्रत्येक मंगलवार गर्भवती एवं धात्री माताओं को दोपहर का भोजन एवं 6 माह से 3 साल के बच्चे को नाश्ता एवं भोजन	गर्भवती एवं धात्री माताएं, 6 माह–3 साल के बच्चे एवं किशोरी बालिका (11–14 वर्ष)	फ्लेवर्ड दूध पावडर सप्ताह में 3 दिन 3–6 साल के लिए	वजन एवं लम्बाई / ऊंचाई	अतिकम वजन के बच्चों को रेडी टू ईट थर्ड मील (कुल 800 कैलोरी प्रतिदिन+4 किग्रा सोयाबीन की बड़ी का पैकेट)	ब्लॉक एवं जिला स्तर	महिला एवं बाल विकास विभाग	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता	मुख्यमंत्री श्रमिक प्रसूति सहायता योजना, राशि 16000 रु. (प्रथम दो बच्चों के जन्म पर लागू)
पश्चिम बंगाल	गर्भवती एवं धात्री माताएं, 6 माह से 6 साल के बच्चे	कोई प्रावधान नहीं है	अंडा–6 माह–6 साल के बच्चों के लिये आधा अंडा। गर्भवती, धात्री के लिये पूरा / आधा अंडा सप्ताह में 6 दिन	वजन एवं लम्बाई / ऊंचाई	एक पूरा अंडा सप्ताह में 6 दिन	ब्लॉक एवं जिला स्तर	महिला एवं बाल विकास विभाग	एएनएम	नहीं है
झारखण्ड	3 से 6 साल के बच्चे	गर्भवती एवं धात्री माताएं, 6 माह–3 साल के बच्चे	अंडा–3 से 6 साल के बच्चों के लिये सप्ताह में 3 दिन	वजन एवं लम्बाई / ऊंचाई	6 माह से 6 साल के बच्चों के लिए टेक होम राशन के साथ कुल 800 किलो कैलोरी ऊर्जा का पूरक खाद्यान्न कुल 20–25 ग्राम प्रोटीन के साथ (तीन अतिरिक्त पैकेट टेक होम राशन 3 साल से अन्दर के बच्चों के लिये)	कुपोषण एवं उपचार केंद्र (एमटीसी) ब्लॉक एवं जिला स्तर	महिला एवं बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता	नहीं है

छत्तीसगढ़	3–6 साल के बच्चे	गर्भवती एवं धात्री माताएं, 6 माह–3 साल के बच्चे, किशोरी बालिका (11–14 वर्ष)	अंडा–3 से 6 साल के बच्चों के लिये (केवल चिन्हित क्षेत्रों के लिए)	वजन एवं लम्बाई / ऊंचाई	अतिरिक्त टेक होम राशन–6 माह–3 साल के लिये 1 पैकेट 1200 ग्राम एवं 3–6 साल के बच्चों के लिए 1 पैकेट 450 ग्राम सप्ताह में 6 दिन के लिए होगा	ब्लॉक एवं जिला स्तर	महिला एवं बाल विकास विभाग	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता	नहीं है
कर्नाटक	गर्भवती एवं धात्री माताएं, 3–6 साल के बच्चे	6 माह–3 साल के बच्चे एवं किशोरियां	1. अंडा–3 से 6 साल के बच्चों के लिए सप्ताह में 2 दिन 2. दूध पाउडर–6 माह से 6 साल के बच्चों के लिये सप्ताह में 5 दिन	वजन एवं लम्बाई / ऊंचाई	एक सप्ताह में 3 दिन अंडा (6 माह–3 साल) / 5 दिन अंडा–(3–6 वर्ष) दूध प्रतिदिन	परिवर्तित पोषण पुनर्वास केंद्र– तालुका एवं जिला स्तर	महिला एवं बाल विकास विभाग	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता	मातृश्री योजना–राशि 6000 (प्रथम दो बच्चों के जन्म पर लागू)
तमिलनाडु	गर्भवती एवं धात्री माताएं, 2 से 5+ साल के बच्चे, किशोरी बालिकाएं एवं वृद्ध पेंशनर	कोई प्रावधान नहीं है	अंडा या 100 ग्राम केला–2 से 5+ साल के बच्चों के लिए सप्ताह में 3 दिन, 20 ग्राम चना हर मंगलवार, 20 ग्राम उबला आलू हर शुक्रवार	उम्र के मान से वजन	खाना–6 माह से 2 साल–240 ग्राम, 2–3 साल–190 ग्राम, 3–5+ साल–100 ग्राम अतिरिक्त आहार	राज्य में कुल 3 केंद्र जिला स्तर पर (मेडिकल कॉलेज में)	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	ग्राम एवं शहरी स्वास्थ्य नर्स	डॉ. मुथ्थुलक्ष्मी रेड्डी मातृ सहायता योजना, राशि–12000–18000 रुपये (प्रथम दो बच्चों के जन्म पर लागू)

ओडिसा	3–6 साल के बच्चे	गर्भवती एवं धात्री माताएं, 6 माह–3 साल के बच्चे एवं किशोरी बालिकायें	अंडा–3–6 साल 5 अंडे एक सप्ताह में एवं 6 माह से 3 साल के बच्चों के लिए 12 अंडे एक महीने में (3 उबले अंडे हर सप्ताह)	वजन एवं लम्बाई / ऊंचाई	6 माह–3 साल एक पैकेट छतुआ 4.9 किग्रा प्रतिमाह+83 पिसा आटा, बेसन एवं आटा / रागी लड्डू+12 अंडे एक महीने में	ब्लॉक एवं जिला स्तर	महिला एवं बाल विकास एवं मिशन शक्ति	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता	नहीं है
महाराष्ट्र	1. 3–6 साल के बच्चे, 2. गर्भवती एवं धात्री माता को (16 चिन्हित जिलों में लागू अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना के अंतर्गत एक बार का भोजन)	गर्भवती एवं धात्री माताएं, 6 माह–3 साल के बच्चे एवं किशोरी बालिका	अंडा या केला (जो अंडा नहीं खाये)–अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना के तहत कुछ चिन्हित क्षेत्रों में 7 माह से 6 साल के बच्चों के लिए सप्ताह में 6 अंडे	वजन एवं लम्बाई / ऊंचाई	मूंगफली पेस्ट (पीनट पेस्ट)	जिला स्तर	स्वास्थ्य विभाग	शहर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं गांव में आशा कार्यकर्ता	नहीं है
राजस्थान	3–6 साल के बच्चे	गर्भवती एवं धात्री माताएं, 6 माह–3 साल के बच्चे, किशोरी बालिका	देसी घी योजना : शासकीय अस्पताल में पहले बच्चे के प्रसव के पश्चात 5 लीटर देसी घी का प्रावधान	वजन एवं लम्बाई / ऊंचाई	1. 6 माह–3 साल : 125 ग्राम पंजीरी / 240 ग्राम हलवा प्रिमिक्स 2. 3–6 साल : 51 ग्राम हलवा प्रिमिक्स / 42 ग्राम उपमा प्रिमिक्स का नाश्ता एवं गरम पूरक पोषाहार खिचड़ी / मीठा दलिया तथा 78 ग्राम हलवा / 70 ग्राम उपमा (अति. पोषाहार)	ब्लॉक एवं जिला स्तर	महिला एवं बाल विकास विभाग	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता	नहीं है

बिहार	3–6 साल के बच्चे	गर्भवती एवं धात्री माताएं, 6 माह से 3 साल के बच्चे (केवल कुपोषित)	अंडा– 6 माह से 3 साल, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को सप्ताह में दो दिन (बुधवार, शुक्रवार) एक–एक उबला अंडा	उम्र के मान से वजन	6 माह से 6 साल–(THR) 28 कुपोशित–2.5 किलो चावल+1.250 किलो दाल एवं 12 अति कुपोषित–4 किलो चावल+2 किलो दाल (एक माह के लिये)	जिला स्तर	महिला एवं बाल विकास विभाग	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता	नहीं है
गुजरात	3–6 साल के बच्चे	गर्भवती एवं धात्री माताएं, 6 माह से 3 साल के बच्चे (केवल कुपोषित)	दूध–6 माह से 3 साल के बच्चों को सप्ताह में 6 दिन	वजन एवं लम्बाई / ऊंचाई	6 माह से 3 साल– 3 अतिरिक्त (कुल 10) पैकेट एवं 3 साल से 6 साल के 4 पैकेट अतिरिक्त टी एच आर प्रतिमाह	ब्लॉक एवं जिला स्तर	महिला एवं बाल विकास विभाग	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता	कस्तूरबा पोषण सहायता 6000 रु. (2 जीवित जन्म पर लागू)

मध्यान्ह भोजन के तहत प्रावधान

राज्य का नाम	मध्यान्ह भोजन के पात्र	अंडे / दूध का प्रावधान	प्रभारी विभाग	मध्यान्ह भोजन में सब्जी / दाल / फल की उपलब्धता	रसोइये का मानदेय
मध्यप्रदेश	सरकार से अनुदान पात्र, राष्ट्रीय बालश्रम परियोजना अंतर्गत संचालित शालाएं, विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों एवं ऐसे मदरसे जिन्हें सर्वशिक्षा के अंतर्गत सहायता दी जा रही है ऐसी प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला के विद्यार्थी	दूध पावडर–सप्ताह में तीन दिन (प्राथमिक–10 ग्रा., माध्यमिक–15 ग्रा.)	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	दाल एवं सब्जी	रसोईया कम सहायक–2000 रु. प्रतिमाह (10 माह के लिये)
पश्चिम बंगाल	सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, स्थानीय निकाय एवं मदरसा में पढ़ने वाले प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला के विद्यार्थी	अंडा–सप्ताह में एक बार एवं कुछ चिन्हित क्षेत्रों में सप्ताह में दो बार	स्कूल शिक्षा विभाग	दाल एवं सब्जी	रसोईया कम सहायक–1500 रु. प्रतिमाह (10 माह के लिए)
झारखण्ड	सरकारी, गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक विद्यालय एवं मान्यता प्राप्त अनुदानित मदरसा तथा संस्कृति विद्यालयों में नामांकित वर्ग 1–8वीं कक्षा के विद्यार्थी	उबला अंडा या फल सप्ताह में 3 दिन	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	दाल एवं सब्जी	रसोईया कम सहायक–1500 रु. प्रतिमाह (10 माह के लिए)
छत्तीसगढ़	सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला	अंडा / दूध सप्ताह में 2 दिन	स्कूल शिक्षा विभाग	दाल एवं सब्जी	रसोईया कम सहायक – 1200 रु. प्रतिमाह (10 माह के लिए)
कर्नाटक	सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला के विद्यार्थी, विशेष प्रशिक्षण केंद्र, माध्यमिक एवं हाई स्कूल शाला के विद्यार्थी	दूध–18 ग्राम प्रति बच्चा 1 से 10वीं कक्षा तक सप्ताह में 3–5 दिन	डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन	दाल एवं सब्जी	1. रसोईया–2700 रु. प्रतिमाह 2. सहायक रसोईया–2600 रु. प्रतिमाह
तमिलनाडु	सरकारी, सरकारी अनुदान प्राप्त विशेष प्रशिक्षण केंद्र, मदरसा एवं वह बच्चे जिनका नामांकन राष्ट्रीय बालश्रम कार्यक्रम में हुआ है ऐसे प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला के विद्यार्थी	46 ग्राम अंडा या 100 ग्राम केला–सप्ताह में 6 दिन (अंडा नहीं खाने पर केला दिया जाता है)	सोशल वेलफेयर एंड न्यूट्रीशियस मील डिपार्टमेंट	दाल एवं सब्जी	1. रसोईया–6265–7840 रु. प्रतिमाह 2. सहायक रसोईया–5110–6160 रु. प्रतिमाह

ओडिसा	सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त, मदरसा, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सहायता प्राप्त मकताब के प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला के विद्यार्थी	एक अंडा सप्ताह में दो दिन (बुधवार एवं शनिवार)	स्कूल एवं मॉस एजुकेशन डिपार्टमेंट	दाल एवं सब्जी	रसोईया कम सहायक–1400 रु. प्रतिमाह
महाराष्ट्र	सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त, शिक्षा गारंटी स्कीम केंद्र, महात्मा फुले शिक्षा गारंटी स्कीम केंद्र के शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला के विद्यार्थी	मूंगफली, चिक्की, खजूर, राजगीरा लड्डू, अंडा सप्ताह में एक बार	स्कूल एजुकेशन एंड स्पोर्ट डिपार्टमेंट (स्कूल शिक्षा एवं खेल विभाग)	दाल एवं सब्जी	रसोईया कम सहायक–1000 रुपये प्रतिमाह 25 बच्चों तक, 26–199 बच्चों पर 200 रु. आदि
राजस्थान	सभी राजकीय, अनुदानित, स्थानीय निकाय विभाग द्वारा संचालित शिक्षा गारंटी योजना, मदरसा आदि प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला के विद्यार्थी	दूध–सप्ताह में 6 दिन (अन्नपूर्णा दूध योजना के अंतर्गत)	आयुक्त, मिड डे मील	दाल एवं सब्जी, सप्ताह में एक बार फल	रसोईया कम सहायक–1320 रु. प्रति माह
बिहार	राज्य के सभी सरकारी/स्थानीय निकायों/सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला के विद्यार्थी	अंडा/फल–सप्ताह एक दिन एक उबला अंडा (शुक्रवार)	शिक्षा विभाग	दाल एवं सब्जी	रसोईया कम सहायक–1500 रुपये प्रतिमाह
गुजरात	सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त एवं स्थानीय निकाय के प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला के विद्यार्थी	दूध (फ्लेवर्ड)–सप्ताह में 6 दिन	स्कूल शिक्षा विभाग	दाल एवं सब्जी	रसोईया कम सहायक–1600 रु. प्रति माह

प्रधानमन्त्री मातृ वंदना योजना / मातृत्व लाभ

पर्याप्त भोजन एवं पोषण हर एक नागरिक का हक है. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कहा गया है कि –

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मातृत्व लाभ के रूप में हर गर्भवती / धात्री महिला को कम से कम 6000 रु. का अनुदान केन्द्र सरकार द्वारा बनाई गयी योजना के तहत दिया जाएगा.

उद्देश्य

- गर्भवती महिलाओं को मजदूरी की हानि की आंशिक क्षतिपूर्ति के रूप में नगद प्रोत्साहन प्रदाय करना ताकि प्रथम बच्चे के प्रसव के पूर्व एवं पश्चात उन्हें पर्याप्त आराम मिल सके और नगद प्रोत्साहन के माध्यम से गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं के स्वास्थ्य संबंधी व्यवहारों में सुधार लाना है.
- योजना अंतर्गत समस्त गर्भवती महिलाएं एवं धात्री माताएं प्रथम जीवित बच्चे पर (सरकारी / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को छोड़कर) निर्धारित शर्तों की पूर्ति उपरांत इस योजना के लाभ की हकदार होंगी.

कानून बन जाना तो एक बात है, इसे बेहतरी से लागू करना बड़ी चुनौती है. हमें इस कानून को सभी गांव व क्षेत्रों में मिलकर ठीक ढंग से लागू करना होगा एवं इसकी निरंतर देखरेख भी करना होगी यानी हमें इस कानून के तहत मिले हकों की निरंतर समीक्षा व मूल्यांकन मिलकर करना जरुरी है.

क्र.	किश्त	शर्तें	राशि	सत्यापन स्रोत
1	प्रथम किश्त	गर्भावस्था के शीघ्र पंजीयन करने पर (एलएमपी के 150 दिन के अन्दर)	रुपये 1000.00	एमसीपी कार्ड – एएनएम / एओ द्वारा प्रमाणित
2	द्वितीय किश्त	गर्भावस्था के 6 माह तक न्यूनतम 1 प्रसवपूर्व जांच कराने पर (एलएमपी के 180 दिवस के पश्चात)	रुपये 2000.00	एमसीपी कार्ड – एएनएम / एओ द्वारा प्रमाणित
3	तृतीय किश्त	नवजात शिशु के जन्म उपरांत पंजीयन कराने पर व शिशु को बीसीजी, ओपीवी, एचबीवी, पेंटावेलेंट 1,2,3 का निर्धारित समयसीमा में टीकाकृत कराने पर	रुपये 2000.00	शिशु के जन्म प्रमाण पत्र की छायाप्रति एमसीपी कार्ड – एएनएम / एओ द्वारा प्रमाणित
	कुल		**रुपये 5000.00**	
संस्थागत प्रसव के बाद मातृत्व लाभ के मान्य नियमों के अनुरूप रुपये 1000.00 की राशि दी जाएगी। इस तरह कुल रुपये 6000.00 की राशि दी जाएगी।				

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और महिला सशक्तिकरण

- अब राशन कार्ड पर परिवार की सबसे वरिष्ठ महिला (18 वर्ष से ऊपर की) का नाम परिवार की मुखिया के रूप में अंकित होगा.
- इसमें गर्भवती और धात्री महिलाओं के लिए पोषण के अधिकार को शामिल किया गया है.
- पहली बार देश में सभी गर्भवती–धात्री महिलाओं के लिए मातृत्व लाभ (मातृत्व हक) का प्रावधान किया गया है. इसके तहत उन्हें छः हजार रुपए का लाभ दिया जाना है.

खाद्य सुरक्षा को अग्रसर करने के लिए उपबंध

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की अनुसूची 3 (अनुच्छेद 31 के सन्दर्भ में) में उन उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है, जो खाद्य सुरक्षा की स्थायी स्थिति को हासिल करने के लिए अनिवार्य हैं. इस अनुसूची में उल्लेख है :

1. कृषि का पुनः सुदृढ़ीकरण

(क) छोटे और सीमान्त कृषकों के हितों को सुरक्षित करने के उपायों के माध्यम से कृषि सुधार करना.

(ख) कृषि, जिसके अंतर्गत अनुसंधान और विकास सेवाएं, सूक्ष्म और लघु सिंचाई और उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाने के लिए शक्ति भी है, आवंटन में वृद्धि करना.

(ग) लाभकारी कीमतों, निवेशों तक पहुँच, प्रत्यय, सिंचाई, विद्युत, फसल बीमा, आदि के रूप में कृषकों के जीवन निर्वाह की सुरक्षा सुनिश्चित करना.

(घ) खाद्य उत्पादन के भूमि और जल के अनपेक्षित उपयोजन का प्रतिषेध करना.

2. उपापन, भण्डारण और लाने – ले जाने से सम्बंधित मध्यक्षेप

(क) विकेन्द्रीकृत उपापन को, जिसके अंतर्गत मोटे अनाजों का उपापन भी है, प्रोत्साहित करना.

(ख) उपापन संक्रियाओं का भोगोलिक विशाखन.

(ग) पर्याप्त विकेन्द्रीकृत आधुनिक और वैज्ञानिक भण्डारण का संवर्धन और

(घ) खाद्यान्नों के लाने–ले जाने को सर्वोच्च प्राथमिकता देना और इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त रैक उपलब्ध कराना, जिसमें अधिशेष वाले क्षेत्रों से उपयोग वाले क्षेत्रों को खाद्यान्न को लाने–ले जाने को सुकर बनाने के लिए रेल लाइन क्षमता का विस्तार भी सम्मिलित है.

3. अन्य निम्नलिखित तक पहुंच

(क) सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल और स्वच्छता,

(ख) स्वास्थ्य देखभाल,

(ग) किशोरी बालिकाओं का पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा के सम्बन्ध में सहायता और

(घ) वरिष्ठ नागरिकों, निःशक्त व्यक्तियों और एकल महिलाओं को पर्याप्त पेंशन.

अध्याय
8

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013
जवाबदेहिता, पारदर्शिता, शिकायत निवारण

शिकायत निवारण व्यवस्था

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत जिला स्तर पर शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त किया गया है. मध्यप्रदेश में जिला कलेक्टर जिला शिकायत निवारण अधिकारी होगा. वे शिकायत प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर शिकायत का निराकरण करेंगे. यदि शिकायतकर्ता निर्णय से असंतुष्ट तो 30 दिन के भीतर राज्य खाद्य आयोग के समक्ष अपील कर सकता है.

कानून बन जाने व लागू हो जाने से खाद्य सुरक्षा का अधिकार प्राप्त होने में मदद मिलेगी पर इसे निरंतर रूप से पूरी गुणवत्ता के साथ बनाये रखना एक बड़ी चुनौती है. अतः अधिनियम के बेहतर क्रियान्वयन के लिए राज्य, जिला, विकासखंड और राशन दुकान के स्तर पर सतर्कता समिति बनाये जाने का प्रावधान है, ताकि गुणवत्ता पर नजर रखी जा सके और लोगों की खाद्य व पोषण सुरक्षा सुनिश्चित हो सके.

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अनुसार शिकायत निवारण व्यवस्था स्थापित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है. यह व्यवस्था दो स्तरीय होगी – जिला स्तर पर एक जिला शिकायत निवारण अधिकारी एवं राज्य स्तर पर खाद्य आयोग.

राज्य सरकार को हर जिले में शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त करना है. उसके काम की शर्तें, योग्यताएं, शक्तियां आदि का निर्धारण तथा शिकायत निराकरण, समय सीमा आदि प्रक्रियाओं का निर्धारण राज्य सरकार करेगी. यदि शिकायतकर्ता जिला स्तर पर कार्यवाही से संतुष्ट नहीं हो तो वह राज्य आयोग को अपील कर सकेगा.

कानून पर अमल की निगरानी और समीक्षा के लिए प्रत्येक राज्य सरकार राज्य खाद्य आयोग का गठन करेगी. आयोग में एक अध्यक्ष व 5 सदस्यों के साथ राज्य के संयुक्त सचिव स्तर का एक सदस्य सचिव होगा. सदस्यों में दो महिला और एक–एक सदस्य अनुसूचित जाति व जनजाति के होने चाहिए. अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा तथा उन्हें दोबारा भी नामित किया जा सकेगा. सदस्यों की अधिकतम उम्र 65 वर्ष होगी. नियुक्तियां और नियुक्ति की शर्तें तथा शक्तियां राज्य सरकार तय करेगी.

राज्य आयोग का मुख्य कर्तव्य खाद्य सुरक्षा कानून की निगरानी व मूल्यांकन, स्वतः संज्ञान लेकर या शिकायत प्राप्त होने पर जांच, राज्य सरकार को प्रभावी रूप से कानून लागू करने के लिए सलाह देना, जिला शिकायत निवारण अधिकारी के विरुद्ध की गई अपीलों को सुनना एवं राज्य विधान सभा के पटल पर रखने हेतु वार्षिक रपट तैयार करना होगा.

राज्य सरकार यदि चाहे तो अधिसूचना के द्वारा वर्तमान में कार्यरत वैधानिक आयोग को राज्य आयोग का कार्यभार दे सकती है. कोई भी दो या दो से ज्यादा राज्य मिलकर केन्द्र सरकार की सहमति से एक संयुक्त राज्य खाद्य आयोग की स्थापना कर सकते हैं.

राज्य आयोग को सीआरपीसी के तहत सिविल कोर्ट के अधिकार होंगे.

पारदर्शिता और निगरानी का प्रावधान

यह अधिनियम स्थानीय निकायों के जरिये समाज को खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों/योजनाओं की सामाजिक संपरीक्षा और मूल्यांकन करने का अधिकार देता है.

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने की जिम्मेदारी

खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने की जिम्मेदारी केन्द्र, राज्य सरकारों तथा स्थानीय निकायों की है. इसे इस तरह समझें :

केन्द्र सरकार

1. केन्द्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से अनाज खरीदेगी. यही अनाज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बांटने के लिए राज्यों को उपलब्ध कराया जाएगा. हर राज्य में चिन्हित गोदामों तक अनाज पहुंचेगा.
2. अनाज को राज्य के भीतर एक जगह से दूसरी जगह परिवहन के लिए, राशन दुकानदारों को कमीशन देने के लिए भी राज्य सरकारों को सहायता दी जाएगी.
3. विभिन्न स्तरों पर आधुनिक और वैज्ञानिक भण्डारण व्यवस्था स्थापित करेगी और उसका रखरखाव भी करेगी.

राज्य सरकार

1. हर राज्य सरकार विभिन्न मंत्रालयों व विभागों की खाद्य सुरक्षा योजनाओं को तय दिशा–निर्देशों के अनुसार लागू करने और उनकी निगरानी करने का काम करेगी.
2. केन्द्र सरकार के गोदामों से अनाज उठाकर राशन दुकान तथा हितग्राही तक पहुंचाएगी.
3. यदि किसी कारण से हितग्राही को अनाज या पूरक पोषाहार नहीं मिल पाता है तो इसके एवज में उसे खाद्य सुरक्षा भत्ता भी राज्य सरकार ही उपलब्ध करेगी.
4. राशन व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए आवश्यकतानुसार राज्य, जिला, जनपद स्तर पर भण्डारण व्यवस्था की जाएगी. इसके साथ ही संबंधित संस्थानों की क्षमता का विकास एवं राशन दुकानों का लाइसेंस देने का काम भी राज्य सरकार पर होगा.

स्थानीय निकाय

1. स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी होगी कि वे अपने–अपने क्षेत्र में राज्य सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार कानून को प्रभावी रूप से लागू करें.

2. राज्य सरकार उन्हें अतिरिक्त दायित्व भी दे सकती हैं.

3. स्थानीय सतर्कता / निगरानी समितियों में इन निकायों का प्रतिनिधित्व होगा.

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के प्रावधान

राज्य सरकार पारदर्शिता और जिम्मेदारी तय करने के लिए नियम और व्यवस्था बनाएगी. राज्य सरकार के बताये गये तरीके से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित सभी दस्तावेजों को जनता के समक्ष रखा जाएगा, जो आम लोगों के परीक्षण के लिए खुला होगा.

1. राज्य सरकार द्वारा अधिकृत स्थानीय निकाय राशन दुकानों और अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण कर सकेंगे / कर सकते हैं, साथ ही आवश्यक कार्यवाही भी कर सकेंगे.

2. अगर केन्द्र जरूरी समझे तो अनुभवी स्वतंत्र संस्थानों से भी सामाजिक अंकेक्षण करवाया जा सकता है.

3. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और इसके सही संचालन के लिए राज्य सरकार राज्य, जिला, ब्लाक और राशन दुकान स्तर पर सतर्कता समितियां बनाएगी. इनका काम कानून के अमल का लगातार निरीक्षण करना तथा चोरी, धांधलियों, कानून के प्रावधानों का उल्लंघन आदि की शिकायत जिला शिकायत निवारण अधिकारी को लिखित में करना है.

अनाज की कीमत

खाद्य सुरक्षा कानून के तहत अनाज की मौजूदा निर्धारित कीमतों (3 रु. प्रति किलो चावल, 2 रु. प्रति किलो गेहूँ एवं 1 रु. प्रति किलो बारीक अनाज) पर अनाज केवल पहले तीन साल तक के लिए मिलेगा. उसके बाद इनकी कीमतों को तात्कालिक न्यूनतम समर्थन मूल्य या लागत मूल्य के आधार पर बढ़ाया जा सकता है.

हक न मिलने पर क्या?

केन्द्र व राज्य सरकारों से हितग्राही को अगर कोई हक न मिले तो कानून उसे दावा करने का अधिकार देता है. अगर कोई सरकारी कर्मचारी कानून में उल्लंघन का दोषी पाया जाता है तो उस पर 5000 रु. तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है.

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और अन्य कार्यक्रम–योजनाएं

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू होने के बाद भी, जो भी खाद्य आधारित या अन्य कल्याणकारी योजनाएं केन्द्र या राज्य सरकारों द्वारा वर्तमान मे चलाई जा रही हैं, उन्हें जारी रखने या नई योजना बनाने या चलाने में कानून आड़े नहीं आएगा.

मातृत्व लाभ (मातृत्व हक) का भुगतान की प्रक्रिया

मातृत्व लाभ केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से जारी अधिसूचना में बताए गए नियमों के आधार पर प्राप्त होगा. नियमों को संसद के दोनों सदनों में रखा जाएगा.

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 – व्यवस्था संबंधी प्रावधान

इस अधिनियम को लागू करने के लिए एक बड़ी राशि की जरूरत पड़ेगी. यह खर्च मुख्यतः केन्द्र सरकार उठाएगी. यह खर्च अनाज को गोदामों में रखने व राज्यों तक पहुंचाने के रूप में होगा. मातृत्व लाभ, अनाज के राज्य में परिवहन, दुकानदारों का कमीशन, पूरक पोषाहार, मध्यान्ह भोजन आदि खर्चों का बंटवारा केन्द्र सरकार के नियमों के तहत निर्धारित होगा. शिकायत निवारण व्यवस्था का खर्चा राज्य सरकार उठायेगी.

विशेष परिस्थितियों में अधिनियम का क्रियान्वयन – युद्ध, बाढ़, सूखा आदि विशेष परिस्थितियां

युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं की विशेष परिस्थितियों जैसे– बाढ़, सूखा, आग, तूफान या भूकम्प के कारण अगर अनाज या पूरक पोषाहार की नियमित आपूर्ति में बाधा आती है तो केन्द्र व राज्य सरकारें कानूनी हकदारियों के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगी. केन्द्र सरकार योजना आयोग से विचार–विमर्श के बाद एक क्षेत्र विशेष के संदर्भ में यह घोषणा कर सकती है कि वहां हकदारियां देना संभव है या नहीं.

कानून में खाद्य सुरक्षा के व्यापक पहलुओं से सम्बंधित प्रावधान

हम सब यह जानते हैं कि केवल राशन व्यवस्था, मध्यान्ह भोजन और पोषण आहार से समग्रता में खाद्य सुरक्षा की स्थिति हासिल नहीं की जा सकती है. देश–समाज में कुपोषण, भुखमरी को मिटाते हुए स्थायी खाद्य सुरक्षा की स्थिति हासिल करने के लिए हमें कई क्षेत्रों में काम करना होगा.

यह अधिनियम केन्द्र व राज्य सरकारों से कमजोर वर्गों, खासकर जो पहाड़ों और जनजातीय क्षेत्रों में रहते हैं, की जरूरतों पर विशेष ध्यान देने को कहता है. इसके अलावा अनुच्छेद–3 में कई अन्य उपायों के बारे में प्रावधान हैं।

खेती को पुर्नजीवित करने के लिए

1. छोटे व सीमान्त कास्तकारों के हितों की रक्षा के लिए भूमि सुधार किया जाएगा.
2. खेती में उत्पादकता तथा उत्पादन बढ़ाने के लिए शोध एवं विकास, विस्तार सेवाएं, छोटी व लघु सिंचाई, बिजली आदि के लिए कृषि में ज्यादा निवेश के प्रावधान हैं.
3. किसानों को आजीविका सुरक्षा देने के लिए उन्हें लाभकारी कीमतों और सिंचाई, बिजली, फसल बीमा, कर्जा, खाद–बीज आदि सुनिश्चित किया जाएगा.
4. खाद्यान्न उत्पादन के लिये जमीन और पानी का प्राथमिक उपयोग होगा और इसमें अवांछित परिवर्तन नहीं किया जाएगा.

उठाव, भण्डारण और परिवहन

1. स्थानीय खरीद में बारीक और स्थानीय अनाज को विशेषतौर पर बढ़ावा दिया जाएगा.
2. खरीद का क्षेत्र बढ़ाया जाएगा.
3. समुचित, विकेन्द्रित, आधुनिक और वैज्ञानिक भण्डारण व्यवस्था अपनाई जाएगी.
4. अनाज के आवागमन को प्राथमिकता दी जायेगी और इसके लिए नई रेल लाइनें बिछाई जाएंगी. जरूरत पड़ने पर रेलवे के नये रैक्स उपलब्ध कराये जाएंगे.

अन्य प्रावधान – इनमें सुरक्षित एवं समुचित पेयजल, सवच्छता, स्वास्थ्य, किशोरी बालिकाओं के पोषण स्वास्थ्य और शिक्षा को सहयोग एवं वृद्ध, विकलांगों, एकल महिलाओं को पेंशन देने का प्रावधान शामिल हैं.

अधिनियम के तहत राज्यों के लिए अनाज का आवंटन

कानून की अनुसूची 4 में देश व राज्यों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा किए गये आवंटन की जानकारी है. शुरूआत में कुल आवंटन 549.26 लाख टन प्रति वर्ष होगा. हर राज्य का कोटा जनगणना – 2011 की जनसंख्या व गरीबी की स्थिति के आधार पर निर्धारित किया गया है. कानून में इसे बदलने का प्रावधान नहीं है. वर्तमान में यदि किसी राज्य में इससे ज्यादा आंवटन हो रहा है तो वह बरकरार रखा जाएगा.

खाद्य सुरक्षा कानून और नकद भुगतान

हां, कानून के तहत नकद भुगतान की बात दो जगह की गई है. पहला– यह कहा गया है कि यदि किसी भी कारणवश हकदार को अनाज, पूरक पोषाहार नहीं मिलता है तो राज्य सरकार उसे नकद भत्ता देगी. दूसरा– राशन व्यवस्था में सुधार कार्यक्रम के तहत भी नकद भुगतान का प्रावधान रखा गया है अर्थात कानून की दृष्टि से सरकार नकद भुगतान को प्रभावी लक्षित जन वितरण प्रणाली के लिए आवश्यक मानती है.

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार के लिए प्रावधान

इस अधिनियम में यह कहा गया है कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार/बदलाव के लिए व्यापक काम करेगी ताकि अनाज का भ्रष्टाचार खत्म हो और लोगों के अधिकारों का हनन न हो. इसके साथ ही हर योजना को पारदर्शी बनाने, लोगों को हर जानकारी दिए जाने का प्रावधान किया गया है. कुल मिला कर व्यवस्था में बदलाव के लिए निर्देश स्पष्ट हैं.

सरकार सुधार के लिए कम्प्यूटरीकरण करेगी, सभी हितग्राहियों की सूची वेबसाइट पर डालेगी, हर हितग्राही को उसके हक मिले हैं कि नहीं, यह जानकारी भी खुली होगी. राशन की दुकानें चलाने और उनका प्रबंधन करने में पंचायतों/स्थानीय निकायों, सहकारी संस्थाओं, महिला समूहों की मुख्य भूमिका होगी. सरकार अब अनाज को खुद राशन की दुकान तक पंहुचाएगी.

जहाँ अनाज का भण्डारण होता है, उसे भी वैज्ञानिक और सुरक्षित बनाया जाएगा. अनाज का भण्डारण विकासखंड यानी ब्लाक के स्तर पर किए जाने की व्यवस्था है.

केन्द्र व राज्य सरकारें इसमें सुधार के लिए लगातार कोशिश करेंगी. इसके लिए निम्न उपाय किए जायेंगे –

1. अनाज को सरकार के गोदाम से राशन दुकान के दरवाजे तक पहुंचाना तथा पारदर्शिता के लिए अनाज के परिवहन में पहले से अन्तिम सिरे तक कम्प्यूटरीकृत प्रणाली का उपयोग.
2. कानून का लाभ वास्तविक चिन्हित हितग्राहियों तक पहुंचे, इसे सुनिश्चित करने के लिए ''आधार'' कार्ड की बायोमेट्रिक सूचनाओं का उपयोग करना.
3. राशन दुकानों के संचालन में पंचायत, महिला समूह, सहकारी समितियां आदि को प्राथमिकता देना तथा राशन में अनाज व सामग्री की विविधता लाना.
4. स्थानीय जनवितरण व्यवस्था के मॉडलों और अनाज बैंकों को सहयोग देना.
5. नये कार्यक्रमों जैसे – नकद भुगतान, फूड कूपन आदि को प्रारम्भ करना.

अध्याय
9

सामाजिक जवाबदेहिता

सामाजिक जवाबदेहिता का मतलब

सामाजिक जवाबदेहिता का मतलब है सरकार का नागरिकों के प्रति जवाबदेय होना; यह सरकार का कर्तव्य और जिम्मेदारी है. सामाजिक जवाबदेहिता से यह सुनिश्चित होता है कि नागरिकों या सभी लोगों के पक्ष में लोकतांत्रिक और मानव अधिकार सम्बन्धी मूल्यों का संरक्षण हो. अगर आप गौर से देखेंगे तो पायेंगे कि कई बरसों से हम "गुड़ गवर्नेंस या सुशासन" की बातें सुन रहे हैं.

आखिर सुशासन होता क्या है?

सुशासन का मतलब होता है ऐसी व्यवस्था जहाँ संसाधनों का जिम्मेदारी से उपयोग हो, संसाधनों के नियोजन, उपयोग और मूल्यांकन में समाज की भागीदारी हो, सबसे वंचित लोगों की स्थिति को बेहतर करने की प्राथमिकता हो, व्यवस्था में समानता और गरिमा हो, सामाजिक–आर्थिक बहिष्कार और भ्रष्ट आचरण न हो. ऐसी सुशासन की व्यवस्था को लाने के लिए जरूरी है कि सरकार और उनके नुमाइंदों की जवाबदेहिता सुनिश्चित हो.

गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण, खाद्य असुरक्षा और सामाजिक असुरक्षा की चुनौतीपूर्ण स्थितियों के बीच सामाजिक अधिकार आधारित कानूनों और योजनाओं, मसलन राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, वन अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आदि, के क्रियान्वयन में बेहतरी के लिए सामाजिक जवाबदेहिता और इसके सिद्धांतों के महत्व को समझना जरूरी हो जाता है.

यूँ तो सामाजिक जवाबदेहिता की सोच को लागू करने और उसे जांचने के लिए कई तरह तौर तरीके उपलब्ध हैं, किन्तु जब हम लोक अधिकारों की बात करते हैं तब यह देखना जरूरी हो जाता है कि उन तौर तरीकों में समाज की केन्द्रीय भागीदारी हो, प्रक्रिया प्रमाण आधारित और दुर्भावना से मुक्त हो.

सामाजिक जवाबदेहिता के परीक्षण में ये कारक सबसे अहम् हैं – जानकारी इकठ्ठा करना, उसका विश्लेषण, जानकारी का प्रचार और ज्यादा से ज्यादा फैलाव, समुदाय का एकजुट होना, जन वकालत और बदलाव–सुधार के बिंदुओं पर बराबरी का संवाद.

यूँ तो अलग अलग तरीकों से सामाजिक जवाबदेहिता सुनिश्चित करने की गैर–सरकारी कोशिशें होती रही है, किन्तु वास्तव में सामाजिक जवाबदेहिता के लिए इसकी व्यवस्था को संस्थागत स्वरूप देना और उसे वैधानिक एवं अनिवार्य पहलू बनाना जरूरी है.

भारत में पिछले तीन दशकों में सामाजिक अभियानों ने विभिन्न विषयों और लोक अधिकारों पर संघर्ष करते हुए यह पाया है कि अधिनियम, योजना और अधिकार कोई सा भी हो; सभी में सामाजिक जवाबदेहिता की व्यवस्था बनाए बिना उन लक्ष्यों को हासिल कर पाना संभव नहीं है, जिनके लिए ये अधिनियम बनाए गए हैं. इसी सोच के बीच स्वैच्छिक संस्थाओं ने सामाजिक संपरीक्षा, जन सुनवाई, सिटिजन चार्टर, सिटिजन चार्टर रिपोर्ट कार्ड और सूचना के अधिकार पर रचनात्मक और संघर्ष आधारित काम किया है. हमेशा यह प्रयास रहा कि ऐसी व्यवस्था के प्रयोग किए जाएँ, जिनमें पारदर्शिता हो और समाज खुद नेतृत्व ले सके.

इस परिप्रेक्ष्य में सामाजिक जवाबदेहिता सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक संपरीक्षा (सोशल आडिट) का प्रयोग हुआ, उसे लगातार बेहतर बनाने की कोशिश हुई और आखिर में सरकार ने भी इसे एक महत्वपूर्ण तरीके के रूप में अपनाया.

हम जानते हैं कि भारत में व्यवस्था के विकेन्द्रीकरण (संविधान से 73 एन और 74 वें संशोधन) की प्रक्रिया में ग्राम सभा की अवधारणा का उल्लेख है, पंचायती राज और ग्राम स्वराज अधिनियमों में यह दर्ज है कि समुदाय ग्राम सभा के रूप में अपने विकास की प्राथमिकताएं तय करेगा, योजनाएं बनाएगा, संसाधनों के उपयोग का तरीका तय करेगा और योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी करेगा. इसके साथ ही मूल्यांकन और समीक्षा करने का अधिकार भी ग्राम सभाओं और पंचायतों को दिया गया. एक तरह से यह व्यवस्था सामाजिक जवाबदेहिता की परिभाषा का ही हिस्सा है, किन्तु सामाजिक संपरीक्षा में समाज द्वारा व्यापक जांच और निगरानी पर ज्यादा जोर दिया गया. इसके बाद महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में सामाजिक संपरीक्षा के लिए वैधानिक व्यवस्था की गयी. इस प्रावधान को लागू करने के लिए आडिट ऑफ स्कीम नियम 2011 बनाये गए.

भारत ने नियंत्रक और महालेखाकार ने भी सामाजिक संपरीक्षा को पारदर्शिता, जवाबदेहिता और योजनाओं का मकसद हासिल करने के लिए एक बेहद जरूरी तकनीक के रूप में स्वीकार किया है.

शासकीय व्यवस्था और योजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेहिता सुनिश्चित करना

1. यदि लोगों को पूरी, सही और नवीनतम जानकारियाँ हों, तो किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के द्वारा किसी भी सरकारी कार्यक्रम, योजना समेत सभी लोक कार्यक्रमों की निगरानी और समीक्षा की जा सकती है.
    - ❖ हकों और पात्रताओं के बारे में पूरी और सही जानकारी
    - ❖ तय समय सीमा / समयबद्धता
    - ❖ किसकी क्या जिम्मेदारी है? (पद / स्तर / भूमिकायें / सुनवाई के स्तर)
    - ❖ गुणवत्ता / मात्रा / सेवाओं के मापक क्या हैं?
    - ❖ निर्णय लेने की प्रक्रिया और स्तर क्या है?
    - ❖ अपील कहाँ और कैसे?
    - ❖ शिकायत और शिकायत निवारण प्रक्रिया
    - ❖ संभावित परिणाम

2. पारदर्शिता और जवाबदेहिता इस तरह तय की जाना चाहिए, जो पूरी व्यवस्था पर लागू हो सकें और समावेशी हों.

3. सूचनाओं और जानकारियों तक सभी की पहुंच हो. ऐसी कोई भी कोशिश न हो, जो सूचनाओं तक लोगों की पहुंच को बाधित करती हो या जानकारी पाने के अधिकारध्जरूरत को साबित करने के लिए बाध्य करती हो.

4. सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने की प्रक्रिया में समाज के वंचित तबकों (महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति, घुमंतू समुदाय, विकलांग आदि) के लिए सहज व्यवस्था के लिए विशेष प्रावधान बनाने की जरूरत होगी.

5. योजना/अधिनियम/व्यवस्था से सम्बंधित सभी जानकारियों को विभाग के द्वारा स्वतः ही सार्वजनिक पटल पर प्रकट कर दिया जाना चाहिए. सार्वजनिक प्रकटन अनिवार्य होना चाहिए. इसके लिए विभिन्न तरीके अपनाए जा सकते हैं. यह ध्यान रखना होगा कि जानकारियाँ समुदाय की भाषा में सरल रूप में अर्थ समझ आने के नजरिए के साथ प्रस्तुत की जाएँ.

6. विभाग/सरकार द्वारा दी जाने वाली जानकारियां भ्रम/संशय से मुक्त, स्पष्ट नवीनतम और सरल समझ आने वाले प्रारूप में होना चाहिए. जानकारियों के नवीनीकरण में स्पष्ट समयबद्धता होना चाहिए.

7. सम्बंधित जानकारियाँ सार्वजनिक पहुंच वाले स्थान पर बस्ती, गाँव, पंचायत, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्बंधित सूचना पटल पर उपलब्ध होना चाहिए.

8. सभी तरह के निर्णय पारदर्शिता के साथ ऐसे लेने चाहिए कि जिनकी उस विषय/योजना में रूचि या हित हैं, वे उस प्रक्रिया को देख/समझ सकें. निर्णय लेने की प्रक्रिया से सम्बंधित दस्तावेज निर्णय के साथ ही सार्वजनिक पटल पर होने चाहिए.

9. यह तय है कि सूचनाओं को सामने लाने और पारदर्शिता लाने की कोशिशों को तरह–तरह से रोकने की कोशिश की जायेगी. इसके लिए जरूरी है कि सूचनाओं/जानकारियों को सार्वजनिक करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मंच तैयार किए जाएं.

सामाजिक जवाबदेहिता के मुख्य सिद्धांत

1. **नियम और प्रक्रिया** – व्यवस्था का हिस्सा बनना – सामाजिक जवाबदेहिता को स्पष्ट नियमों और प्रक्रिया के जरिये शासन व्यवस्था का हिस्सा बनाया जाना चाहिए. वास्तव में हर योजना अधिनियम में सामुदायिक भागीदारी और पारदर्शिता के लिए स्पष्ट और अनिवार्य प्रावधान होने चाहिए.

   ❑ क्या नियम और प्रक्रियायें स्पष्ट हैं?

2. **जानकारी** – जानकारी तक पहुंच – शासकीय योजना/अधिनियम/संस्थान से सम्बंधित सभी जानकारियाँ सक्रियता के साथ समयबद्धता के साथ प्रकट/प्रस्तुत कर दी जाना चाहिए. यह जरूरी नहीं हो कि कोई उनकी मांग करे. यह अनिवार्यता होनी चाहिए. जानकारी सभी की पहुंच में होना चाहिए. जानकारी विभिन्न स्तरों पर प्रदर्शित होना चाहिए – बस्ती, गाँव, पंचायत, ब्लाक, जिला, राज्य राष्ट्रीय स्तर पर.

   ❑ क्या जन जागरुक हैं?

3. **भागीदारी** – न्यायोचित परिणाम को हासिल करने के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी–जहाँ तक संभव हो सके सभी निर्णय लेने की प्रक्रिया इस तरह पारदर्शी होना चाहिए कि हर कोई रूचि रखने वाला उसे साक्षात देख सके. जहाँ इस तरह की प्रक्रिया संभव नहीं है, वहां इसका ठोस कारण बताया जाना चाहिए. निर्णयों को साफ–सुथरा रखने का यही श्रेष्ठ तरीका है. वंचित तबकों को जानकारी पाने, निर्णय की प्रक्रिया में भागीदार होने के लिए सामाजिक योजनाओं और अधिकारों के बारे में बार–बार, विस्तार से, समझ में आने वाले रूप में जानकारी दिए जाने की व्यवस्था होना चाहिए.

   ❑ क्या समाज की भागीदारी है?

4. **कार्यवाही** – समयबद्ध कार्यवाही – योजना / अधिनियम से सम्बंधित गलती / लापरवाही / गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार सम्बंधित विभाग / संस्था को समुदाय / व्यक्ति / नागरिक से प्राप्त शिकायत / आवेदन पर समयबद्ध तरीके से कार्यवाही करना चाहिए, ताकि गलती को सुधार जा सके और जरूरी सुधार किए जा सकें.

   ❑ जो शिकायतें, सुझाव या विषय उठते हैं, क्या उन पर कार्यवाही होती है?

5. **सुरक्षा** – नागरिकों की सुरक्षा – ग्राम सभा या सामुदायिक बैठक / जन सुनवाई के लिए प्रशासन के साथ सामंजस्य में सुरक्षित और स्वतंत्र स्थान का चयन किया जाना चाहिए.

   ❑ क्या सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है?

6. **सुनवाई** – नागरिकों की बात सुने जाने का अधिकार – ऐसी व्यवस्था होना चाहिए कि नागरिक अपनी बात कह सकें, उनकी बात की सुनवाई हो और व्यवस्थित कार्यवाही हो. नागरिकों को यह जानकारी भी दी जाना चाहिए कि उनकी शिकायत / मुद्दे पर क्या कार्यवाही की जा रही है और अभी किस स्तर पर है?

   ❑ क्या सुनवाई होती है?

7. **जनता का मंच** – साझा मंच – हमारी व्यवस्था में ऐसे साझा और खुले मंच की स्थापना की जाना चाहिए जहाँ लोग बिना भय और दबाव के अपनी बात कह सकें और खुला संवाद हो सके. अकेला व्यक्ति भ्रष्टाचार या संसाधनों के दुरूपयोग के बारे में पहल या ज्यादा पहल नहीं कर सकता है. यह जरूरी है कि लोग / नागरिक एकसाथ आयें. खुलकर बात करें और एक बेहतर मकसद के साथ योजनाओं–अधिनियम के स्वरूप और क्रियान्वयन में सुधार–बदलाव की पहल करें. लोग शमिल तभी होंगे जब उन्हें योजनाओं, प्रावधानों के बारे में जानकारी होगी. इसके साथ ही उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि शासन के अधिकारियों / प्रतिनिधियों के साथ कहाँ और किस वक्त संवाद हो रहा है? लोगों को डोंडी पिटवाकर, दीवार लेखन, पंचायत / सार्वजनिक भवन पर बड़े अक्षरों में सूचना चस्पा करके जानकारी दी जाना चाहिए.

   ❑ क्या समुदाय को कोई मंच मिलता है?

8. **प्रसार** – प्रतिवेदन साझा करना – सामाजिक संपरीक्षा की प्रक्रिया (यानी जानकारी इकठ्ठा करने, मिलान करने और विश्लेषण) के बाद एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार होना चाहिए. यह रिपोर्ट सामाजिक संपरीक्षा सभा में प्रस्तुत होना चाहिए. इसकी अधिकृत प्रति सभी संबद्ध विभागों को दी जाना चाहिए और समुदाय के हर व्यक्ति की इस तक पहुंच आसान रहना चाहिए.

   ❑ क्या प्रतिवेदन पर कार्यवाही होती है?

अध्याय 10

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013-विभिन्न राज्यों में जवाबदेहिता और शिकायत निवारण व्यवस्था

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम इस बात में विश्वास करता है कि देश और समाज में खाद्य असुरक्षा और भुखमरी से मुक्ति के लक्ष्य को हासिल करने के लिए केवल खाद्यान्न, पोषण आहार और आर्थिक सहयोग प्रदान करने वाली योजनाएं लागू करना ही पर्याप्त नहीं है. इसके लिए सम्बंधित व्यवस्था को पारदर्शी, जवाबदेय और सहभागी बनाना भी जरूरी है. इसी विचार के मद्देनजर अधिनियम में व्यवस्था को पारदर्शी और जवाबदेय बनाने के लिए सतर्कता समिति, शिकायत निवारण अधिकारी, खाद्य आयोग और सामाजिक संपरीक्षा के वैधानिक प्रावधान किये गए हैं.

इस अध्याय में हम भारत के विभिन्न राज्यों में स्थानीय/समुदाय स्तरीय सतर्कता समिति के प्रावधानों का उल्लेख कर रहे हैं. अपेक्षा है कि आप सामुदायिक निगरानी की प्रक्रिया को मजबूत करने में इन जानकारियों का उपयोग करना चाहेंगे.

सतर्कता समिति की व्यवस्थाएं

राज्य	सतर्कता समिति सम्बंधित महत्वपूर्ण बिंदु
कर्नाटक	• जिला और तालुका स्तर पर सतर्कता समिति बनाए जाने की व्यवस्था है. इस समितियों का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए तय किया गया है. • उचित मूल्य की राशन दुकान के स्तर पर सतर्कता समिति बनाए जाने का प्रावधान है. इस समिति में तीन सदस्य होंगे. जिनका चयन राशन दुकान की हितग्राहियों की सूची से कम्प्यूटर के माध्यम बिना किसी क्रम का पालन किये हुए किया जाता है. • उचित मूल्य की राशन दुकान स्तर की समिति के हर तीन महीने में बदले जायेंगे. • यह समिति हर महीने की 7 तारीख को बैठक करेगी. यदि इस दिन अवकाश होता है, तो अगले कार्यालयीन दिवस को बैठक होगी. • केवल उन्हीं परिवारों को सदस्य बनाया जाएगा, जिनकी मुखिया महिला होगी. • ग्राम पंचायत के सचित या पंचायत विकास अधिकारी को (जिसे भी पंचायत तय करे) समिति का सदस्य सचिव बनाया जाएगा. • शहरी क्षेत्र में नगरीय निकाय के द्वारा किसी अधिकारी को (जो बिल संग्राहक के स्तर से निम्न नहीं होगा) सदस्य सचिव की जिम्मेदारी दी जायेगी.

मध्यप्रदेश	मध्य प्रदेश में राज्य, जिला, विकासखंड और उचित मूल्य की राशन दुकान के स्तर पर सतर्कता समिति बनाए जाने के प्रावधान है. उचित मूल्य की राशन दुकान के स्तर पर सतर्कता समिति शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रो में अध्यक्ष समेत 11 सदस्य होंगे. इसके अतिरिक्त समिति का एक सदस्य सचिव (उस नगरीय वार्ड का प्राधिकृत अधिकारी / पंचायत सचिव) होगा. ग्रामीण क्षेत्रों में चयन करते समय 50% सदस्य महिलाएं होगी तथा प्रत्येक ग्राम सभा का प्रतिनिधित्व समान होगा. • शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रो की उचित मूल्य दुकान स्तरीय सतर्कता समिति में 4 सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निःशक्तजन बीपीएल तथा अंत्योदय श्रेणी के राशनकार्डधारी होंगे. इसके अतिरिक्त 4 सदस्य प्रत्मिकता परिवार श्रेणी से चयन किये जावेंगे. 2 सदस्य सरपंच / वार्ड पार्षद द्वारा नामांकित प्रतिनिधि होंगे. • सदस्यों की निम्न योग्यताओं पर विचार करें : ❖ शिक्षा स्तर (यथासंभव 10 वीं तक उत्तीर्ण). ❖ गैर आपराधिक पृष्ठभूमि का हो. ❖ व्यक्तित्व सुलझा हुआ हो, ❖ आयु यथासंभव 65 वर्ष से कम हो. • सदस्यों का चयन करते समय निम्न प्रतिनिधित्व पर विचार हो : ❖ पालक शिक्षक संघ के सदस्य का प्रतिनिधित्व हो. ❖ आंगनवाड़ी में जिस परिवार के बच्चे जाते हों उनका प्रतिनिधित्व हो. ❖ वृद्ध नागरिक सदस्य हो. ❖ महिला स्व सहायता समूह के सदस्य हो. • ग्रामीण क्षेत्र में उचित मूल्य दुकान से सम्बद्ध सभी ग्रामों को समान प्रतिनिधित्व दिया जायेगा, अर्थात पंचायत क्षेत्र में 04 ग्राम हैं तो सम्बंधित प्रत्येक ग्राम की ग्रामसभा से 2–2 सदस्य लिये जाकर 8 सदस्यों को सम्मिलित किया जावेगा. • सतर्कता समिति 5 वर्ष के लिए गठित की जाएगी किन्तु निर्वाचित / नामित प्रतिनिधियों का कार्यकाल उनकी निर्वाचन अवधि तक ही होगा. • उचित मूल्य दुकान स्तरीय सतर्कता समितियों की बैठक प्रतिमाह आयोजित की जायेगी, बैठक में कम से कम एक तिहाई सदस्यों या कम से कम 3 सदस्यों का उपस्थित होना अनिवार्य है. • बैठक आयोजन का स्थान, तिथि व समय एवं एजेंडा बिंदु की सूचना सदस्य सचिव द्वारा सदस्यों को दी जावेगी. • ग्रामीण सतर्कता समिति के सदस्य तीन सदस्यीय टीम के रूप में किसी योजना का निरीक्षण कर सकेंगे. • सहायक कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा समिति सदस्यों के नाम प्राप्त होने पर तीन दिवस में प्रशिक्षण किया जायेगा की नाम नियमों के अनुरूप हैं तथा ग्रामसभा का संकल्प एवं अन्य दस्तावेज प्राप्त हैं.

पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल में राज्य, जिला, विकासखंड और उचित मूल्य की राशन दुकान के स्तर पर सतर्कता समिति बनाए जाने के प्रावधान हैं. उचित मूल्य की राशन दुकान के स्तर पर सतर्कता समिति में अध्यक्ष समेत 8 सदस्य होंगे. इसके अतिरिक्त समिति का एक सदस्य सचिव होगा. • राशन दुकान की परिसीमा के अंतर्गत की पंचायत का सदस्य या नगरीय निकाय के वार्ड का आयुक्त समिति का अध्यक्ष होगा. • राशन दुकान की परिसीमा के तहत उपखंड अधिकारी द्वारा नामित एक प्रधान अध्यापक या शिक्षक इसका सदस्य होगा. • राशन दुकान की परिसीमा के तहत उपखंड अधिकारी द्वारा नामित एक स्थानीय महिला इसकी सदस्य होगी. • राशन दुकान की परिसीमा के तहत उपखंड अधिकारी द्वारा नामित स्थानीय अनुसूचित जाति वर्ग का कोई प्रतिनिधि इसका सदस्य होगा. • राशन दुकान की परिसीमा के तहत उपखंड अधिकारी द्वारा नामित स्थानीय अनुसूचित जनजाति वर्ग का कोई प्रतिनिधि इसका सदस्य होगा. • राशन दुकान की परिसीमा के तहत उपखंड अधिकारी द्वारा नामित स्थानीय निराश्रित या दिव्यांग व्यक्ति इसका सदस्य होगा. • ग्राम पंचायत का सचिव या नगरीय निकाय के कार्यपालन अधिकारी या इसके समकक्ष का व्यक्ति इसका सदस्य होगा. • विधान सभा के सदस्य (विधायक) द्वारा नामित व्यक्ति. • खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग का निरीक्षक या उप निरीक्षक इसका सदस्य सचिव होगा. • उचित मूल्य की राशन दुकान के स्तर पर सतर्कता समिति की बैठक हर महीने होगी. जिसमें भण्डार, वितरण, शिकायतों आदि विषयों पर चर्चा होगी. मीटिंग के बिंदु विकासखंड स्तरीय समिति के संयोजक को 7 दिन के भीतर भेजे जायेंगे.
झारखंड	झारखंड में राज्य, जिला, प्रखंड, शहरी निकाय क्षेत्रों के वार्ड स्तरीय एवं पंचायत स्तरीय समिति बनाए जाने के प्रावधान है. पंचायत स्तरीय समिति के स्तर पर सतर्कता समिति में संयोजक समेत 14 सदस्य होंगे. इसके अतिरिक्त समिति का एक सदस्य सचिव होगा. पंचायत के मुखिया की अनुपस्थिति में पंचायत के उप मुखिया संयोजक के रूप में कार्य करेंगे. शहरी निकाय क्षेत्रों के वार्ड स्तरीय सतर्कता समिति नगर निगम/नगर परिषद् नगर पंचायत के संयोजक समेत 9 सदस्य होंगे. • पंचायत स्तरीय/शहरी निकाय क्षेत्रों के वार्ड स्तरीय सतर्कता समिति समिति में जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत 6 व्यक्ति जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला वर्ग का एक–एक सदस्य अवश्य हो.

	• पंचायत स्तरीय/शहरी निकाय क्षेत्रों के वार्ड स्तरीय सतर्कता समिति में जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत निःशक्त/निःसहाय वर्ग का एक व्यक्ति. • बैठक आयोजित करने का दायित्व अध्यक्ष/संयोजक का होगा. • शहरी निकाय क्षेत्रों के वार्ड स्तरीय सतर्कता समिति में एक सदस्य, वार्ड के निकटतम वोटों से पराजित वार्ड पार्षद का उम्मीदवार एवं पंचायत स्तरीय सतर्कता समिति में दो सदस्य, पंचायत के निकटतम वोटों से पराजित मुखिया और पराजित सरपंच के उम्मीदवार होंगे.
छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़ में राज्य, जिला, विकासखंड और उचित मूल्य की राशन दुकान के स्तर पर सतर्कता समिति बनाए जाने के प्रावधान हैं. ग्रामीण क्षेत्र में उचित मूल्य की राशन दुकान के स्तर पर सतर्कता समिति में अध्यक्ष समेत 10 सदस्य एवं शहरी क्षेत्र में अध्यक्ष समेत 6 सदस्य होंगे. इसके अतिरिक्त शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में समिति का एक सदस्य सचिव होगा. • शहरी क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान स्तरीय सतर्कता समिति में सम्बंधित वार्ड का पार्षद एवं ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत सरपंच अध्यक्ष की भूमिका निभायेंगे. • शहरी क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान स्तरीय सतर्कता समिति में एक सदस्य शासकीय कर्मचारी और सम्बंधित क्षेत्र के खाद्य निरीक्षक होंगे जबकि ग्रामीण क्षेत्रो में जिला कलेक्टर द्वारा नामांकित एक सदस्य जो शासकीय कर्मचारी होगा. • उचित मूल्य दुकान स्तरीय सतर्कता समिति शहरी क्षेत्र में चार सदस्य राशन कार्डधारी जिसमें अंत्योदय श्रेणी से एक तथा निराश्रित या निःशक्तजन हरा राशन कार्डधारी से एक (नगरपालिक निगम द्वारा दो वर्ष के लिए नामांकित) शामिल होंगे. • उचित मूल्य दुकान स्तरीय सतर्कता समिति ग्रामीण क्षेत्र में एक ग्राम पंचायत के 4 सदस्य जिसमें अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से एक सदस्य तथा 2 महिला सदस्य (ग्राम पंचायत द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित) शामिल होंगे साथ ही 4 राशन कार्डधारी जिसमें अंत्योदय श्रेणी से एक तथा निराश्रित या निःशक्तजन हरा राशन कार्डधारी से एक (ग्रामसभा द्वारा दो वर्ष के लिए नामांकित) शामिल होंगे. • उचित मूल्य दुकान स्तरीय सतर्कता समिति का सदस्य सचिव सुनिश्चित करेगा की बैठक माह में एक बार आयोजित हो तथा मासिक बैठक की की कार्यवाही विवरण विकासखंड स्तरीय सतर्कता समिति को उपलब्ध कराया गया है. • जिला प्रशासन निर्धारित अनुसार चावल उत्सव का आयोजन किया जायेगा जिसके दौरान राशन सामग्री के मासिक कोटे का वितरण सतर्कता समिति के सदस्यों एवं नोडल अधिकारी की उपस्थिति में हितग्राहियों को किया जायेगा.

महाराष्ट्र	महाराष्ट्र में राज्य, जिला, तालुका, नगरपालिका परिषद, नगर निगम और उचित मूल्य की राशन दुकान के स्तर पर सतर्कता समिति बनाए जाने के प्रावधान हैं. ग्रामीण क्षेत्र में उचित मूल्य की राशन दुकान के स्तर पर सतर्कता समिति में अध्यक्ष समेत 6 सदस्य एवं शहरी क्षेत्र में अध्यक्ष समेत 6 सदस्य होंगे. • ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य की राशन दुकान के स्तर की सतर्कता समिति में सरपंच समिति का अध्यक्ष होगा। • तालुका के अधिकतम क्षेत्र की विधानसभा का प्रतिनिधित्व सदस्य तालुका स्तरीय सतर्कता समिति में अध्यक्ष का कार्य करेगा। • नगरपालिका परिषद क्षेत्र के अधिकतम वार्डों का प्रतिनिधित्व करने वाला विधान सभा का सदस्य नगर परिषद स्तर सतर्कता समिति का अध्यक्ष होता है। इसमें आधिकारिक और गैर–आधिकारिक सदस्यों सहित कुल 15 सदस्य शामिल हैं। • जिले के संरक्षक मंत्री जिला स्तरीय सतर्कता समिति के अध्यक्ष हैं। इसमें आधिकारिक और गैर–आधिकारिक सदस्यों सहित कुल 21 सदस्य शामिल हैं। • नगर निगम के राशन दुकान (राशनिंग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले विधान सभा के सदस्य नगर निगम स्तर की सतर्कता समिति के अध्यक्ष हैं। इसमें आधिकारिक और गैर–आधिकारिक सदस्यों सहित कुल 21 सदस्य शामिल हैं। • उपर्युक्त सतर्कता समितियों में से प्रत्येक में कुल गैर–आधिकारिक सदस्यों में से 50% गैर–आधिकारिक सदस्य महिलाएं हैं।
बिहार	प्रखण्ड, शहरी निकाय क्षेत्रो के वार्ड स्तरीय और पंचायत स्तरीय सतर्कता समिति बनाए जाने का प्रावधान है. पंचायत स्तरीय सतर्कता समिति में संयोजक समेत 7 सदस्य एवं शहरी निकाय क्षेत्रों के वार्ड स्तरीय सतर्कता समिति में संयोजक समेत 3 सदस्य होंगे. • पंचायत स्तरीय सतर्कता समिति में पंचायत के मुखिया एवं शहरी निकाय क्षेत्रों के वार्ड स्तरीय सतर्कता समिति में नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत के वार्ड पार्षद, संयोजक होंगे। • पंचायत स्तरीय एवं शहरी निकाय क्षेत्रों के वार्ड स्तरीय सतर्कता समिति में एक सदस्य जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत स्थानीय एक मनोनित व्यक्ति तो निःशक्त हो एवं एक सदस्य पंचायत/वार्ड के निकटतम वोटों से पराजित सरपंच/पार्षद के उम्मीदवार. • पंचायत स्तरीय सतर्कता समिति में मुखिया की अनुपस्थिति में पंचायत के उपमुखिया संयोजक के रूप मे कार्य करेंगे। • सभी स्तर पर सतर्कता समितियों को अक्षुण्ण रखते हुए मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष रखते हुए सतर्कता समितियों का गठन किया जाता है।

राजस्थान	राजस्थान में राज्य, जिला, तहसील और उचित मूल्य की राशन दुकान के स्तर पर सतर्कता समिति बनाए जाने के प्रावधान हैं. ग्रामीण क्षेत्र में उचित मूल्य की राशन दुकान के स्तर पर सतर्कता समिति में अध्यक्ष समेत 6 सदस्य एवं शहरी क्षेत्र में अध्यक्ष समेत 6 सदस्य होंगे. • शहरी क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान स्तरीय सतर्कता समिति में सम्बंधित वार्ड का पार्षद एवं ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत सरपंच अध्यक्ष की भूमिका निभायेंगे. • शहरी क्षेत्र की उचित मूल्य स्तरीय सतर्कता समिति के 5 सदस्यो में से 2 सदस्य सामाजिक कार्यकर्ता, 2 उपभोक्ता एवं 1 सेवानिवृत कर्मचारी (स्थानीय निवासी). • ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य स्तरीय सतर्कता समिति के 5 सदस्यों में से एक उपभोक्ता, संबन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/अध्यापक, एक सदस्य उपभोक्ता/सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता, एक सदस्य सेवानिवृत कर्मचारी (स्थानीय निवासी) एवं एक सदस्य पंच होगा. • उचित मूल्य की राशन दुकान के स्तर पर सतर्कता समिति की बैठक अध्यक्ष द्वारा प्रत्येक माह बुलाई जाएगी एवं बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार कर उच्च स्तरीय सतर्कता समिति को प्रेषित किया जाएगा. • सतर्कता समिति के मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा, समिति के गठन की सूचना आम जनता को करायी जाये।
तमिलनाडू	तमिलनाडु में राज्य, जिला, तालुका, नगरपालिका परिषद, नगर निगम और उचित मूल्य की राशन दुकान के स्तर पर सतर्कता समिति बनाए जाने के प्रावधान हैं. • उचित मूल्य दूकान स्तरीय सतर्कता समिति में 5–7 सदस्य होंगे जो जिसमें महिला अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व होगा, सरकारी कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जा सकती है साथ ही उपभोक्ता संगठन एवं स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों का भी प्रतिनिधित्व होगा. • हर माह में एक बार उचित मूल्य दुकान स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक की जायेगी.

अध्याय
11

सामाजिक संपरीक्षा

(राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के संदर्भ में)

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का मूल मकसद समाज में भुखमरी और खाद्य असुरक्षा की स्थिति को बदलना है. इस अधिनियम के लागू होने से यह स्थिति बदली या नहीं और यदि बदली तो कितनी, इन सवालों का जवाब तो समाज ही दे सकता है. इसीलिए सामाजिक संपरीक्षा का मतलब है कि समाज और हितग्राही खुद योजना/कार्यक्रम के क्रियान्वयन और उसके परिणामों को जांचे. वास्तव में इससे सरकार या कार्यक्रम लागू करने वाली संस्था की जवाबदेहिता सुनिश्चित करने की कोशिश की जाती है. सामाजिक संपरीक्षा वास्तव में संबंधित योजना से सही और पूर्ण लाभ हासिल करने हेतु माहौल बनाने का एक बुनियादी उपाय है.

सामाजिक संपरीक्षा का मतलब है यह जांचा जाना कि शासकीय योजनाओं के तहत जो हक और लाभ दिए जाने का प्रावधान है, वे सभी पात्र लोगों को मिल रहे हैं या नहीं? योजना के क्रियान्वयन के लिए जो व्यवस्थाएं बनना चाहिए, वे बनी हैं या नहीं? कहीं कोई पात्र व्यक्ति बुनियादी हक से वंचित तो नहीं है? इससे यह भी समझ आता है कि यदि कहीं कोई दिक्कत है, तो वह योजना के क्रियान्वयन से जुड़ी हुई है या कहीं नीति में बदलाव की भी जरूरत है.

सामाजिक संकेक्षण दरअसल एक लोकतान्त्रिक प्रक्रिया है, जिसमें सरकार और समाज मिल कर योजना निगरानी करते हैं और कोशिश करते हैं कि तय लक्ष्य हासिल हों. यह वंचित तबकों के सशक्तिकरण का एक प्रभावशाली माध्यम भी है.

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और सामाजिक संपरीक्षा

- किसी भी योजना/कार्यक्रम की सामाजिक संपरीक्षा पदाधिकारियों और लोगों (खासकर जो योजना/कार्यक्रम से प्रभावित हैं या प्रत्याशित हितग्राही हो सकते हैं) के द्वारा संयुक्त रूप से की जाती है.
- अतः सामाजिक संपरीक्षा को किसी योजना/कार्यक्रम के क्रियान्वयन और उसके परिणामों के सत्यापन और जांच की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो समुदाय द्वारा प्राथमिक हितधारक द्वारा संचालित की जाती है.
- इसमें समुदाय/लोगों की सक्रिय सहभागिता के साथ आधिकारिक जानकारियों/दस्तावेजों की मैदानी स्थिति की वास्तविकता के साथ मिलान/तुलना की जाती है और मिलान/तुलना के परिणामों का सार्वजनिक खुले मंच से ऊंचे स्वर में वाचन किया जाता है.

- लोगों से मौखिक या लिखित बयान/साक्ष्य दर्ज किए जाते हैं और उनका आधिकारिक अभिलेखों/रिकार्ड के साथ मिलान किया जाता है.
- सामाजिक संपरीक्षा केवल आर्थिक संसाधनों/धन के लेखे–जोखे से ज्यादा व्यापक प्रक्रिया है, इसमें जांचा जाता है कि क्या धन/संसाधनों का सही तरीके से व्यय किया गया है और इससे लोगों के जीवन में बदलाव आया है.
- **सामाजिक संपरीक्षा का उद्देश्य**
  - ❖ कार्यक्रम/योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेहिता को प्रोत्साहित करना और
  - ❖ लोगों को उनके अधिकारों/हकों के बारे में सूचना देना, जागरूक करना और
  - ❖ उन्हें अपनी शिकायतों और जरूरतों को अभिव्यक्त करने के लिए एक साझा मंच, मसलन सामाजिक संपरीक्षा सभा या ग्राम सभा सरीखा मंच उपलब्ध करवाना और
  - ❖ कार्यक्रम/योजना के क्रियान्वयन के हर चरण/स्तर पर समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करना और
  - ❖ भ्रष्टाचार पर रोक लगाकर योजना के क्रियान्वयन को बेहतर करना और उसके ज्यादा प्रभावी बनाना है.
- सामाजिक संपरीक्षा तब तक पूरी नहीं होगी, जब तक कि सामाजिक संपरीक्षा से प्राप्त निष्कर्षों और शिकायतों पर समयबद्ध कार्यवाही न हो.
- समयबद्ध अनुवर्तन (फालोअप) राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, उनके प्रति, जो सामाजिक संपरीक्षा की प्रक्रिया में सहभागी रहे या जो इससे प्रभावित होते हैं.
- सामाजिक संपरीक्षा के बाद विकासखंड स्तर पर निष्कर्षों/परिणामों/शिकायतों पर जनसुनवाई न करना और
- जिला स्तर पर अनुवर्तन, निगरानी और शिकायतों पर कार्यवाही न होना, सामाजिक संपरीक्षा के उद्देश्यों के लिए हानिकारक है.

सामाजिक संपरीक्षा क्यों ?

- लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए
- नियम और प्रमाण आधारित साझा प्रक्रिया
- नागरिकों और शासन व्यवस्था को करीब लाती है
- संसाधनों का बेहतर उपयोग
- जवाबदेही निर्धारण और पारदर्शिता
- व्यवस्था में लोगों की भागीदारी यानी विकेंद्रीकरण का जरिया

- योजना, निगरानी और सुधार के लिए
- समुदाय की क्षमता का विस्तार

सामाजिक संपरीक्षा का उद्देश्य

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का मूल भावना के साथ जवाबदेह, सहभागी और पारदर्शी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना.
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत शामिल योजनाओं के क्रियान्वयन में समुदाय व सेवा प्रदाताओं के बीच स्वामित्व की भावना हेतु सक्रिय समन्वय बनाना.
- प्रणालीगत खामियों की पहचान एवं अनियमितताओं को दूर करके सुधार एवं शिकायत निवारण क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना.
- जमीनी वास्तविकताओं और साक्ष्य के साथ नीतिगत सुधार करना.
- स्थानीय निकायों और समुदाय आधारित संस्थाओं के साथ संबंध स्थापित करना तथा हर पात्र व्यक्ति / परिवार को लाभ दिलाना.

कानून में है सामाजिक संपरीक्षा का प्रावधान

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत शामिल सभी योजनाओं की सामाजिक संपरीक्षा किए जाने का प्रावधान है. इसमें उल्लेख है कि –

1. "सामाजिक संपरीक्षा से ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसमें जनता किसी कार्यक्रम या योजना और कार्यान्वयन को सामूहिक रूप से निगरानी और उसका मूल्यांकन करती है."– अध्याय 1 (धारा 20)
2. प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी या ऐसा कोई अन्य प्राधिकारी या निकाय, जिसे राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जाए, उचित दर की दुकानों, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के कार्यकरण के सम्बन्ध में समय–समय पर सामाजिक संपरीक्षा करेगा या करवाएगा और ऐसी रीति में, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, अपने निष्कर्ष प्रचारित करवाएगा और आवश्यक कार्यवाही करेगा.

सामाजिक संपरीक्षा की प्रक्रिया में 5 केंद्रीय बातें

1. अधिनियम के मुताबिक लोगों के हक क्या हैं?
2. क्या उन्हें उन हकों के बारे में जानकारी दी गयी?
3. क्या सभी पात्र हकदारों को योजना में शामिल किया गया?
4. सबसे वंचित (जाति, लिंग, आजीविका के साधनों, गरीबी या कोई अन्य कारण) लोगों को खाद्य सुरक्षा हक दिए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए?

5. कोई समस्या या शिकायत होने पर लोग उसे दर्ज कर पाए, क्या यह बताया जा सका कि कहां शिकायत करना है? शिकायत पर क्या कार्यवाही हुई? क्या निराकरण हुआ? कितने दिन में हुआ और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई?

सामाजिक संपरीक्षा के चरण

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सामाजिक संपरीक्षा करने के लिए व्यापक रूप से छह चरण होंगे –

1. सब इस बात से सहमत हों कि अधिनियम और योजना के बेहतर क्रियान्वयन और समाज को वास्तविक हक प्रदान करने के लिए सामाजिक संपरीक्षा एक सकारात्मक पहल है.
2. ग्राम सभा में वर्ष में एक बार सामाजिक संपरीक्षा जरूर होना चाहिए.
3. ग्राम सभा, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बनी सतर्कता समिति और समुदाय को सामाजिक संपरीक्षा के लिए पहल करना होगी.
4. यह महज औपचारिकता पूरी करने वाली या सरकार केंद्रित प्रक्रिया नहीं है.
5. कम से कम 15 दिन पहले सम्बंधित विभाग से जरूरी दस्तावेज प्राप्त करना. इसके लिए हर पंचायत के स्तर पर सामाजिक संपरीक्षा दल/समिति का गठन होना चाहिए.
6. सामाजिक संपरीक्षा के लिए समुदाय के स्तर पर सामाजिक संपरीक्षा की प्रक्रिया से जुड़ने के लिए तैयार एक समूह (जिसमे हकधारक, महिलाएं, अनुसूचित जाति–जनजाति के प्रतिनिधि अनिवार्य रूप से शामिल हों) होना.
7. अंकेक्षण का प्रारूप और जानकारियां इकठ्ठा करना (जानकारियों के स्रोतों, दस्तावेजों, व्यक्तियों के बारे में स्पष्टता होना कि सूचना कहां से मिलेगी/कुछ सूचनाओं की उपयोग पूर्व जांच करना/प्रमाण सहित विस्तृत जानकारियां – हकधारकों, परिवारों, समुदाय, क्रियान्वयन करने वाली संस्थाओं के बारे में इकठ्ठा करना).
8. प्रमाण आधारित जानकारियों/प्रमाणित जानकारियों पर संवाद और उसका विश्लेषण – जो जानकारियां इकठ्ठा हुई हैं, उनका विश्लेषण करना, और जो निष्कर्ष निकल कर आ रहे हैं, उन्हें वापस समुदाय/सम्बंधित परिवारों के बीच ले जाना और उन्हें विस्तार से बताना. इस प्रक्रिया में क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार लोगों/संस्था के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाना होगा. सामाजिक संपरीक्षा में उस पक्ष को अपनी बात कहने का पूरा अवसर मिलना चाहिए, जो क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है.
9. जवाबदेहिता सुनिश्चित करने के लिए निष्कर्षों को प्रमाण सहित सार्वजनिक करना और जरूरी कार्यवाही करना. हर गांव/बस्ती के सामाजिक संपरीक्षा से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर कार्यवाही करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों/सतर्कता समिति/जिला शिकायत अधिकारी की उपस्थिति में बैठक करना. इन निष्कर्षों को मीडिया में भी जारी किया जाना चाहिए. फालो–अप करना कि कार्यवाही क्या हुई?

योजनाओं की सामाजिक संपरीक्षा के प्रमुख बिंदु

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सामाजिक संपरीक्षा

अधिनियम/योजना/कार्यक्रम में जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबधित जो प्रावधान किए गए हैं, क्या वे हक पात्र व्यक्ति को मिल रहे हैं? यदि नहीं तो क्यों?

- किन लोगों को लाभ मिल रहा है? कितना लाभ मिल रहा है? क्या अधिनियम के मुताबिक लाभ मिल रहा है?
- कहीं कोई व्यक्ति राशन व अन्य सामग्री से वंचित तो नहीं है? यदि हाँ तो कौन और क्यों?
- राशन व उचित मूल्य दुकान से मिलने वाली अन्य सामग्री के लिए जो हक तय हैं, क्या उनमें गुणवत्ता के मानकों का पालन हो रहा है?
- यदि किसी व्यक्ति ने अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन किया है, तो उसका निराकरण हुआ या नहीं? नहीं हुआ तो क्यों नहीं?
- हक/लाभ पाने या लाभ दिए जाने में कोई भेदभाव तो नहीं है?
- अपात्रों को लाभ तो नहीं मिल रहा है?
- योजना/कार्यक्रम के लिए जो जरूरी ढांचा, व्यवस्था, प्रशिक्षण और अधोसंरचना चाहिए, वह उपलब्ध है?
- योजना के तहत बनायी गयी निगरानी व निरीक्षण की व्यवस्थाएं काम कर रही हैं, मसलन क्या सतर्कता समिति बनी? उसके सदस्यों को समिति के कामों के बारे में जानकारी है?
- राशन केंद्र को विगत माहों में कितना राशन मिला, कितना वितरित हुआ?

एकीकृत बाल विकास योजना की सामाजिक संपरीक्षा

- क्या सभी पात्र बच्चे योजना में दर्ज हैं? क्या सभी को लाभ मिल रहा है?
- 6 साल से कम उम्र के आंगनवाड़ी में दर्ज बच्चे एवं ऐसे बच्चों की संख्या जो दर्ज होने से छूट गए हैं.
- आंगनवाड़ी का नियमित संचालन हो रहा है.
- आंगनवाड़ी में 3–6 साल उम्र के बच्चों को गर्म पका भोजन एवं 3 साल से कम उम्र के बच्चों को टेक होम राशन की मात्रा एवं उसकी गुणवत्ता.
- गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को टेक होम राशन की मात्रा एवं गुणवत्ता.
- 6 साल से कम उम्र के बच्चों की वृद्धि निगरानी एवं कुपोषण की पहचान.
- आंगनवाड़ी में पीने का पानी एवं स्वच्छता की स्थिति.

- स्तनपान को बढ़ावा देने हेतु आंगनवाड़ी द्वारा किए गए प्रयास की स्थिति.
- विगत माहों में आंगनवाड़ी केंद्र को कितना पोषण आहार मिला और कितना वितरित हुआ?

मध्यान्ह भोजन योजना की सामाजिक संपरीक्षा

- स्कूल में बच्चों की उपस्थिति एवं भोजन का वितरण यानि कितने बच्चों को भोजन दिया गया.
- भोजन की मात्रा एवं गुणवत्ता और बच्चों की रूचि.
- मध्यान्ह भोजन बनाने वाले स्व–सहायता समूह का रिकार्ड – कितनी सामग्री मिली और कितनी उपयोग में लायी गई ?
- समानता और भेदभाव की स्थिति.

मातृत्व हक (प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना) की सामाजिक संपरीक्षा

- योजना के तहत पंजीकृत गर्भवती व धात्री माताओं की संख्या – क्या कोई वंचित तो नहीं है ?
- क्या गाँव में सभी पात्र महिलायें पंजीकृत हैं? क्या उन्हें निर्धारित किश्तें हासिल हुईं?
- प्रसव पूर्व एवं प्रसव पश्चात् जांचों की संख्या दृ क्या सभी दर्ज माताओं की जांच हो रही है?
- संस्थागत प्रसव एवं प्रसव सेवाओं की गुणवत्ता?
- नवजात शिशु की देखभाल सेवाओं एवं टीकाकारण की स्थिति?
- किसी भी तरह का दुर्व्यवहार या भेदभाव तो नहीं हो रहा है?

याद रखिए

- सामाजिक संपरीक्षा समुदाय और हितग्राहियों द्वारा की जाने वाली पहल है.
- इसमें हर बिंदु की लोगों के सामने प्रमाणों के आधार पर पड़ताल होती है.
- योजना लागू करने वाले विभागों की यह जिम्मेदारी है कि वे सम्बंधित जानकारियां और दस्तावेज समुदाय/हितग्राहियों/सामाजिक संपरीक्षा समूह को उपलब्ध करवाएं.
- सामाजिक संपरीक्षा हर साल होना चाहिए.
- सामाजिक संपरीक्षा में उभर कर आए हर बिंदु/शिकायत का तय समय सीमा में निराकरण होना ही चाहिए.
- इस प्रक्रिया में महिलाओं का नेतृत्व बदलावकारी होगा।

अध्याय
12

सामाजिक संपरीक्षा

एक विस्तृत प्रारूप

परिचय

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत मिलने वाले हकों की जाँच पड़ताल हेतु सामाजिक संपरीक्षा का प्रावधान अधिनियम के तहत किया गया है. इस प्रावधान को अमल में लाने के लिए राज्य स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं. विकास संवाद द्वारा सामाजिक संपरीक्षा को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए रीवा जिले की एक पंचायत में करके सीखने की एक प्रक्रिया की गयी और इससे कुछ सीख बनी है. इस प्रक्रिया से यह बात समझ में आई कि सामाजिक संपरीक्षा को व्यवस्थित ढंग से अमल में लाने हेतु सघन प्रयास जरुरी है ताकि सामाजिक संपरीक्षा के मकसद को हासिल किया जा सके व समुदाय को खाद्य सुरक्षा योजना का मजबूत तंत्र मिल सके. अतः इस सीख के आधार पर सामाजिक संपरीक्षा को करने की एक रूपरेखा प्रस्तुत है.

सामाजिक संपरीक्षा का सबसे अहम् पहलू है अधिकृत जानकारियों, आंकड़ों और दस्तावेजों को सार्वजनिक करना. उन दस्तावेजों और जानकारियों का जमीनी वास्तविकता/वास्तविक हितग्राहियों से मिलान करना और वस्तुस्थिति का विश्लेषण करना.

यह ध्यान रखना जरूरी है कि कई स्तरों पर मौजूदा स्वरूप में रखी गई जानकारी को समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है. ऐसे में सामाजिक संपरीक्षा के लिए सहज और सरल प्रारूप में जानकारी दर्ज करने की व्यवस्था करना होगी.

यदि सामाजिक संपरीक्षा की प्रक्रिया को सचमुच लागू करना है तो इसके लिए एक स्वतंत्र समूह खड़ा करना अनिवार्य है क्योंकि यदि क्रियान्वयन में जुटे पदाधिकारियों के माध्यम से सामाजिक संपरीक्षा करवाई जायेगी तो वास्तविक स्थिति सामने नहीं आ पाएगी.

राशन दुकान/पंचायत स्तर पर सामाजिक संपरीक्षा करवाने के लिए 10 से 15 ग्राम सामाजिक संपरीक्षकों का समूह बनाया जाना चाहिए ताकि प्रक्रिया सुचारू रूप से और पारदर्शी रूप से चल सके.

सामाजिक संपरीक्षा

सामाजिक संपरीक्षा की प्रक्रिया के माध्यम से सरकार या कार्यक्रम लागू करने वाली संस्था की जवाबदेहिता सुनिश्चित करने की कोशिश की जाती है. सामाजिक संपरीक्षा वास्तव में संबंधित योजना से सही और पूर्ण लाभ हासिल करने हेतु माहौल बनाने का एक बुनियादी उपाय है. आइये हम सामाजिक संपरीक्षा से जुड़े कुछ मुख्य शब्दों को जानें –

जवाबदेहिता – कानून और योजना में लिखा होता है कि कौन–कौन से अधिकार व्यक्ति को हासिल हैं. यदि वह अधिकार किसी व्यक्ति को प्राप्त न हों, तो यह जांचा जाना कि अधिकार उपलब्ध करवाने में कहाँ और किसकी चूक हुई? इस जांच के आधार पर कार्यवाही की जाती है. यदि अधिनियम कहता है कि नागरिकों को खाद्य सुरक्षा का अधिकार है, और शासन की जिम्मेदारी है कि पात्र लोगों को यह अधिकार मिलना सुनिश्चित करे. यदि किसी व्यक्ति/समूह की तयशुदा खाद्य सुरक्षा का अधिकार नहीं मिलता है, तो शासन उसे देने के लिए बाध्य है, यही उसकी जवाबदेहिता है. उदाहरण – खाद्य सुरक्षा भत्ता का प्रावधान.

पारदर्शिता – किसी योजना/कार्यक्रम के निर्माण की प्रक्रिया क्या रही, यह लोग देखे और जान सकें. किसी योजना/कार्यक्रम के लिए कितने संसाधन आवंटित हुए? उन संसाधनों–पैसे को किसने, कैसे और कहाँ खर्च किया? खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत कितना अनाज और पोषण आहार आया और किन हितग्राहियों में बांटा गया? ये सभी जानकारियाँ हमेशा सार्वजनिक रहना ही पारदर्शिता है.

सहभागिता – सहभागिता से मतलब यह है कि हम जिस व्यवस्था से जुड़े हुए हैं और जो व्यवस्थाएं हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं उनसे जुड़े फैसलों में हमारी सहभागिता हो यानि हम उन मामलों में दखल रख सके, अपनी बात रख सकें और निर्णयों को प्रभावित कर सकें.

सामाजिक संपरीक्षा की अवधारणा

सामाजिक संपरीक्षा मे यह जांचा जाना कि शासकीय योजनाओं के तहत जो हक और लाभ दिए जाने का प्रावधान है, वे सभी पात्र लोगों को मिल रहे हैं या नहीं? योजना के क्रियान्वयन के लिए जो व्यवस्थाएं बनना चाहिए, वे बनी हैं या नहीं? कहीं कोई पात्र व्यक्ति बुनियादी हक से वंचित तो नहीं है? इससे योजना क्रियान्वयन से जुड़ी हुई समस्याओ के बारे भी समझ आता है और नीति में बदलाव की भी जरूरत भी पता पड़ती है.

सामाजिक संकेक्षण दरअसल एक लोकतान्त्रिक प्रक्रिया है, जिसमें सरकार और समुदाय मिलकर योजना के नियोजन एवं क्रियान्वयन की निगरानी तथा मूल्यांकन करते हैं और कोशिश करते हैं कि तय लक्ष्य हासिल हों. यह वंचित तबकों के सशक्तिकरण का एक प्रभावशाली माध्यम भी है.

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में कहा गया है कि "सामाजिक संपरीक्षा से ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत (तात्पर्य) है जिसमें **जनता** किसी **कार्यक्रम या स्कीम** की योजना और कार्यान्वयन की **सामूहिक रूप से निगरानी** और उसका **मूल्यांकन** करती है." राज्य सरकार स्थानीय निकाय या किसी अन्य निकाय के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की योजनाओं की समय समय पर सामाजिक संपरीक्षा करवाएगी. इसके निष्कर्षों को प्रचारित करेगी और आवश्यक कार्यवाही करेगी.

सामाजिक संपरीक्षा का उद्देश्य

- कार्यक्रम/योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेहिता को प्रोत्साहित करना.
- हितधारकों को उनके अधिकारों/हकों के बारे में सूचना देना, जागरूक करना.
- हितधारकों अपनी शिकायतों और जरूरतों को अभिव्यक्त करने के लिए एक साझा मंच, मसलन सामाजिक संपरीक्षा सभा या ग्राम सभा सरीखा मंच उपलब्ध करवाना.

- कार्यक्रम/योजना के क्रियान्वयन के हर चरण/स्तर पर समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करना और भ्रष्टाचार पर रोक लगाकर योजना के क्रियान्वयन को बेहतर करना और उसके ज्यादा प्रभावी बनाना है.

कानून में सामाजिक संपरीक्षा का प्रावधान

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत शामिल सभी योजनाओं की सामाजिक संपरीक्षा किए जाने का प्रावधान है. इसमें उल्लेख है कि –

1. अध्याय 1 (धारा–20) – "सामाजिक संपरीक्षा से ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसमें जनता किसी कार्यक्रम या योजना और कार्यान्वयन को सामूहिक रूप से निगरानी और उसका मूल्यांकन करती है."
2. प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी या ऐसा कोई अन्य प्राधिकारी या निकाय, जिसे राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जाए, उचित दर की दुकानों, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के कार्यकरण के सम्बन्ध में समय–समय पर सामाजिक संपरीक्षा करेगा या करवाएगा और ऐसी रीति में, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, अपने निष्कर्ष प्रचारित करवाएगा और आवश्यक कार्यवाही करेगा.

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने भी स्पष्ट किया है कि सामाजिक संपरीक्षा को किसी योजना/कार्यक्रम के क्रियान्वयन और उसके परिणामों के सत्यापन और जांच की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो समुदाय द्वारा प्राथमिक हितधारक द्वारा संचालित की जाती है.

- इसमें समुदाय/लोगों की सक्रिय सहभागिता के साथ आधिकारिक जानकारियों/दस्तावेजों की मैदानी स्थिति की वास्तविकता के साथ तुलना करके परिणामों का खुले मंच से ऊंचे स्वर में पढ़ा जाता है.
- सामाजिक संपरीक्षा केवल आर्थिक संसाधनों के लेखे–जोखे से ज्यादा व्यापक प्रक्रिया है, इसमें जांचा जाता है कि क्या धन/संसाधनों का सही तरीके से व्यय किया गया है और इससे लोगों के जीवन में बदलाव आया है?

सामाजिक संपरीक्षा कैसे की जाती है?

- सामाजिक संपरीक्षा लोगों की जरूरतों और योजना/कानून/सेवा के मानकों/प्रावधानों और उद्देश्यों को केंद्र में रख कर की जाती है.
- इसमें समुदाय के कथनों/साक्ष्यों का अधिकृत तथ्यों/जानकारियों/रिकॉर्ड से मिलान किया जाता है.
- यह एक सार्वजनिक और खुली प्रक्रिया होती है, जिसमें जानकारी इकठ्ठा करने से लेकर उसके विश्लेषण तक समुदाय मुख्य भूमिका में होता है.
- जानकारियाँ और तथ्य किसी प्रारूप का उपयोग करके इकठ्ठा किये जाते हैं.
- इसके परिणामों को सार्वजनिक सभा/ग्राम सभा/सामाजिक संपरीक्षा आयोजित कर प्रस्तुत किया जाता है.
- मध्यप्रदेश पंचायतराज अधिनियम में 1996 से ही गांव में लागू सभी योजनाओं के लिए सामाजिक संपरीक्षा का प्रावधान किया गया है.

अध्याय
13

विस्तृत ढांचा और रूपरेखा

(सामाजिक संपरीक्षा क्रियान्वयन के लिए ढांचा)

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सामाजिक संपरीक्षा के क्रियान्वयन की संभावित ढांचागत व्यवस्था



राज्य स्तर

पूरे प्रदेश में सामाजिक संपरीक्षा की नीति निर्धारण, नियोजन व क्रियान्वयन, समीक्षा व निगरानी करने के लिए संचालन समिति एवं सामाजिक संपरीक्षा संसाधन समूह (सदस्य – राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष अथवा अध्यक्ष द्वारा नामित सदस्य, एसीएस/पीएस सभी सम्बंधित विभाग, आयुक्त–खाद्य, निदेशक–मध्यान्ह भोजन एवं खाद्य, आमंत्रित सदस्य–सीएसओ एवं विशेषज्ञ) गठित किये जाने का प्रावधान किया गया है.

जिला स्तर

जिला स्तर पर सामाजिक संपरीक्षा संसाधन एवं स्रोत समूह के गठन का प्रवधान किया गया है जिसमें सीईओ, जिला पंचायत, डीपीओ महिला एवं बाल विकास, डीएसओ खाद्य, डीईओ, सीएमएचओ, आयुक्त आदिवासी

विकास, डीपीसी–एसएसए, एम डी एम प्रभारी, सदस्य होंगे. यह समिति सामाजिक संपरीक्षा गतिविधियों को कलेक्टर के निर्देशन में क्रियान्वित करने के लिए अधिकृत होगी.

जिला स्तरीय प्रशिक्षक दल

जिला स्तर पर सामाजिक संपरीक्षा दल के प्रशिक्षण हेतु एक स्रोत व्यक्ति और प्रशिक्षक दल होगा जो प्रशिक्षण का कार्य करेगा. इस प्रशिक्षक दल में वरिष्ठ विभागीय अधिकारी, मनरेगा के सामाजिक संपरीक्षक, जिले में खाद्य एवं पोषण के मुद्दों पर काम कर रही स्वयं सेवी संस्था के वरिष्ठ कार्यकर्ता आदि हो सकते हैं.

ब्लॉक स्तर

ब्लॉक स्तर पर एक सामाजिक संपरीक्षा सुगमकर्ता दल होगा जो पूरे ब्लाक में सामाजिक संपरीक्षा में सहयोग करेगा. इस समूह एसडीएम, सीईओ जनपद पंचायत, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, बाल विकास अधिकारी, महिला एवं बाल विकास अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, विकास खंड स्रोत समन्वयक, बी. एम. ओ. और स्वैच्छिक संस्था प्रतिनिधि सदस्य हो सकते हैं.

उचित मूल्य दुकान स्तर

उचित मूल्य दुकान स्तर पर लाभार्थी समूह एवं समुदाय के अन्य सदस्यों में से एक सामाजिक संपरीक्षा दल गठित किया जायेगा. इस समूह में लगभग 8–12 सदस्य होंगे, जिसमें प्रेरित युवा, मुख्यमंत्री नेतृत्व विकास कार्यक्रम के छात्र, मनरेगा सामाजिक संपरीक्षा आडिटर, सतर्कता समिति के सदस्य, स्व सहायता समूह के सदस्य, पंचायत के सदस्य शामिल हों सकते हैं. साथ ही एक सामाजिक संपरीक्षा सहयोग दल होगा जो सामाजिक संपरीक्षा दल को सहयोग करेगा. इस दल में गांव के स्वप्रेरित युवा, सेवानिवृत्त शिक्षक, स्वैच्छिक कार्यकर्ता आदि हो सकते हैं.

सभी स्तर के स्रोत दल में महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित किया जाना चाहिए.

योजनाओं की सामाजिक संपरीक्षा के बिंदु

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सामाजिक संपरीक्षा

- अधिनियम / योजना / कार्यक्रम में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबधित जो प्रावधान किए गए हैं, क्या वे हक पात्र व्यक्ति को मिल रहे हैं? कितना लाभ मिल रहा है? यदि नहीं तो क्यों?
- कहीं कोई पात्र व्यक्ति / परिवार राशन व अन्य सामग्री से वंचित तो नहीं है? यदि हाँ तो कौन और क्यों?
- राशन उचित मूल्य दुकान से मिलने वाली अन्य सामग्री के लिए जो गुणवत्ता के मानकों का पालन हो रहा है?
- यदि किसी व्यक्ति / परिवार ने अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन किया है, तो उसका निराकरण हुआ या नहीं? नहीं हुआ तो क्यों नहीं?
- हक / लाभ पाने या लाभ दिए जाने में कोई भेदभाव तो नहीं है?
- अपात्रों को तो लाभ नहीं मिल रहा है?
- योजना / कार्यक्रम के लिए जो जरूरी ढांचा, व्यवस्था, प्रशिक्षण और अधोसंरचना चाहिए, वह उपलब्ध है?

- योजना के तहत बनायी गयी निगरानी व निरीक्षण की व्यवस्थाएं काम कर रही हैं, मसलन क्या सतर्कता समिति बनी? उसके सदस्यों को समिति के कामों के बारे में जानकारी है?
- राशन केंद्र को विगत माहों में कितना राशन मिला, कितना वितरित हुआ?
- योजना के संबंध में समुदाय की जानकारी का स्तर.

एकीकृत बाल विकास योजना की सामाजिक संपरीक्षा

- क्या सभी पात्र बच्चे योजना में दर्ज हैं? क्या सभी को लाभ मिल रहा है?
- 6 साल से कम उम्र के आंगनवाड़ी में दर्ज बच्चे एवं ऐसे बच्चों की संख्या जो दर्ज होने से छूट गए हैं।
- आंगनवाड़ी का नियमित संचालन हो रहा है.
- आंगनवाड़ी में 3–6 साल उम्र के बच्चों को गर्म पका भोजन एवं 3 साल से कम उम्र के बच्चों को टेक होम राशन की मात्रा एवं उसकी गुणवत्ता.
- गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को टेक होम राशन की मात्रा एवं गुणवत्ता.
- 6 साल से कम उम्र के बच्चों की वृद्धि निगरानी एवं कुपोषण की पहचान.
- आंगनवाड़ी में पीने का पानी एवं स्वच्छता की स्थिति.
- स्तनपान को बढ़ावा देने हेतु आंगनवाड़ी द्वारा किए गए प्रयास की स्थिति.
- विगत माहों में आंगनवाड़ी केंद्र को कितना पोषण आहार मिला और कितना वितरित हुआ?
- योजना के संबंध में समुदाय की जानकारी का स्तर.
- समुदाय एवं हितग्राहियों द्वारा दी गई जानकारी का सेवाप्रदाता और सम्बंधित विभाग के रिकॉर्ड/दस्तावेजों से मिलान.

मध्यान्ह भोजन योजना की सामाजिक संपरीक्षा

- स्कूल में बच्चों की उपस्थिति एवं भोजन का वितरण यानि कितने बच्चों को भोजन दिया गया.
- भोजन की मात्रा एवं गुणवत्ता, बच्चों की रूचि.
- मध्यान्ह भोजन बनाने वाले स्व–सहायता समूह का रिकार्ड – कितनी सामग्री मिली और कितनी उपयोग में लायी गई ?
- समानता और भेदभाव की स्थिति.
- आवंटन एवं भण्डारण की व्यवस्था.
- पीने का पानी एवं स्वच्छता का स्तर.
- भोजन हेतु बर्तन.
- योजना के संबंध में समुदाय की जानकारी का स्तर.
- समुदाय एवं हितग्राहियों द्वारा दी गई जानकारी का सेवाप्रदाता और सम्बंधित विभाग के रिकॉर्ड/दस्तावेजों से मिलान.

मातृत्व हक (प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना) की सामाजिक संपरीक्षा

- योजना के तहत पंजीकृत गर्भवती व धात्री माताओं की संख्या – क्या कोई वंचित तो नहीं है?
- क्या गाँव में सभी पात्र महिलायें पंजीकृत हैं? क्या उन्हें निर्धारित किश्तें हासिल हुईं?
- प्रसव पूर्व एवं प्रसव पश्चात् जांचों की संख्या – क्या सभी दर्ज माताओं की जांच हो रही है?
- संस्थागत प्रसव एवं प्रसव सेवाओं की गुणवत्ता?
- नवजात शिशु की देखभाल सेवाओं एवं टीकाकरण की स्थिति?
- किसी भी तरह का दुर्व्यवहार तो नहीं हो रहा है?
- योजना के संबंध में समुदाय की जानकारी का स्तर?
- समुदाय एवं हितग्राहियों द्वारा दी गई जानकारी का सेवाप्रदाता और सम्बंधित विभाग के रिकॉर्ड/दस्तावेजों से मिलान.

सामाजिक संपरीक्षा हेतु जानकारी की जरुरत

आमतौर पर किसी भी विषय से संबंधित जानकारी दो तरह की होती है –

- ऐसी जानकारी जो पहले से उपलब्ध है, जैसे विभिन्न दस्तावेजों, पोर्टल, प्रकाशनों आदि में उपलब्ध जानकारी (द्वितीयक जानकारी).
- ऐसी जानकारी जो पहले से उपलब्ध नहीं है जिसे जुटाना होगा (प्राथमिक जानकारी).

अध्याय 14

सामाजिक संपरीक्षा - भूमिकाएं, उपकरण और चरण

भूमिकाएं

सामाजिक संपरीक्षा दल और सामाजिक संपरीक्षा सहयोगी दल

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधनियम के तहत सामाजिक संपरीक्षा के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, एकीकृत बाल विकास सेवाएँ कार्यक्रम (पोषण आहार और प्रधानमन्त्री मातृ वंदना योजना) और मध्यान्ह भोजन योजना का प्रावधानों, सामाजिक व्यवस्था, शासकीय व्यवस्था और पारदर्शिता–जवाबदेहिता के दृष्टिकोण से समुदाय द्वारा विश्लेषण, समीक्षा और सुधार की प्रक्रिया चलाई जायेगी.

सामाजिक संपरीक्षा की समुदाय स्तर पर प्रक्रिया में ढांचागत व्यवस्था और भूमिकाएं

सामाजिक संपरीक्षा दल (Social Audit Team – SAT)	सामाजिक संपरीक्षा सहयोगी दल (Social Audit Support Team-SAST)
सदस्य (6 सदस्य) • मनरेगा से सम्बद्ध सामाजिक संपरीक्षक • सतर्कता समिति के सदस्य • स्वयं सहायता समूह के सदस्य • प्रेरित और सक्रिय युवा • पंचायत सदस्य (सरपंच को छोड़कर) • महिला समूह की सदस्य • समुदाय का कोई भी सदस्य	**सदस्य (10 से 15 सदस्य)** • सतर्कता समिति के सदस्य • शिक्षक • सेवानिवृत्त व्यक्ति • आंगनवाड़ी कार्यकर्ता • आशा • पंचायत सदस्य (सरपंच को छोड़कर) • रूचि रखने वाले सक्रिय युवा • रूचि रखने वाकी सक्रिय महिलायें • स्थानीय सामाजिक संस्था के कार्यकर्ता • समुदाय का कोई भी अन्य सदस्य
सामाजिक संपरीक्षा दल का निर्धारित प्रशिक्षण माड्यूल के मुताबिक 3 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा.	• जब पंचायत में सामाजिक संपरीक्षा की प्रक्रिया शुरू होगी तो उसका पहला चरण जागरूकता अभियान और सूचना प्रसार का अभियान का होगा.

	• यह अभियान सामाजिक संपरीक्षा दल द्वारा संचालित किया जाएगा. • इस अभियान के पहले दिन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक संपरीक्षा की अवधारणा और महत्व के बारे में जानकारी देने के बाद मौजूद समुदाय से यह आह्वान किया जाएगा कि लगभग 5 दिन चलने वाली इस प्रक्रिया में समुदाय के कौन–कौन से सदस्य इस प्रक्रिया में सहभागी होने के लिए तैयार हैं. सहभागिता का आशय यह है कि वे सामाजिक संपरीक्षा दल को अधिनियम की योजनाओं से सम्बंधित जानकारियाँ/इकठ्ठा करने में सहयोगी होंगे.
सामाजिक संपरीक्षा दल की क्षमता वृद्धि का काम जिला स्तरीय प्रशिक्षकों द्वारा किया जाएगा. इसमें निम्न बिंदु शामिल हैं – • खाद्य सुरक्षा का मतलब • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में जानकारी • विभिन्न योजनाओं के प्रावधान • सामाजिक संपरीक्षा का आशय, जरूरत और महत्त्व	• जागरूकता और सूचना प्रसार अभियान के दौरान स्वैच्छिक रूप से सहभागी होने के लिए सामने आए व्यक्तियों को एक समूह में त्वरित प्रशिक्षण दिया जाएगा. • यह प्रशिक्षण सामाजिक संपरीक्षा दल द्वारा प्रदान किया जाएगा. • त्वरित प्रशिक्षण में सहयोगी दल को योजनाओं के मुख्य प्रावधानों के बारे में जानकारी दी जायेगी. • इसी प्रशिक्षण में सहयोगी दल के सदस्यों को सामाजिक संपरीक्षा प्रारूपों को भरने/जानकारी इकठ्ठा करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा. • सामाजिक संपरीक्षा सहयोगी दल के सदस्यों को यह बताया जाना होगा कि उनके द्वारा एकत्र की जाने वाली जानकारी कितनी महत्वपूर्ण है? इसके कौन–कौन से मुख्य बातें ध्यान में रखी जाना चाहिए? • यह बताया जाएगा कि सभी भरे गए प्रारूपों में 10 प्रतिशत प्रारूपों की सामाजिक संपरीक्षा दल द्वारा पुर्नजांच भी की जाएगी.

सामाजिक संपरीक्षा दल के एक सदस्य के साथ सामाजिक संपरीक्षा सहयोगी दल के दो सदस्यों का एक समूह बनाया जाएगा.	सामाजिक संपरीक्षा दल के एक सदस्य के साथ इस समूह के दो सदस्य का जुड़ाव होगा. सहयोगी दल के सदस्य की भूमिका प्रारूप के आधार पर तथ्यात्मक जानकारियाँ इकठ्ठा की जाएंगी.
• सामाजिक संपरीक्षा दल मुख्य रूप से यह सुनिश्चित करेगा कि सामाजिक संपरीक्षा के लिए पंचायत के तहत सभी परिवारों/लक्षित बाल समूह/लक्षित महिला समूह से जुडी जानकारियाँ एकत्र की जायेंगी. • सामाजिक संपरीक्षा सहयोगी दल के साथ मिलकर सामाजिक संपरीक्षा दल पहले दिन गाँव/बस्ती/टोला के आधार पर समय सारिणी बनायी जायेगी, जिसमें यह उल्लेख होगा कि अगले 5–6 दिन के सामाजिक संपरीक्षा के कार्यक्रम में कौन सी टीम, कहाँ होगी? इससे मानिटरिंग व्यवस्थित हो पाएगी. • सामाजिक संपरीक्षा दल स्वयं समूह चर्चा का आयोजन और संचालन करेगा. • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत शामिल योजनाओं से जुड़े संस्थानों/केन्द्रों (राशन दुकान, स्कूल, रसोई, आंगनवाड़ी केंद्र) पर उपलब्ध सेवाओं, सामग्री, सुविधाओं का अवलोकन और परीक्षण करना सामाजिक संपरीक्षा दल की भूमिका होगी. • सामाजिक संपरीक्षा दल के सदस्यों को उनकी सक्रिय और प्रभावी भूमिका के निर्वहन के लिए जिला कलेक्टर से हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा.	• सामाजिक संपरीक्षा सहयोगी दल के सदस्य • सामाजिक संपरीक्षा से सम्बंधित जानकारियाँ/तथ्य प्रारूप में इकट्ठा करेंगे. • इस काम की निगरानी सामाजिक संपरीक्षा दल के सदस्य करेंगे. • इस पद्धति से भरे जा रहे प्रारूपों में से 10 प्रतिशत प्रारूपों की पुनर्जांच/पुनः परीक्षण किया जाएगा, ताकि तथ्य की सटीकता की जांच की जा सके.

मुख्य उपकरण

परिवार एवं लाभार्थी अनुसूची

इस अनुसूची की मदद से परिवारों से जानकारी एकत्र की जाएगी. अनाज के वितरण, पोषक आहार के वितरण, मध्यान्ह भोजन के वितरण, मातृत्व लाभ आदि से संबंधित जानकारी का संकलन किया जाएगा. इसमें अनाज वितरण से संबंधित जानकारी सभी परिवारों से भरी जाएगी.

समूह चर्चा अनुसूची

इस अनुसूची से समूह चर्चा में मदद मिलेगी. उचित मूल्य की दुकान, आंगनवाड़ी व मातृत्व लाभ से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़े पहलुओं को समझने के लिए इस अनुसूची के द्वारा गुणात्मक जानकारी का संकलन किया जा सकेगा.

अवलोकन और दस्तावेज अनुसूची

इस अनुसूची द्वारा शासकीय उचित मूल्य की दुकान, आंगनवाड़ी, स्कूल स्वास्थ्य केंद्र से द्वितीयक जानकारी एकत्र की जाना चाहिए. यह एक गाँव के लिए एक होगी व सभी जानकारी एक ही प्रपत्र में भरी जाएगी. साथ ही ऑनलाइन जानकारी भी इसी प्रपत्र के साथ संलग्न की जाना चाहिए. इस सूची के सपोर्ट के रूप में विभिन्न रजिस्टर की फोटोप्रति भी संलग्न हो.

सामाजिक संपरीक्षा के चरण



1. योजना एवं तैयारी

- मार्गदर्शिका एवं पठन सामग्री तथा सामुदायिक जागरूकता सामग्री का निर्माण.
- राज्य स्तरीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण.
- जानकारी इकठ्ठा करने के प्रारूप का निर्माण.
- ब्लाक स्तरीय स्रोत समूह का गठन.
- ब्लाक स्तरीय स्रोत दल का प्रशिक्षण.
- सामाजिक संपरीक्षा – पंचायत स्तरीय स्रोत समूह का गठन एवं ब्लाक स्रोत दल द्वारा उन्मुखीकरण.
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में शामिल विभिन्न योजनाओं से सम्बंधित विभागों/संस्थाओं के साथ संवाद और क्रियान्वयन की प्रक्रिया को साझा तरीके से अंतिम रूप देना.

2. क्रियान्वयन चरण एवं प्रक्रिया

एक – प्रारंभिक तैयारी एवं सामाजिक संपरीक्षा का कैलेंडर घोषित करना	• राज्य स्तर पर अंतर्विभागीय समन्वय समिति का गठन • राज्य स्तर पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, जिला, ब्लाक तथा हर पंचायत स्तर पर सामाजिक संपरीक्षा की योजना • यह तय किया जाना कि सामाजिक संपरीक्षा किस समयावधि में होगी. भूमिकाओं का निर्धारण किया जाए ताकि सबको पता रहे उन्हें कब क्या करना है?
दो – राशन दुकान/आंगनवाड़ी/स्कूल एवं विकासखंड/जिला कार्यालय से आधिकारिक द्वितीयक जानकारियाँ/रिपोर्ट्स/दस्तावेज हासिल/एकत्र करना (तीन महीने की जानकारी)	• पंचायत स्तरीय सामाजिक सामाजिक संपरीक्षा दल के दो–तीन सदस्य राशन दुकान/आंगनवाड़ी/स्कूल एवं विकासखंड/जिला कार्यालय से आधिकारिक द्वितीयक जानकारियाँ/रिपोर्ट्स/दस्तावेज हासिल/एकत्र करेंगे. • शासन द्वारा जानकारियाँ एक निर्धारित प्रशासकीय प्रारूप में रखी जाती हैं. अतः यह कोशिश करना होगी कि शासन/विभाग से प्राप्त जानकारियों को एक सरल प्रारूप में रखा जाए. • खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग समग्र – एनएफएसए पोर्टल पर राशन दुकान वार जानकारियाँ संधारित करता है. विगत 6 माह की वह सूची हासिल कर ली जाना जाना चाहिए और उसे एक्सेल प्रारूप में परिवर्तित कर लिया जाना चाहिए. ताकि यह पता चल सके कि विभिन्न हितग्राहियों को माहवार कितना राशन शासन की तरफ से दिया जा रहा है? • इसी तरह आंगनवाड़ी के विगत छः माह की हितग्राही और उपस्थिति पंजी हासिल कर ली जाना चाहिए, उसे भी एक्सेल प्रारूप में रखा जा सकता है. मध्यान्ह भोजन के रजिस्टर की कापी और उपस्थिति पंजी हासिल करनी होगी.

तीन – पंचायत स्तरीय सामाजिक संपरीक्षा दल द्वारा सामाजिक संपरीक्षा के लिए समुदाय को साथ जोड़ना (कम्युनिटी मोबलाईजेशन)	• राशन दुकान/पंचायत स्तर पर सामाजिक सामाजिक संपरीक्षा दल का गठन किया जाएगा. इस समूह की मुख्य भूमिका होगी निर्धारित प्रक्रिया से विभिन्न योजनाओं से सम्बंधित जानकारियाँ इकठ्ठा करना. • राशन दुकान/पंचायत सामाजिक संपरीक्षा स्रोत टीम में 7 सदस्य होंगे. जिनमें स्थानीय समुदाय शिक्षित एवं सक्रिय युवा, महिला समूह की सक्रिय महिलाएं, मुख्यमंत्री नेतृत्व विकास कार्यक्रम के छात्र, सतर्कता समिति सदस्य, आदि शामिल होंगे. • यह समूह गांव स्तर पर समुदाय को सामाजिक संपरीक्षा प्रक्रिया से जोड़ने के लिए समुदाय के साथ मिलकर बैठकें, संपर्क, नुक्कड़ नाटक, पोस्टर वितरण एवं पेम्पलेट आदि का वितरण करेंगे ताकि समुदाय इस प्रक्रिया से जुड़ सके.
चार – सामाजिक संपरीक्षा दल द्वारा निर्धारित प्रारूपों में सतर्कता समिति सदस्यों के साथ मिलकर प्राथमिक जानकारी का संकलन एवं समुदाय से पुष्टिकरण और भौतिक सत्यापन (तीन महीने)	निर्धारित प्रारूपों में गाँव/बस्ती के सभी घरों/परिवारों का भ्रमण करके जानकारी इकठ्ठा की जायेगी. इससे दो तरह की जानकारियाँ हासिल होंगी – एक – जो परिवार हितग्राही सूची में शामिल हैं, उन्हें माहवार कितना खाद्यान्न हासिल हो रहा है? क्या उन्हें उतना राशन मिल रहा है, जितना रिकार्ड में दर्ज है? कहीं ऐसा तो नहीं कि परिवार की पात्रता 40 किलो की है, किन्तु उन्हें 30 किलो ही हासिल हो रहा है क्योंकि दो सदस्यों के नाम नहीं जुड़े हैं? दो – ऐसे कौन से परिवार हैं, जो पात्र हैं, वंचित हैं, किन्तु उनके नाम एनएफएसए सूची में शामिल नहीं हैं? इसी तरह आईसीडीएस और मध्यान्ह भोजन योजना के तहत यह जांचा जा सकेगा कि गाँव/बस्ती में कितने हितग्राही हैं? कितने हितग्राही शामिल हैं? उन्हें मानक के मुताबिक पोषण आहार मिल रहा है या नहीं? कौन वंचित हैं?

	समाज में कौन से लोग/परिवार/बच्चे वंचित हैं, यह जांचने के लिए 100% परिवारों तक पहुंचना और उनसे जानकारियाँ इकठ्ठा करना सबसे बुनियादी जरूरत होगी क्योंकि चुनिन्दा (सेम्पल) सर्वे में यह आशंका बनी रहेगी कि सबसे वंचित तबके उससे छूट जाएँ. सार्वजनिक बैठक में लोग सीधे नहीं बोल पायेंगे. बहरहाल यह जरूरी है कि व्यापक पहलुओं को जांचने और गुणात्मक जानकारियों (मसलन सेवा प्रदाता का व्यवहार, गुणवत्ता, दूरी, ढांचागत समस्याएं, भेदभाव आदि) को इकठ्ठा करने के लिए एक मिश्रित, समुदाय आधारित और महिलाओं के समूह के बीच निर्धारित बिंदुओं पर समूह चर्चा भी होगी. राशन की दुकान, स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र का भ्रमण, वहां की सेवाओं और व्यवस्था को देखना, उनकी गुणवत्ता से सम्बंधित जानकारियों को दर्ज किया जाना होगा. यह भी देखना होगा कि राशन की दुकान पर वजन लिए जाने के उपकरण हैं, स्कूल–आंगनवाड़ी में बर्तन, खिलौने, वजन मशीन आदि उपलब्ध है या नहीं?
पांच – सामाजिक संपरीक्षा दल द्वारा प्राप्त जानकारी का विश्लेषण और सरल प्रारूप में प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार करना	विभाग से प्राप्त जानकारियों को एक्सेल स्वरूप में रखे जाने के बाद उसमें समुदाय से प्राप्त जानकारियों को रख दिया जाएगा. ताकि तुलना की जा सके. समस्त जानकारियाँ एक स्वरूप में रख दिए जाने के बाद उसकी एक संक्षेपिका बनायी जायेगी, जिसमें व्यापक आंकड़े–जानकारियाँ होंगी, मसलन किन्हें, कितनी मात्र में राशन मिल रहा है? कितनों को नहीं मिल रहा है? कम मात्रा किन्हें मिल रही है? इसी तरह एक सूची हितग्राहियों के नाम के साथ बनायी जायेगी.
छः – सामाजिक संपरीक्षा सभा/ग्राम सभा की तैयारी	जब जानकारियों का संग्रहण और विश्लेषण हो रहा होगा, तभी गाँव/पंचायत/बस्ती में

	सामाजिक संपरीक्षा सभा की सूचना दे दी जाना चाहिए. सभा ऐसे स्थान पर होना चाहिए, जहाँ सबसे वंचित लोग किसी भी तरह के दबाव से मुक्त हो सकें. यह नजर रखना होगी कि कोई भी व्यक्ति या समूह गलत सूचना तो नहीं फैला रहा है? कहीं लोगों को बात कहने या सभा में आने से रोकने की कोशिश तो नहीं की जा रही है? यदि किसी भी तरह के दबाव के संकेत मिलें तो सम्बंधित परिवारों से सीधे संवाद करके उनके भय को दूर किया जाना होगा और उन्हें यह विश्वास दिलाया जाना होगा कि उनकी बात सुनी जायेगी और उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी.
सात – सामाजिक संपरीक्षा दल द्वारा प्राथमिक निष्कर्षों की सामाजिक संपरीक्षा सभा (संयुक्त ग्रामसभा) में प्रस्तुति	प्राथमिक और द्वितीयक जानकारियों को सामाजिक संपरीक्षा सभा में पढ़ा जाएगा और उसका निराकरण किया जाएगा.
आठ – सामाजिक संपरीक्षा सभा रिपोर्ट को अलग–अलग ग्राम सभा को भेजना, ग्रामसभा का अनुमोदन एवं कार्रवाई हेतु पंचायत एवं विभाग को भेजना	सभा में अंतिम रूप से निकल कर आए निष्कर्षों को एक एक्शन टेकन/प्रगति निर्धारण रिपोर्ट के फार्मेट में रखा जाएगा. इसे सामुदायिक निगरानी कार्ड भी कहा जा सकता है. ताकि जो मुद्दे/केस सामाजिक संपरीक्षा में निकल कर आए, उनके क्रियान्वयन पर नजर रखी जा सके.
नौ – संपरीक्षा की प्रक्रिया से निकले परिणामों को रिपोर्ट कार्ड में डालना, ताकि ग्राम सभा और सतर्कता समिति उन पर कार्यवाही कर निगरानी कर सके	सामाजिक संपरीक्षा की प्रक्रिया एवं सामाजिक संपरीक्षा सभा से निकले बिंदुओं को संपरीक्षा समूह द्वारा एक रिपोर्ट कार्ड के रूप में बिन्दुवार तैयार करके ग्राम सभा को सौंप दिया जाएगा
दस – सतर्कता समिति के साथ मिलकर बेहतर क्रियान्वयन हेतु विभिन्न गतिविधियों में सतत सहयोग व निगरानी	सामाजिक संपरीक्षा की प्रक्रिया से निकले बिंदुओं को सतर्कता समिति द्वारा निरंतर निगरानी रखी जायेगी ताकि संपरीक्षा से निकले बिंदुओं पर सुधार हो सके
ग्यारह – विभिन्न गतिविधियों एवं कार्रवाइयों की रिपोर्ट जिला प्रशासन, जिला शिकायत निवारण अधिकारी, राज्य खाद्य आयोग और राज्य शासन को भेजना	सामाजिक संपरीक्षा समूह द्वारा संपरीक्षा रिपोर्ट ग्राम पंचायत द्वारा की गयी कार्यवाही सहित सहित सहायक कनिष्ठ अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को भेजी जायेगी. सहायक कनिष्ठ

	अधिकारी रिपोर्ट को संकलित करके ब्लाकवार रिपोर्ट जिला शिकायत अधिकारी को भेजेंगे. जिला शिकायत अधिकारी की गयी कार्रवाई सहित जिले स्तर पर संकलित रिपोर्ट राज्य खाद्य आयोग एवं खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उभोक्ता संरक्षण विभाग, मध्य प्रदेश शासन को भेजेंगे.

3. कार्यवाही, समीक्षा एवं मूल्यांकन

- सामाजिक संपरीक्षा से प्राप्त सीखों को निकालना.
- सामाजिक संपरीक्षा के प्रभाव का अध्ययन करना.
- सामाजिक संपरीक्षा के अनुभवों से सामाजिक संपरीक्षा मैनुअल तैयार करना.

अध्याय 15

सामाजिक संपरीक्षा हेतु दिशा निर्देश

सामाजिक संपरीक्षा की प्रक्रिया को संचालित करने के लिए खुद तो तैयार करने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है. इसके लिए सबसे जरूरी है सामाजिक जवाबदेहिता, पारदर्शिता, निगरानी, सतर्कता और सुधार के लिए सजग कार्यवाही के सिद्धांतों में विश्वास होना. यही कारण है कि हम सिद्धांत और व्यवहार से सम्बंधित बातों को दोहराते रहें. इस अध्याय में हम सामाजिक संपरीक्षा के मूल सिद्धांतों को चरणों के आधार पर सूचीबद्ध कर रहे हैं.

1. तैयारी

1. सामाजिक संपरीक्षा के मूल उद्देश्यों, चरित्र, नैतिक पक्षों और संवेदनशीलता के बारे में शुरू से ही समझ बना लेना जरूरी है. इसके साथ ही भूमिकाओं–प्रशासन, सेवा प्रदान करने वाले व्यक्तियों/संस्थाओं, पंचायत, सतर्कता समिति, ग्राम सभा–सामाजिक संपरीक्षा सभा, सामाजिक संपरीक्षा दल और सामाजिक संपरीक्षा सहयोगी दल और समुदाय की भूमिका के बारे में स्पष्टता ले आना अनिवार्य है.

2. सामाजिक संपरीक्षा की सम्पूर्ण प्रक्रिया जिला एवं ब्लाक स्तरीय सतर्कता समिति की देखरेख में उचित मूल्य की दुकान/राशन दुकान या ग्राम पंचायत को एक इकाई मानते हुए सामाजिक संपरीक्षा दल द्वारा संपन्न की जाएगी.

3. तैयारियां पर्याप्त समय पहले शुरू कर दी जाना चाहिए. जल्दबाजी से प्रक्रिया सुचारू ढंग से संचालित नहीं हो पाती है. जब तैयारियां की जाएँ, तब अलग अलग कामों, अलग अलग चरणों, उनकी प्रक्रियाओं और कौन क्या भूमिका निभाएगा, यह लिख कर स्पष्ट कर लिया जाना चाहिए.

4. सामाजिक संपरीक्षा की सहजता और सफलता अक्सर इस बात पर निर्भर करती है कि इसके प्रक्रिया को कितना ज्यादा से ज्यादा स्थानीय, समुदाय आधारित और रचनात्मक बनाया जाता है. हम अलग अलग तरीकों से जानकारी/तथ्यों को इकठ्ठा करने की कोशिश कर सके हैं, जो बातें/विषय सामने निकल कर आ रहे हैं, उनका शासकीय दस्तावेजों से मिलान करने के काम में समुदाय को ही शामिल कर सकते हैं, निष्कर्षों को प्रस्तुत करने के तरीके भी भिन्न–भिन्न हो सकते हैं. इसके साथ ही सबसे जरूरी होता है जागरूकता अभियान.

   यदि समुदाय और लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में विस्तृत, स्पष्ट जानकारी और समझ होगी, तभी सामाजिक संपरीक्षा साफ होगी. अतः जागरूकता निर्माण के लिए सतत

पहल होती रहना चाहिए और सामाजिक संपरीक्षा के दौरान और ज्यादा सघन पहल/अभियान होना चाहिए.

5. सामाजिक संपरीक्षा के लिए योजना से सम्बंधित विभागों से प्रासंगिक दस्तावेज और जानकारियाँ पहले से मिल जाना चाहिए. बेहतर होता है कि विभाग द्वारा योजनाओं की जानकारियों के संधारण के लिए ऐसे प्रारूप का ही इस्तेमाल किया जाए, जिसे सीधे ही सामाजिक संपरीक्षा की प्रक्रिया में इस्तेमाल किया जा सके.

6. कब, कहाँ और कौन से क्षेत्र में सामाजिक संपरीक्षा की जाना है, इसका कैलेण्डर विभाग द्वारा पहले से तैयार होना चाहिए.

7. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चार योजनाएं शामिल हैं. इनका संचालन मुख्य रूप से तीन विभाग करते हैं. अतः जरूरी है कि राज्य, जिला, ब्लाक और पंचायत स्तर पर तीनों विभागों के बीच समन्वय के लिए साझा व्यवस्था बनायी जाए.

8. इस अधिनियम से सम्बंधित सभी विभागों में वर्ष में कम से कम एक बार सघन प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन होना चाहिए. ये प्रशिक्षण कार्यशालाएं नीति–नियम बनाने, निगरानी–पर्यवेक्षण करने और मैदानी भूमिका निभाने वाले व्यक्तियों के लिए की जाना चाहिए.

9. स्थानीय स्वैच्छिक संस्थाओं को योजना सामाजिक संपरीक्षा की प्रक्रिया में समान भागीदारी देना बहुत उपयोगी होगा. ये संस्थाएं और स्वैच्छिक कार्यकर्ता प्रशिक्षण, सामाजिक संपरीक्षा की तैयारी, जागरूकता अभियान, योजनाओं से सम्बंधित जानकारियों के संग्रहण और निगरानी में रचनात्मक सहयोग प्रदान कर सकते हैं.

10. यह सुनिश्चित करना होगा कि इस अधिनियम के तहत सामाजिक संपरीक्षा की प्रक्रिया में समाज के वंचित और उपेक्षित तबकों की भागीदारी हो. यह भागीदारी सामाजिक संपरीक्षा की योजना बनाने, इसके क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों और सामाजिक संपरीक्षा सभा तक अलग–अलग स्तरों पर होना चाहिए.

11. सामाजिक संपरीक्षा एक प्रक्रिया आधारित पहल है. इस प्रक्रिया में अलग अलग चरण होते हैं. हर चरण के स्तर पर सही तरीके से दस्तावेजीकरण होना चाहिए.

2. प्रशिक्षण और क्षमता वृद्धि

सामाजिक संपरीक्षा के परिणामदायक क्रियान्वयन के लिए जरूरी है कि अलग अलग स्तरों पर प्रशिक्षण और क्षमतावृद्धि की कार्यवाही हो. इसमें केवल उनकी ही क्षमतावृद्धि जरूरी नहीं है, जो जानकारी इकठ्ठा करने का काम करेंगे, बल्कि उनके लिए जरूरी है, जो नीतियां बनाते और निगरानी–मूल्यांकन करते हैं.

12. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पर सामाजिक संपरीक्षा करने के लिए राज्य, जिला, विकासखंड और पंचायत स्तर के समूहों के लिए उनकी जरूरत और भूमिका के अनुरूप प्रशिक्षण नीति और कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार होना चाहिए.

13. इसके साथ ही प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सालाना व्यवस्था, प्रवेशिकाएं, प्रशिक्षण मार्गदर्शिका, दिशानिर्देश और प्रशिक्षण के तरीकों की पुस्तकें तैयार होना चाहिए. बेहतर होगा कि दृश्य–श्रृव्य (आडियो–विजुअल) सामग्री भी तैयार हो.

14. यह जरूरी होगा कि राज्य और जिला स्तर पर सामाजिक संपरीक्षा के लिए प्रशिक्षकों और स्रोत व्यक्तियों का समूह तैयार किया जाए. इस समूह में अधिनियम से जुड़े विभिन्न विभागों के प्रशिक्षक, स्वैच्छिक संस्थाएं, संचार और जन अभियान विशेषज्ञ, दस्तावेजीकरण विशेषज्ञ भी शामिल होना चाहिए.

15. प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नाटक, गीतों, समूह चर्चाओं, केस अध्ययनों और अभ्यास कार्य को कम से कम दो तिहाई स्थान मिलना चाहिए. मैदानी स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रर्मों के लिए बिजली उपकरण या प्रस्तुतिकरण मशीनें नहीं मिल पाती हैं, अतः सन्देश/जानकारियों के चार्ट तैयार करके रखे जाना चाहिए.

16. यह बहुत जरूरी होगा कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अनुशासन हो.

17. प्रशिक्षण कार्यक्रम सामाजिक संपरीक्षा से सम्बंधित मैदानी/व्यावहारिक समस्याओं पर भी बातचीत होना चाहिए. ऐसा भी हो सकता है कि कतिपय पक्ष प्रक्रिया को बाधित करें, मारपीट या हिंसा करें. इन स्थितियों से अहिंसात्मक तरीके से निपटने के लिए समुदाय के सहयोग से क्या तैयारी होगी, यह तय किया जाना चाहिए.

3. सामाजिक संपरीक्षा दल और सामाजिक संपरीक्षा सहयोगी दल

18. सामाजिक संपरीक्षा दल का गठन युवाओं, नेतृत्व विकास कार्यक्रम के छात्रों, स्थानीय महिलाओं, पंचों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, सतर्कता समिति सदस्यों आदि से प्रतिनिधियों को मिलाकर किया जाएगा. इस दल का तीन दिवसीय प्रशिक्षण किया जाएगा ताकि वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, अधिकारों और सामाजिक संपरीक्षा से अच्छे से वाकिफ हो सकें.

19. यह जरूरी होगा कि यह दल एक टीम के रूप में काम करे और इन्हें इस प्रक्रिया के सिद्धांतों से अच्छे से वाकिफ करवाया जाए.

20. सामाजिक संपरीक्षा सहयोगी दल इस समूह की मदद करने की भूमिका निभाएगा. ऐसा न हो कि इस मददगार समूह को दोयम माना जाए. समानता और टीम की भावना के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए.

21. सामाजिक संपरीक्षा दल और सहयोगी दल की हर रोज समीक्षा बैठक होना चाहिए.

22. सामाजिक संपरीक्षा दल और सहयोगी दल को एक किट दी जाना चाहिए, जिसमें एक बैग, स्टेशनरी, लिखने के लिए पुस्तिका/डायरी हो.

23. अच्छा होगा यदि इस समूह के कुछ सदस्यों के पास स्मार्ट फोन हों, इससे फोटो/वीडियो इकट्ठे किए जा सकेंगे.

4. मैदानी पड़ताल

25. जब मैदानी प्रक्रिया शुरू करें, तब गाँव / बस्ती का नक्शा बनाएँ, जिसमें सभी परिवारों, आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल आदि के चिन्ह दर्ज हों. इसके आधार पर यह तय करें कि सामाजिक संपरीक्षा दल की कौन सी टीम किस तरफ / क्षेत्र में जाएगी! इससे उनकी स्थिति के बारे में सबको जानकारी रहेगी.

26. जब सामाजिक सामाजिक संपरीक्षा की प्रक्रिया शुरू होने का सन्देश जाएगा तो विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन को अच्छा दिखाने की कोशिश भी हो सकती है. जिन्हें लाभ नहीं मिल रहा है, उन्हें लाभ दिलाने का प्रलोभन दिया जा सकता है. आर्थिक लाभ का प्रलोभन भी दिया जाएगा. तैयार रहे ताकि इसका संज्ञान ले सकें.

27. यह ध्यान रखिये कि सामाजिक संपरीक्षा की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है सीधे उनसे संवाद करना / जानकारियाँ लेना, जो अधिनियम के तहत हकदार हैं और जो पात्र हैं, पर वंचित हैं. इस समूह की बात को सदैव प्राथमिकता के साथ सुना, दर्ज किया और संज्ञान में लिया जाएगा.

28. यह ध्यान रखना होगा कि सामाजिक संपरीक्षा दल या इस प्रक्रिया से जुड़े लोग स्थाने प्रभावशाली लोगों, सेवा प्रदाता से घिरे हुए न रहें. इनसे कोई विशेष सत्कार भी नहीं लिया जाना चाहिए. अन्यथा समुदाय में सकारात्मक सन्देश नहीं जाएगा.

29. हो सकता है कि इस प्रक्रिया में हमें कोई ऐसी महिला, व्यक्ति, बच्चे या परिवार मिलें, जिन्हें तत्काल किसी पहल / सहयोग की जरूरत हो. ऐसे लोगों के मामले को तत्काल लिख कर / जानकारी इकठ्ठा करके प्रशासन / सम्बंधित विभाग को दी जाना चाहिए ताकि त्वरित कार्यवाही हो सके.

30. जब कोई साक्ष्य इकठ्ठा किए जा रहे हों, केस अध्ययन बनाया जा रहा हो, तब दो लोगों को मिलकर यह काम करना चाहिए.

31. अच्छा होगा कि विशेष प्रकरणों / मामलों को दृश्य–श्रृव्य (आडियो–विजुअल) स्वरूप में दर्ज किया जाए.

32. सामाजिक संपरीक्षा सभा की सूचना (उद्देश्य, स्थान, समय और महत्व) गाँव / बस्ती / समुदाय में बार–बार दी जाना चाहिए. यह जांचा भी जाए कि सभी तक यह सूचना पहुंच है और वे इसका आशय जान पाये हैं.

33. जब जानकारी इकठ्ठा की जा रही होगी, तब लोगों में उनकी समस्याएं हल होने की उम्मीद भी जगेगी. ऐसे में वे सामाजिक संपरीक्षा दल के पास अपनी समस्यायों के आवेदन लेकर आएंगे. बेहतर होगा कि उनके आवेदन सम्बंधित विभाग को दिलवाए जाएँ. समुदाय से ऐसा कोई वायदा न करें, जिससे उन्हें झूठा आश्वासन मिले. लेकिन कोशिश करें कि वास्तविक समस्याओं पर कार्यवाही हो और समस्यायों का निराकरण हो पाए.

34. हो सकता है कि समुदाय के बीच से कोई व्यक्ति या कुछ लोग विसंगतियों या गड़बड़ियों को सामने लाएं. ऐसे लोगों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होना चाहिए.

35. सामाजिक संपरीक्षा की प्रक्रिया के दौरान सेवा प्रदाताओं से किसी तरह का सत्कार लाभ या सुविधाएँ नहीं ली जाना चाहिए.

36. यह जरूरी होगा कि हर रोज शाम को यह समीक्षा की जाए कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आंगनवाड़ी, प्रधानमन्त्री मातृ वंदना योजना और मध्यान्ह भोजन योजना से सम्बंधित कितने हितग्राहियों से जानकारी इकठ्ठा हुई? कितने परिवार उपस्थित नहीं मिले? क्या कोई ऐसा मामला/व्यक्ति या विषय मिला, जिस पर कोई विशेष तैयारी करने की जरूरत है?

37. सामाजिक संपरीक्षा के प्रारूप/फार्मेट्स ऐसे बनाये गए हैं कि उनका कम्प्यूटर के जरिये भी इस्तेमाल हो सकता हैं और बिना कम्प्यूटर के भी उनका विश्लेषण किया जा सकता है. अच्छा होगा कि संपरीक्षा दल के सदस्य हर व्यक्ति/परिवार/हितग्राही की जानकारी दर्ज करते समय के उस जानकारी पर विश्लेषणात्मक नजर डालें और यदि उन्हें कोई उल्लेखनीय बिंदु नजर आता है, तो उस परिवार/बच्चे/महिला की जानकारी को चिन्हांकित कर लें.

38. सामाजिक संपरीक्षा के दौरान राशन की दुकान, आंगनवाड़ी केंद्र, स्वयं सहायता समूह और स्कूल से प्रमाणित दस्तावेज और जानकारी एकत्र की जाना होंगी. इनसे व्यक्तियों/समुदाय की जानकारियों का मिलान किया जाएगा.

5. सामाजिक संपरीक्षा सभा की तैयारी

39. सामाजिक संपरीक्षा सभा के आयोजन से सम्बंधित जानकारियों का अच्छे से प्रचार–प्रसार होना चाहिए. यह जान लेना चाहिए कि हर मजरे–टोले तक यह जानकारी पहुंच गई है. ये जानकारियाँ बड़े–बड़े अक्षरों में कुछ दीवारों पर लिखी जाना चाहिए.

40. ऐसे स्थान का चयन होना चाहिए जहाँ समुदाय के किसी भी हिस्से को आने और सहभागिता करने में कोई हिचक न हो. इसकी व्यवस्था स्थानीय निकाय या विभाग द्वारा अधिकृत रूप से की जाना चाहिए.

41. तैयारी होना चाहिए कि बैठने के व्यवस्था ऐसी हो, जो समानता का अहसास प्रदान करे.

42. ध्वनि यंत्र की व्यवस्था होना चाहिए.

43. सामाजिक संपरीक्षा सभा का एक स्पष्ट कार्यक्रम बनना चाहिए.

44. सामाजिक संपरीक्षा सभा की अध्यक्षता कौन करेगा, यह तय कर लिया जाना चाहिए. विकल्प के रूप में उपसरपंच या किसी वरिष्ठ पंच का चयन किया जा सकता है. इसके साथ ही पैनल में विभागों के प्रतिनिधि, स्वैच्छिक संस्था के प्रतिनिधि भी होना चाहिए. स्थानीय स्तर पर सेवा प्रदान करने वाला व्यक्ति पैनल में शामिल नहीं होना चाहिए.

6. सामाजिक संपरीक्षा का आयोजन

45. सामाजिक संपरीक्षा का एक पूर्व–निर्धारित कार्यक्रम होना चाहिए.

46. सामाजिक संपरीक्षा पैनल में ऐसे लोग शामिल होना चाहिए, जिनका इन योजनाओं के क्रियान्वयन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित न जुड़ा हुआ हो.

47. सभा शुरू करते समय यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि इस प्रक्रिया का मकसद लोगों के हकों के लिए संसद द्वारा बनाने गए अधिनियम से लोगों को जोड़ना है. इसका मकसद किसी सेवा प्रदाता या विभाग को निशाना बनाना या उनके प्रति किसी दुर्भावना से कार्यवाही करना नहीं है. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एक खास उद्देश्य से बनाया गया है. उस उद्देश्य के मुताबिक इसका क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं, इसकी समीक्षा खुद लोग करें, यह भी इसी अधिनियम में लिखा हुआ है.

48. पैनल के सदस्यों को पहले से यह बताया जाना चाहिए कि वे समुदाय / लोगों / महिलाओं / बच्चों को अपनी बात रखने के लिए सकारात्मक ढंग से प्रेरित करें. यह कोशिश होना चाहिए कि वे संवाद करके जानकारियों / मामलों को स्पष्ट करें.

49. सभा की शुरुआत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और भोजन के अधिकार के बारे में स्पष्ट जानकारी दी जाना चाहिए. इसके साथ की शिकायत निवारण व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेहिता से जुड़े प्रावधानों के बारे में जानकारी दी जाना चाहिए.

50. इसके बाद सामाजिक संपरीक्षा की क्या प्रक्रिया रही इसके बारे में जानकारी दी जाना चाहिए.

51. इसके बाद सभा का कार्यक्रम मुख्य रूप से चार योजनाओं में बंटा होगा – लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आंगनवाड़ी, प्रधानमन्त्री मातृ वंदना योजना और मध्यान्ह भोजन योजना.

52. हर योजना के सत्र के तीन हिस्से होंगे – 1. मुख्य प्रावधान, 2. पात्रता से सम्बंधित मामले – व्यक्तिगत केस (नाम शामिल न होना, नाम होना पर राशन न मिलना, राशन मिलना पर कम मात्र में या ज्यादा कीमत पर मिलना, गुणवत्ता, आधार सम्बंधित समस्या आदि) और फिर समग्र निष्कर्ष. जब कोई व्यक्ति अपना प्रकरण प्रस्तुत करेगा, तो उसकी बात खत्म होने के बाद, सेवा प्रदाता को भी अपनी बात रखने का अवसर दिया जाएगा. यदि जरूरत लगेगी तो रिपोर्ट में दर्ज जानकारी में संशोधन किया जा सकेगा.

53. सामाजिक संपरीक्षा सभा के दौरान ही कुछ लोग खाद्य सुरक्षा या अन्य योजना के लाभ के लिए आवेदन देना चाहेंगे. उनके आवेदन सम्बंधित विभाग के प्रतिनिधि के पास जमा किए जाना चाहिए.

7. रिपोर्ट और फालो अप

54. सामाजिक संपरीक्षा सभा के आयोजन के 3–4 दिनों के भीतर अंतिम रिपोर्ट, प्रमाणों और दस्तावेजों सहित पूरी कर ली जाना चाहिए.

55. सामाजिक संपरीक्षा की रिपोर्ट समग्रता में और विभाग से सम्बंधित स्वरूप में हो और जिला शिकायत निवारण अधिकारी और सम्बंधित विभागों को समयबद्ध कार्यवाही के लिए सौंपी जाए.

56. यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि सामाजिक संपरीक्षा से जुड़े रहे किसी व्यक्ति या समूह की सुरक्षा

को कोई खतरा न हो. ब्लॉक और जिला समूह को सामाजिक संपरीक्षा दल और सहयोगी समूह के सदस्यों से संपर्क में रहना चाहिए.

57. यह सुनिश्चित करना होगा कि सामाजिक संपरीक्षा की प्रक्रिया से हासिल होने वाली ताकत का कोई भी व्यक्ति दुरूपयोग न करे.

क्या करें? क्या न करें?	
क्या करें?	**क्या न करें?**
आप सामाजिक संपरीक्षक दल के सदस्य हैं और इस पूरी प्रक्रिया को संचालित करने में मदद कर रहे हैं ऐसा परिचय दें.	आप कोई शासकीय कर्मचारी या अधिकारी आदि होने का परिचय न दें. आप केवल सामाजिक संपरीक्षा दल के सदस्य हैं.
समुदाय से विनम्र भाव से मिलने एवं बताएं कि वे सामाजिक संपरीक्षा प्रक्रिया की महत्वपूर्ण कड़ी हैं अतः बिना किसी संकोच के जानकारी दें.	समुदाय में किसी भी व्यक्ति या सेवा प्रदाता से निरीक्षण जैसे भाव न प्रकट करें.
समुदाय को भरोसे में लें और बतायें कि आपके द्वारा दी गयी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है हम इसका उपयोग केवल सामाजिक संपरीक्षा तक ही सीमित रखेंगे.	समुदाय के किसी व्यक्ति/परिवार को किसी तरह का प्रलोभन न दें कि हम आपका नाम जुड़वाँ देंगे या योजना का लाभ दिलवा देंगे.
सेवा प्रदाताओं से भी बात करते समय उन्हें विश्वास में लें एवं बतायें की यह उनके केंद्र का निरीक्षण नहीं है बल्कि मिलकर उसे और बेहतर बनाने की एक प्रक्रिया है.	सेवा प्रदाताओं की खामियां न ढूढें बल्कि जो जानकारी मिल रही है उसे ही दर्ज करें और उन्हें यह भी न कहें की अमुक सुविधायें या रिकार्ड ठीक नहीं है.
सामाजिक संपरीक्षा का मूल मकसद है सही जानकारी समुदाय के सम्मुख रखना.	हम अपनी राय या अनुभव के आधार पर कोई जानकारी न जोड़ें जो समुदाय ने बताया है वही जानकारी दर्ज करें, ध्यान रहे कि यह जानकारी समुदाय के सामने रखी जाएगी.
किसी व्यक्ति या परिवार के आवेदन या योजना का लाभ दिलाने हेतु आवेदन की प्रक्रिया बता दें.	समुदाय में कई व्यक्ति या परिवार अपनी समस्याएं या योजना का लाभ दिलाने के लिए अनुरोध करेंगे ऐसे लोगों को आवेदन देने के लिए प्रेरित करें न कि उनके आवेदन कराएँ.

अध्याय
16

चरणबद्ध प्रक्रिया

सामाजिक संपरीक्षा के चरण

इस प्रक्रिया को ठीक ढंग से क्रियान्वित करने के लिए हर स्तर पर सावधानी बरतने की जरुरत होगी. अतः सामाजिक संपरीक्षा की योजना बनाने से उसके मूल्यांकन तक हमें निम्न बातों को ध्यान रखना होगा –

चरण 1 – वातावरण का निर्माण और जानकारी का एकत्रण

1.1 सामाजिक संपरीक्षा सहयोग दल का गठन एवं सेवा प्रदाताओं के साथ बैठक.

सामाजिक संपरीक्षा दल सबसे पहले अपने दल को बड़ा करने व समुदाय का सहयोग प्राप्त करने के लिए सामाजिक संपरीक्षा सहयोग दल (5–8 सदस्य) का गठन करेगा. इस दल में निम्न सदस्य हो सकते हैं –

- सतर्कता समिति के सदस्य,
- शिक्षक एवं शाला प्रबंधन समिति के सदस्य,
- सेवानिवृत्त व्यक्ति,
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं आशा,
- पंचायत सदस्य (सरपंच को छोड़कर),
- रूचि रखने वाले सक्रिय युवा,
- रूचि रखने स्वसहायता समूहों की या अन्य सक्रिय महिलायें,
- स्थानीय सामाजिक संस्था के कार्यकर्ता

सामाजिक संपरीक्षा दल के गठन के बाद पंचायत स्तर पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़ी संस्थाओं एवं पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक की जाये ताकि उनका अपेक्षित सहयोग मिल सके. उन्हें पूरे कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी जाये और जरूरी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया जाये.

1.2 जन जागरूकता गतिविधियों का क्रियान्वयन

- सामाजिक संपरीक्षा के लिए चयनित ग्राम पंचायत के सभी गांव में समुदाय के साथ शाम को बैठकें / चौपाल आयोजित करना.
- जागरूकता रथ का संचालन एवं फिल्म प्रदर्शन.

- नुक्कड़ नाटक का आयोजन करके लोगों को इस प्रक्रिया में जुड़ने हेतु प्रेरित करना.
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों एवं सामाजिक संपरीक्षा के उद्देश्य एवं महत्व से संबंधित पम्पलेट / ब्रोशर का वितरण.
- सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर एवं बैनर लगाना.
- सामाजिक संपरीक्षा सभा के बारे में स्कूलों में बच्चों की रैली या सभा में जानकारी देना.
- ग्राम पंचायत की सभी बसाहटों में दीवार लेखन किया जाए. इसमें सामाजिक संपरीक्षा की दिनांक से लेकर खाद्य सुरक्षा से संबंधित नारों का प्रयोग किया जाए.
- समुदाय के भीतर जाति, सम्प्रदाय और पेशेवर समूहों / वर्गों तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से सम्बंधित जानकारियाँ पहुँचाना.

1.3 सामाजिक संपरीक्षा हेतु जानकारी / डाटा इकठ्ठा करना.

- निर्धारित प्रपत्रों के आधार पर सभी सेवा प्रदाता संस्था में जाकर अवलोकन किया जाये एवं संपरीक्षा से सम्बंधित जानकारियां ली जाएं. साथ ही सेवाप्रदाता का साक्षात्कार किया जाये.
- सम्बंधित पोर्टल से भी ऑनलाइन जानकारियां निकाली जायें.
- परिवार सर्वे पत्रक का उपयोग कर जानकारी एकत्र करने हेतु सामाजिक संपरीक्षा सहयोग दल के सदस्यों को प्रशिक्षित करना.
- सामाजिक संपरीक्षा सहयोग दल के सदस्यों के द्वारा परिवार सर्वे पत्रक में जानकारी भरना.
- सामाजिक संपरीक्षा दल द्वारा समूह चर्चा के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में जानकारी संकलित करना (प्रपत्र भरने से संबंधित निर्देश को बारीकी से पढ़ें एवं हमेशा अपने साथ रखें).

चरण – 1 में ध्यान रखने वाली बातें

- संपरीक्षा दल एवं सहयोगी दल द्वारा सामाजिक संपरीक्षा की एक योजना बना लेनी चाहिए.
- सामाजिक संपरीक्षा दल एवं सहयोगी दल को समान रूप से महत्व दिया जाये ताकि समानता की भावना बने एवं सहयोगी दल को दोयम दर्जा न दिया जाए.
- समुदाय के अलग अलग वर्गों खास तौर पर वंचित वर्ग के सक्रिय सदस्यों को चिन्हित करना और उनसे संपर्क किया जाये.
- सामाजिक संपरीक्षा सहयोगी दल की सामाजिक संपरीक्षा दल के साथ हर दिन समीक्षा बैठक हो.
- सामाजिक संपरीक्षा एवं सहयोगी दल को एक किट दी जाये जिसमें एक बैग, डायरी / रजिस्टर, सादे कागज एवं पेन हों.
- सभी वर्ग समुदाय के लोगों को यह विश्वास दिलाया जाना चाहिए कि सभी की बात सुनी जाएगी, सभी को अपनी समस्या को रखने का अवसर मिलेगा.
- इस प्रक्रिया के तहत जब सर्वे किया जा रहा हो, तब सामाजिक संपरीक्षा की तिथि और उसमें शामिल होने के लिए भी समुदाय के लोगों से कहा जाए.
- दीवार लेखन में संपरीक्षा सभा का स्थान, दिनांक, समय लिखना आवश्यक है.

- विभागीय जानकारी इकठ्ठा करने के लिए संपरीक्षा सभा के समय रहते जिम्मेदार अधिकारियों से संपर्क किया जाए तथा जानकारियां दिलाए जाने का प्रयास करना आवश्यक है.
- समूह चर्चा महिलाओं के साथ भी होना चाहिए तथा इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि चर्चा में पुरुषों का हस्तक्षेप न हो.
- समूह चर्चा में सरल भाषा का उपयोग किया जाना चाहिए एवं समूह चर्चा के पूर्व महिलाओं को समूह चर्चा के सम्बन्ध में पूरी जानकारी दी जाए.
- सामाजिक संपरीक्षा दल या इस प्रक्रिया से जुड़े लोग स्थानीय प्रभावशाली लोगों, सेवा प्रदाता से घिरे हुए न रहें। इनसे कोई विशेष सत्कार भी नहीं लिया जाना चाहिए। अन्यथा समुदाय में सकारात्मक सन्देश नहीं जाएगा.

चरण 2 – एकत्रित जानकारी का समेकन, विश्लेषण एवं प्रतिवेदन तैयार करना

2.1 जमा किये गए आंकड़ों एवं जानकारी को समेकित/एकजाई करना

- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आईसीडीएस, मध्यान्ह भोजन योजना और प्रधानमन्त्री मातृ वंदना योजना से जुड़े प्रपत्रों में भरी गई जानकारी को तालिकाबद्ध करना.
- गुणात्मक जानकारी से निकले मुख्य बिंदुओं को एकसाथ लाना.

2.2 विश्लेषण

- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आईसीडीएस, मध्यान्ह भोजन योजना और प्रधानमन्त्री मातृ वंदना योजना से जुड़ी तालिकाबद्ध जानकारी का विश्लेषण एवं जानकारी का सार निकालना.
- योजनावार जानकारी से निकले तथ्यों को समझना एवं समस्या या उपलब्धि को चिन्हित करना.

2.3 रिपोर्ट तैयार करना

- विश्लेषण से प्राप्त जानकारी के साथ स्थिति को स्पष्ट रूप से बिंदुवार रिपोर्ट में लिखा जाना चाहिए.
- विश्लेषण से प्राप्त डाटा की स्थिति को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में दिए गए प्रावधानों से जोड़ते हुए अंतर को परिभाषित करना चाहिए.
- हर योजना से सम्बंधित परिणामों को चार्ट शीट पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाए, ताकि लोग आसानी से पढ़ सकें.
- सामाजिक संपरीक्षा की प्रक्रिया के दौरान इकट्ठा हुई प्रारूप आधारित जानकारी के आधार पर प्राथमिक रिपोर्ट/प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जायेगी.

चरण – 2 में ध्यान रखने वाली बातें

- सर्वे से प्राप्त जानकारी को प्रतिदिन जोड़ किया जाना आवश्यक है.
- ऐसे परिवार जो सर्वे के दौरान नहीं मिले, उनकी पहचान कर दूसरे दिन उनका सर्वे किया जाना चाहिए.
- रिपोर्ट की भाषा स्थिति को स्पष्ट करने वाली होनी चाहिए। जिसको आसानी से समझा जा सके.

- रिपोर्ट में दिया गया डाटा सही एवं स्पष्ट होना चाहिए.
- जो लोग/महिलायें/बच्चे अधिनियम में दर्ज अधिकारों से वंचित हो रहे हैं और किस हक से वंचित हैं, इसकी जानकारी के साथ सूची तैयार की जायेगी.
- कार्यवाही की अनुशंसा और की गई कार्यवाही का विवरण दर्ज किया जा सके। अगली सामाजिक संपरीक्षा में इस सूची का भी संज्ञान लिया जायेगा.
- व्यक्तिगत मुद्दों को 4 से 5 पंक्तियों में प्रमाणित तथ्यों के साथ रखा जाना चाहिए.
- निष्कर्षों में मुख्य रूप से उन व्यक्तियों/हकधारकों की सूची होगी, जिन्हें उनके पूरे हक नहीं मिल रहे हैं, राशन/पोषण के आवंटन के मान से वितरण सम्बन्धी जानकारी होगी.
- एकत्र की गयी जानकारी में त्रुटि होने पर उसे सही किया जाना आवश्यक है.
- जानकारी का सत्यापन सामाजिक संपरीक्षा दल द्वारा किया जाना चाहिए.

चरण 3 – सामाजिक संपरीक्षा सभा का आयोजन

3.1 सामाजिक संपरीक्षा सभा की तैयारी

- सामाजिक संपरीक्षा सभा के लिए तैयारी बैठक.
- सभा स्थल का चयन.
- बैठक व्यवस्था निर्धारित कर सामाजिक संपरीक्षा सहयोग दल एवं ग्राम पंचायत सरपंच एवं सचिव के सहयोग से बैठक की व्यवस्था करना.
- सभा के आयोजना, सभा के बारे में सार्वजनिक सूचना जारी की जाना चाहिए.
- पहले से उन लोगों की सूची तय होना चाहिए कि सभा के दौरान कौन–कौन से व्यक्ति अपना पक्ष/विषय/प्रकरण रखने वाले हैं या रखने के लिए तैयार हैं.

3.2 सामाजिक संपरीक्षा सभा का आयोजन

- सभा में उपस्थित सभी सहभागियों का सभा अध्यक्ष द्वारा स्वागत उद्‌बोधन, अध्यक्ष संबंधित ग्राम पंचायत का सरपंच या उनकी अनुपस्थिति में उपसरपंच होंगे, उनकी भी उपस्थिति में सभा में उपस्थित लोगों द्वारा सहमति से चयन किया जायेगा.
- सभा की शुरुआत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के मुख्य प्रावधानों, सामाजिक संपरीक्षा की अवधारणा और महत्व के बारे में बताना.
- सभा स्थल पर सामाजिक संपरीक्षा के मुख्य निष्कर्ष सरल भाषा और सरल प्रारूप में चार्ट के रूप में प्रदर्शित किये जाने चाहिए.
- सामाजिक संपरीक्षा दल द्वारा सामाजिक संपरीक्षा से निकले निष्कर्ष की प्रति अधिकारियों और सेवा प्रदाताओं को दी जाना चाहिए.
- संपरीक्षा दल द्वारा संपरीक्षा प्रतिवेदन को बिन्दुवार रखा जाना चाहिए.
- सामाजिक संपरीक्षा सभा/विशेष ग्राम सभा की कार्यवाही को कार्यवाही पंजी में लिखा जाना चाहिए.

- उपस्थित समुदाय के लोगों को अपनी बात रखने का अवसर दिया जाना चाहिए खासकर उन लोगों को, जो किसी योजना का लाभ प्राप्त करने से वंचित हैं.
- सेवा प्रदाताओं को भी अपनी बात को रखने का अवसर दिया जाना चाहिए.
- अंत में सभा में लिए गए निर्णयों को सचिव द्वारा पढकर सुनाया जाना चाहिए.
- सभा में उपस्थित अतिथियों का उद्‌बोधन किया जाना चाहिए.
- अध्यक्ष के द्वारा धन्यवाद के साथ सभा को समाप्त किया जाना चाहिए.

चरण – 3 में ध्यान रखने वाली बातें

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में सामाजिक संपरीक्षा सभा के लिए ऐसे स्थान का चयन होना चाहिए, जो सबसे सुरक्षित हो और जहाँ समुदाय के किसी भी व्यक्ति को भागीदारी करने में संकोच न हो.
- इस प्रक्रिया के लिए ग्राम सभा में सामाजिक संपरीक्षा के लिए कोई विशेष ग्राम सभा का प्रस्ताव पारित करवाया गया हो तो उसके एजेंडे का ग्राम पंचायत के सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा कर दिया जाए.
- संपरीक्षा सभा में लोगों की उपस्थिति का महत्व बताया जाए एवं कम उपस्थिति के नुकसान भी बताए जाएं.
- यह सुनिश्चित किया जाना की संपरीक्षा सभा की सूचना गांव बस्ती में रहने वाले सभी व्यक्ति तक पहुंचे.
- सामाजिक संपरीक्षा सभा को प्रभावित करने वाले तत्वों को पहचान कर उनसे संवाद एवं सहज माहौल की रणनीति पर भी विचार किया जाए.
- किसी विवाद की संभावनाओं पर नजर रखना एवं उससे निपटने के उपाय किया जाना आवश्यक है.
- सजगता से यह नजर रखी जाना चाहिए कि सामाजिक संपरीक्षा सभा के बारे में कोई पक्ष मिथ्या सूचना से लोगों को भ्रमित करने की कोशिश न करे.
- बैठक व्यवस्था ऐसी हो, जिससे समुदाय/लोगों को समानता का अहसास हो और ऐसा सन्देश न जाए कि कुछ लोग बेहद प्रभावशाली और उच्च स्तर के हैं.
- सामाजिक संपरीक्षा सभा के लिए ध्वनि यन्त्र की व्यवस्था किया जाना चाहिए.
- सामाजिक संपरीक्षा सभा की अध्यक्षता कौन करेगा यह तय कर लिया जाना चाहिए, साथ ही पैनल में कौन होगा उन्हें आमंत्रित किया जाना चाहिए.
- सामाजिक संपरीक्षा का एक निर्धारित कार्यक्रम (मिनट से मिनट कार्यक्रम) निर्धारित होना चाहिए.
- सामाजिक संपरीक्षा पैनल में ऐसे लोग शामिल होना चाहिए, जिनका इन योजनाओं के क्रियान्वयन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित न जुड़ा हुआ हो.
- सभा के शुरू में यह स्पष्ट किया जाये कि इस प्रक्रिया का मकसद अधिनियम से लोगों को जोड़ना है. इसका मकसद किसी सेवा प्रदाता या विभाग को निशाना बनाना या उनके प्रति किसी दुर्भावना से कार्यवाही करना नहीं है. यह अधिनियम एक खास उद्देश्य से बनाया गया है. उस उद्देश्य के मुताबिक इसका क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं, इसकी समीक्षा खुद लोग करें, यह भी इसी अधिनियम में लिखा हुआ है.
- सभा में उपस्थित जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा सामाजिक संपरीक्षा से निकले निष्कर्षों पर बिन्दुवार कार्यवाही करने का आश्वासन दिया जाना चाहिए.

चरण 4 – सामाजिक संपरीक्षा के निष्कर्षों पर कार्यवाही – समीक्षा एवं मूल्यांकन

4.1 सामाजिक संपरीक्षा के निष्कर्षों / रिपोर्ट पर कार्यवाही व अंतिम रिपोर्ट की तैयारी

- सामाजिक संपरीक्षा एवं सामाजिक संपरीक्षा सभा के सन्दर्भ में तैयारी से लेकर संपरीक्षा सभा के आयोजन से जुड़े सभी तथ्यों प्रक्रियाओं को विस्तारपूर्वक लेख करते हुए अंतिम रिपोर्ट तैयार जाए. जिसमें सभी केस एवं केसों से जुड़े तथ्यों एवं संलग्नकों, प्रपत्रों को प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जाना चाहिए.
- सामाजिक संपरीक्षा से निकले मुख्य बिंदुओं को ग्रामसभा के कार्यवाही रजिस्टर में दर्ज की जाये ताकि आगामी ग्राम सभा में की गयी कार्यवाही की समीक्षा की जा सके.
- सामाजिक संपरीक्षा से निकले कार्रवाई के बिंदुओं पर स्थानीय स्तर पर ग्रामपंचायत द्वारा कार्रवाई की जाये एवं इसकी एक समय सीमा व जिम्मेदारी तय कर ली जाये.
- नीतिगत एवं अन्य कार्रवाई के बिंदुओं को संबंधित अधिकारी को भेजा जाना चाहिए.
- गंभीर किस्म की शिकायतों को अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जिला शिकायत निवारण अधिकारी के समक्ष रखा जाना चाहिए.
- तैयार रिपोर्ट संबंधित अधिकारी को भेजी जायेगी.

4.2 समीक्षा एवं मूल्यांकन

- सामाजिक संपरीक्षा की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सामाजिक संपरीक्षा दल और सतर्कता समिति के साथ मिलकर सम्बंधित विभाग सामाजिक संपरीक्षा, योजनाओं की स्थिति आदि की समीक्षा करेंगे.
- यह मूल्यांकन किया जाना चाहिए कि सामाजिक संपरीक्षा का योजनाओं, लोगों और व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा?

चरण – 4 में ध्यान रखने वाली बातें

- सामाजिक संपरीक्षा से निकले निष्कर्षों को बिन्दुवार रिपोर्ट में रखा जाना चाहिए.
- प्रतिवेदन तैयार करते समय टीम की सहभागिता होना आवश्यक है.
- प्रतिवेदन तैयार करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी बिंदु एवं घटना क्रम छूटना नहीं चाहिए.
- ग्राम पंचायत सरपंच एवं सचिव से संपर्क करके सामाजिक संपरीक्षा से निकले मुख्य बिंदुओं को ग्रामसभा के कार्रवाई रजिस्टर में दर्ज कराएँ.
- यह संभव है कि जानकारी इकठा करने के दौरान मिली जानकारी, जब सामाजिक संपरीक्षा में प्रस्तुत की जाए, तो वह पूरी सही साबित न हो या उसमें सुधार / बदलाव की जरूरत महसूस हो.

यह देखना चाहिए कि जिन लोगों ने सामाजिक संपरीक्षा के दौरान अपना पक्ष / बात / शिकायत रखी, उन्हें कोई नुकसान न पंहुचाया जाए. उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो और सामाजिक संपरीक्षा में उनका विश्वास बरकरार रहे.


सामाजिक संपरीक्षा सभा
सामाजिक संपरीक्षा सभा बैठक दिनांक

दिखते हैं भूरे मटमैले केश
हमें पर दिखाई नहीं देती भूख,
निस्तेज होती जाती हैं आँखें
हमें पर दिखाई नहीं देती भूख,
सिलवटेंदार त्वचा
हमें पर दिखाई नहीं देती भूख,
मापा जा सकता है
अनियंत्रित तापमान
हमें पर दिखाई नहीं देती भूख,
जगह जगह से रिसते घाव
ऊर्जा का इतना अभाव कि
मक्खियों के उड़ाने में भी
अक्षम हो चुके हैं हाथ,
ऊर्जा का इतना काल कि
माँ के स्तनों से भी न खींच पाना दूध,
ऊर्जा की इतनी कमीं कि
दर्द से जूझते हुए भी
दर्द अभिव्यक्त न कर पाना
हमें पर दिखाई नहीं देती भूख,
जो कहते हैं बच्चे चंचल होते हैं
वो झूठ कहते हैं
भूख बच्चों की चंचलता को
सबसे पहले मार देती है
हमें पर दिखाई नहीं देती है भूख,
जब हृदय न प्रवाहित कर पाये रक्त
तब उस हृदय में ईश्वर कैसे प्रवाहित हो,
सूखा केवल धरती पर नहीं पड़ता
सूखा शरीर के भीतर भी पड़ता है
नसों में बहने वाला द्रव सूख जाता है,
भव्य इमारतों के करीब ही
आश्रयविहीन बचपन पलता है,
भव्य प्रार्थना स्थलों के आसपास ही
अन्तिम प्रार्थना में लीन होता है बचपन
भूख पर हमें दिखाई नहीं देती,
भूख कई बच्चों को मार देती है
इससे पहले के वे छू पायें
संविधान की किताब,
भूख करोड़ों बच्चे की आंखों से
छीन लेती है तीन रंग, हरा, सफेद और केसरी,
भूख छीन लेती है बच्चों से वो पहिया
जिसे चलाते चलाते बच्चे
मुल्क को चलाना सीख पाते
संतुलन के साथ,
आप उन्हें दान देना चाहते हैं खिलौने
जिन्हें पकड़ भी नहीं सकती हैं
उनकी शक्तिविहीन उंगलियाँ,
आप दान देना चाहते हैं उन्हें किताबें
पर भूख के जरिये छीन कर उनकी दृष्टि,
भूख बीमारी नहीं होती है
बीमारी है मुल्क का बर्बर हो जाना,
भूख मारती नहीं है खुद बच्चों को
सियासत भूख को हथियार बना लेती है,
आपने भी तो देखे होंगे ऐसे बच्चे,
भूख बचपन को मृत्यु से बदतर बना देती है
भूख कारागार से बड़ी सजा देती है बचपन को
और अधमरा बचपन
जिंदगी की पूरी उम्मीद लेकर जीता है,
भूख से मरने के बाद
उसके नसीब में आता है खण्डन
कि बच्चों का विखंडन भूख से नहीं होता;

{सचिन}

VIKAS SAMVAD

NFI